# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक
झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या – 94

20 वैशाख 1923 शकाब्द
रांची, वृहस्पतिवार, 10 मई, 2001


विधि (विधान) विभाग।

अधिसूचना
10 मई, 2001

संख्या– एल० जी०–04/2001 लेजः 11 – झारखड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 23 अप्रैल, 2001 को अनुमति दे चुके है; इसके द्वारा सवसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल क आदेश से,
प्रशांत कुमार,
संयुक्त–सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रांची।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001
(झारखण्ड अधिनियम 06, 2001)

झारखण्ड राज्य में पंचायत राज की स्थापना के लिए प्रावधानों
के विनियमन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो।

## अध्याय – 1
## संक्षिप्त नाम और परिभाषाएँ

**धारा – 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

(i) यह अधिनियम, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखड राज्य में उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पटना नगर निगम अधिनियम 1951 (बिहार अधिनियम xiii, 1952); बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम vii, 1922), या केन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम ii, 1924) के उपबंध लागू है; होगा।

(iii) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जैसा कि झारखण्ड सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करें और विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तिथि नियत की जा सकेगी।

**धारा – 2 परिभाषाए** – इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हा, –

(i) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है, जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए हैं;

[1][परन्तु यह कि अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या से अभिप्रेत है अन्य पिछड़े वर्गो की ऐसी जनसंख्या जिसका अभिनिश्चय अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना आँकड़ो के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो;]

[1][परन्तु यह भी कि यदि अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना आँकड़ो के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या अभिनिश्चित नहीं की गई हो तब अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के ठीक पूर्ववर्ती जनगणना के आँकड़ो के आधार पर सर्वेक्षण द्वारा अभिनिश्चित अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के ग्रामवार प्रतिशत को नियत मानकर अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निर्धारित मानी जायेगी।]

(ii) "ग्राम" का तात्पर्य है कोई ऐसा ग्राम, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ग्राम के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके अर्न्तगत है इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए ग्राम या ग्रामों/टोलों का समूह। शब्द

---

1 झारखण्ड अधिनियम 06, 2006 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

"ग्राम" में सम्मिलित है, राजस्व गांव, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का तात्पर्य है अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा टोला या टोलों का समूह होगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो अथवा जो परम्पराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है;

(iii) "ग्राम सभा" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में निबंधित व्यक्तियों से गठित और धारा–3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है;

(iv) "ग्राम पंचायत" का तात्पर्य है धारा–12 के अधीन स्थापित कोई ग्राम पंचायत;

(v) "पंचायत क्षेत्र" का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र;

(vi) "सदस्य" का तात्पर्य है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्रादेशिक/क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित/मनोनीत सदस्य;

(vii) "मुखिया" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया;

(viii) "उप–मुखिया" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित उप मुखिया;

(ix) "पंचायत समिति" का तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा–32 के अधीन स्थापित पंचायत समिति;

(x) "प्रखंड" का तात्पर्य है किसी जिला का वह स्थानीय क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार प्रखंड के रूप में गठित करें;

(xi) "प्रमुख" का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन किसी पंचायत समिति का निर्वाचित प्रमुख;

(xii) "उप–प्रमुख" का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन किसी पंचायत समिति का निर्वाचित उप–प्रमुख;

(xiii) "जिला" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा जिला के रुप में अधिसूचित जिला;

(xiv) "जिला परिषद्" का तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा–47 के अधीन गठित किसी जिले का जिला परिषद्;

(xv) "अध्यक्ष" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित जिला परिषद् का अध्यक्ष;

(xvi) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित जिला परिषद् का उपाध्यक्ष;

(xvii) "निर्वाचन" का तात्पर्य है पंचायत के किसी स्थान या स्थानो को भरने के लिए निर्वाचन;

(xviii) "निर्वाचन कार्यवाहियां" का तात्पर्य है निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से प्रारंभ होने वाली (कार्यवाहियां) और ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाहियां;

(xix) "राज्य निर्वाचन आयोग" का तात्पर्य है राज्यपाल द्वारा संविधान के अनूच्छेद 243 ट(1) के आलोक में इस अधिनियम की धारा–66 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;

(xx) "सचिव" से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से नियुक्त सचिव;

(xxi) "सहायक सचिव" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज निदेशालय के माध्यम से विशेष रुप से नियुक्त वह पदाधिकारी जो यथाविहित कार्य करेगा;

(xxii) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा इस रुप में नियुक्त पदाधिकारी;

(xxiii) "अनुमंडल पदाधिकारी" का तात्पर्य है उस अनुमंडल का भारसाधक दण्डाधिकारी, जिसमें ग्राम पंचायत स्थापित हुई हो और इसके अर्न्तगत कोई अन्य दण्डाधिकारी है, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन (अनुमंडल) दंडाधिकारी के सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशिष्ट रुप से नियुक्त करें;

(xxiv) "कार्यपालक पदाधिकारी" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी;

(xxv) "जिला पंचायत राज पदाधिकारी" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा इस रुप में नियुक्त पदाधिकारी;

(xxvi) "मुख्य योजना पदाधिकारी" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा इस रुप मे नियुक्त जिला योजना पदाधिकारी;

(xxvii) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी;

(xxviii) "जिला दण्डाधिकारी" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा किसी जिले का दण्डाधिकारी/उपायुक्त और इनमें कोई अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला दण्डाधिकारी के सभी या किसी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से नियुक्त किया गया हो;

(xxix) "आयुक्त" का तात्पर्य है प्रमंडलीय आयुक्त या ऐसा पदाधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्तियों के प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से नियुक्त किया गया हो;

(xxx) "निदेशक" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा इस रुप में नियुक्त पदाधिकारी;

(xxxi) "सरकार" का तात्पर्य है, झारखंड की राज्य सरकार;

(xxxii) "विहित" का तात्पर्य है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(xxxiii) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य है इस अधिनियम या इसके अर्न्तगत बनाई गई नियमावली के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशिष्ट श्रेणी एवं पदनाम का कोई पदाधिकारी;

(xxxiv) "अधिसूचना" का तात्पर्य है राज्य अथवा जिला गजट में प्रकाशित अधिसूचना;

(xxxv) "अनुसूचित क्षेत्र" का तात्पर्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लॉज (i) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र;

(xxxvi) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य है वो सभी वर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों;

(xxxvii) "लोकसेवक (Public Servant) का तात्पर्य है भारतीय दंड विधान (IPC,45,1860) की धारा–21 में परिभाषित वाला लोकसेवक;

(xxxviii) "सार्वजनिक बाजार" या "सार्वजनिक मेला" का तात्पय है इस अधिनियम की धारा–83 के अधीन अधिसूचित यथास्थिति कोई बाजार अथवा मेला;

(xxxix) "सार्वजनिक सम्पति" यथा "सार्वजनिक भूमि" का तात्पर्य है ऐसे सार्वजनिक भवन, बाग, बगीचा अथवा अन्य स्थान से है, जहां तत्समय जनता चाहे कोई भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से उपयोग कर सकती है अथवा वहॉ जाने की अनुमति प्राप्त हो;

(xxxx) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य है कोई ऐसी सड़क, पगडंडी, मार्ग, चौड़, पटरी या रास्ता जिससे जनता को आने–जाने का अधिकार हो;

(xxxxi) "सहकारी समिति" का तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधि अधिनियम में वर्णित समिति;

(xxxxii) "स्थायी समिति" का तात्पर्य है, इस अधिनियम के अधीन गठित स्थायी समिति;

## अध्याय–2
## ग्राम सभा

**धारा 3**

(i) इस अधिनियम के पयोजनार्थ राज्य सरकार के निर्देश पर जिला दण्डाधिकारी, जिला गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम [1][सभा] के रुप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा; परन्तु यह कि, जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहा सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम सभा के रुप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ii) ग्राम सभा का तात्पर्य है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी राजस्व गाव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली कोई निकाय;

(iii) अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा –

साधारणतया ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सदस्य यदि ऐसा चाहें, तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटे गाँव या गाँवो/टोलों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों, जो परम्परा एवं रुढियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रबंध करेगा।

**धारा 4**

**(क) निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची)–**

धारा [2][(2(ii))] के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी जो इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

**(ख) मतदाताओं का निबंधोकरण–**

(i) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा के निर्वाचक नामावली में निबंधित (पंजीकृत) किये जाने के योग्य है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में निबंधित किए जाने का हकदार होगा;

(ii) परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम सभा की मतदाता सूची में निबंधित किए जाने का हकदार नही होगा;

(iii) परन्तु कोई व्यक्ति मतदाता सूची में निबंधित किए जाने का हकदार नही होगा, यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारों से संबंधित निर्वाचक नामावली में निबंधित है।

(ग) **पंचायत के मतदाता –**

राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग, जो किसी ग्राम पंचायत क प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, में जिन

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम 12, 2003 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रुप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे।

**धारा 5**

**ग्राम सभा की बैठक –**

ग्राम सभा की बैठक समय–समय पर होगी, परन्तु किसी दो बैठकों के बीच का अन्तराल तीन माह से अधिक का नही होगा; परन्तु ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों की लिखित माग किये जाने पर यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो ऐसी अपेक्षा किये जाने के 30 दिनों के भीतर असाधारण बैठक बुलाई जा सकेगी।

**धारा 6**

**बैठकां का संयोजन–**

(i) बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट में चिपका दी जायेगी एवं प्रसार माध्यम (यथा डुगडुगी, ढोल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र) के द्वारा पर्याप्त रुप से जनता के बीच प्रचारित की जायेगी;

(ii) ग्राम सभा की बैठक के संयोजन एवं संचालन का दायित्व मुखिया का होगा। यदि [1][मुखिया] इस अधिनियम के अधीन यथानिर्दिष्ट रीति से बैठक का संयोजन नही कर पाता है, तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पंचायत का विहित पदाधिकारी ऐसी बैठक का संयोजन करेगा;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर बैठक बुलाने में असफल रहने पर वह मुखिया का पद धारण करने से वंचित हो जायेगा;

परन्तु इस उपधारा के अधीन विहित अधिकारी द्वारा मुखिया के विरुद्ध तबतक कोई आदेश पारित नही किया जाएगा, जबतक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दिया जाता है।

**धारा 7**

**गणपूर्ति (कोरम) –**

(i) किसी बैठक के गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की 1/10 भाग की, जिसमें कम से कम 1/3 महिला होगी, संख्या से पूरी होगी;

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में किसी बैठक की गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की 1/3 भाग की, जिसमें कम से कम 1/3 महिला होगी, संख्या से पूरी होगी।

(ii) यदि बैठक हेतु निर्धारित किये गये समय पर गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नही है तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक की ऐसी आगामी तिथि एव समय के लिए स्थगित कर देगा, जैसा की वह निश्चित करे तथा एक नई सूचना विहित रीति में दी जाएगी और ऐसे स्थगित बैठक क लिए गणपूर्ति आवश्यक नही होगी;

परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नही किया जाएगा।

---

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

**धारा 8**

**पीठासीन पदाधिकारी–**

(i) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप–मुखिया करेगा;

(ii) बैठक में मुखिया एवं उप–मुखिया दोनो के अनुपस्थिति की स्थिति में ग्राम सभा को बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उस पयोजन के लिए निर्वाचित किया जाए;

(iii) **अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता–**

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो पंचायत का मुखिया, उप–मुखिया या कोई सदस्य नही हो और उस क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति [1][हो] जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हा, द्वारा अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों [2][के बहुमत] से मनोनीत/समर्थित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

[2][परन्तु यह भी कि जिस ग्राम–सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाने जाते हो गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम–सभा की बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा अथवा यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्य हो तो ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मनोनीत/समर्थित ऐसे व्यक्ति और यदि अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हों, तो ऐसे प्रस्तावित अथवा मनोनीत/समर्थित गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा की जाएगी।]

**धारा 9**

किसी व्यक्ति के ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने के हक के संबंध में विवाद की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, उस ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि के आलोक में, विवाद का अभिनिश्चय करेगा और उसका ऐसा अभिनिश्चय अंतिम होगा।

**धारा 10**

ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य एवं उसकी वार्षिक बैठक–

1. उन नियमा के अधीन जो राज्य सरकार इस हेतु बनाये और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएँ, अधीन रहते हुए, ग्राम सभा के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्–

क. (i) ग्राम के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की पहचान करना तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए सिद्धांतो का निरुपण करना;

---

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 4 द्वारा अतःस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम 12, 2003 – 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 झारखण्ड अधिनियम 12, 2003 – 3 द्वारा अतःस्थापित ।

(ii) समाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजना, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर की सभी वार्षिक योजनाओं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का कियान्वयन करने से पूर्व अनुमोदित करना;

(iii) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार–विमर्श पर उस पर सिफारिशें करना;

(iv) ग्राम पंचायत के अंकेक्षण रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना;

(v) ग्राम पंचायत के द्वारा धारा 10 (1) (क) (2) में विनिर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए निधियां के समुचित उपयोग को अभिनिश्चत करना तथा अभिप्रमाणित करना;

(vi) गरीबी उन्मुलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभुकों के रुप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा चयन करना;

(vii) लाभुकों को निधियों या परिसम्पतियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना;

(viii) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगो को गतिशील करना एवं नगद या जिन्स म या दोनो रुपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना;

(ix) जनसामान्य के बीच सामानय चेतना, एकता एवं सौहार्द में अभिवृद्धि करना;

(x) सामाजिक प्रक्षेत्रों में ऐसी संस्था तथा ऐसी कृतकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अन्तरित या ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किये गये हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियत्रंण करना;

(xi) भूमि, जल, वन जैसे प्राकृतिक स्रोतों, जो ग्राम क्षेत्र की परिसीमा में आते हैं, का संविधान तथा तत्समय प्रवृत अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना;

(xii) ग्राम पंचायत को लघु–जलाशयों कें विनियमन तथा उपयोग में परामर्श देना;

(xiii) स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्रोत्रों एवं व्ययों पर निगरानी रखना;

(xiv) स्वच्छता, सफाई और न्युसेन्स का निवारण और उपशमन;

(xv) सार्वजनिक कुओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा घरेल उपयोग के लिए पेयजल उपलब्ध कराना;

(xvi) नहाने, धोने और पालतु पशुओं को पीने के लिए जल स्रोत्र उपलब्ध कराना एवं उनका अनुरक्षण;

(xvii) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों, बाँधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य संकर्मो तथा भवनों का निर्माण और अनरक्षण;

(xviii) सार्वजनिक सड़कों, सांडासों, नालीयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निर्माण, अनुरक्षण और उनकी सफाई;

(xix) उपयोग में न आने वालो कुओं, अस्वच्छ तालाबों, खाइयों तथा गड्ढ़ों को भरना;

(xx) ग्राम मार्गो और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना;

(xxi) सार्वजनिक मार्गो तथा स्थानो और उन स्थलों में से निजी सम्पत्ति न हो या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हो, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना;

(xxii) मनोरंजन, खेल–तमाशे, दुकानो, भोजनगृहों और पेय पदार्थों, मिठाइयों, फलों, दुध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओ का विनियमन और उस पर नियंत्रण;

(xxiii) मकानों, संडासों, मूत्रालय, नालीयों तथा फ्लश शौचालयों के निर्माण का विनियमन;

(xxiv) सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास;

(xxv) शवों, पशु"शवों (लावारिस शवों और पशु शवों सहित) और अन्य घृणोत्पादक पदार्थो का इस प्रकार व्यवस्था करना ताकि वे अस्वस्थकर न हों;

(xxvi) कचरा इकट्ठा करने क लिए स्थानों की अलग से व्यवस्था करना;

(xxvii) मांस का विक्रय तथा परीक्षण का उत्तरदायित्व;

(xxviii) ग्राम सभा की सम्पत्ति की देखरेख करना;

(xxix) कांजी हाऊस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना;

(xxx) राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए पाचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों की देखरेख और चारागाहों तथा अन्य भूमियों को बनाए रखा जाना जा ग्राम सभा के नियंत्रण में हों;

(xxxi) जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखा को रखा जाना;

(xxxii) केन्द्र या राज्य या विधि पूर्वक गठित अन्य संगठनों द्वारा जनगणना या अन्य सर्वेक्षणों में सहायता करना;

(xxxiii) संक्रामक रोगों की रोकथाम, टीकाकरण आदि कार्यो में सहायता करना;

(xxxiv) अशक्त तथा निराश्रितों (महिला एवं बच्चों सहित) को सहायता करना;

(xxxv) युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेलकुद का विस्तार करना;

(xxxvi) वृक्षारोपन एवं ग्रामवनों का संरक्षण;

(xxxvii) दहेज जैसे सामाजिक बुराईयों को दूर करना;

(xxxviii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गो की दशा सुधारने के लिए एवं अस्पृश्यता निवारण के लिए राज्य सरकार या अन्य सक्षम पदाधिकारी के आदेशों का कार्यान्वयन;

(xxxix) बुनियादी सुविधाओं के लिए याजना बनाना एवं उसका प्रबंध करना;

(xl) अपंग महिलाओं/बच्चों की सहायता करना;

(xli) पंचायत समिति, जिला परिषद् के द्वारा सौपें गए कार्यो को करना;

(xlii) ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर यथाविनिर्दिष्ट स्कीमो के निर्माण कार्य को कियान्वित करना तथ उनका पर्यवेक्षण करना;

(xliii) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या राज्य तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गए अन्य शक्तियों तथा कृत्यों का पालन करना;

(ख) ग्राम सभा ऐस कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी, अर्थात् :–

(i) ग्राम विकास समिति

(ii) सार्वजनिक सम्पदा समिति

(iii) कृषि समिति

(iv) स्वास्थ्य समिति

(v) ग्राम रक्षा समिति

(vi) आधारभूत संरचना समिति

(vii) शिक्षा समिति एवं सामाजिक न्याय समिति

(viii) निगरानी समिति

(ग) स्थानों का आरक्षण, पदावधि, त्यागपत्र, तथा हटाये जाने के लिए प्रकिया, कार्य संचालन, सदस्य, सदस्य होने की पात्रता, बैठक, रिक्ति को भरे जाने का ढंग, सचिव का चयन तथा स्थायी समितियों की प्रकिया ऐसी होगी जैसा विहित प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए;

(घ) ग्राम विकास समिति, ग्राम के सम्पूर्ण विकास के लिए एक योजना तैयार करेगी तथा इसे ग्राम सभा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी;

(ड.) प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा :

(i) अन्न कोष

(ii) श्रम कोष

(iii) वस्तु कोष

(iv) नगद कोष

जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे :–

(क) दान

(ख) प्रोत्साहन राशि

(ग) अन्य आय

(च) ग्राम कोष ऐसी रीति में तथा इस तरह संधारित एवं ऐसे प्रारुप में रखा जाएगा जैसा विहित किया जाए

**2. ग्राम सभा की वार्षिक बैठक**

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की वार्षिक बैठक, जो आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कम–से–कम तीन माह पूर्व किया जाएगा, के समक्ष निम्नलिखित बातें रखेंगी –

(i) वार्षिक लेखा विवरणी, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन, अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन और उसके संबंध म दिये गए उत्तर, यदि कोई हो;

(ii) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्यों से संबंधित कार्यकम;

(iii) ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना;

(iv) निगरानी समिति का प्रतिवेदन;

(v) ग्राम पंचायत के मुखिया और सदस्यों से किसी विशेष कियाकलापों, योजना, आय और व्यय के संबंध में मांगा गया स्पष्टीकरण;

3. ग्राम सभा के समक्ष ग्राम पंचायत ऐसे मामले भी रखेगी, जिन्हें पंचायत समिति, जिला परिषद्, उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी या इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी बैठक के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा करे;

4. ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन अपने समक्ष के मामलों के संबंध में ग्राम सभा द्वारा की गयी सिफारिशा को, यदि कोई हों, तत्समय राज्य सरकार के प्रवृत नियमो के आलोक में कियान्वित करेगी;

5. अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अतिरिक्त शक्तियाँ और कृत्य

(i) व्यक्तियों के परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों सरना, मसना, [1][जाहेर थान] आदि को और विवादों के निराकरण के उनके रुढ़ीगत तरीकों को, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से असंगत न हो, सुरक्षित एवं संरक्षित करेगी एवं आवयकतानुसार इस दिशा में सहयोग के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव विहित रीति से ला सकेगी;

(ii) ग्राम क्षेत्रों के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अर्न्तगत, भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परम्परा के अनुसार परन्तु संविधान के उपबंधों के अनुरुप तथा तत्समय प्रवृत अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबंध कर सकेगी;

(iii) स्थानीय योजनाओं, जिनमें जनजातियों उप–योजना सम्मिलित है, ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों एवं व्ययों का प्रबोधन कर सकेगी;

(iv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों, जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त (Delegate) करे का पालन करेगी;

(v) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्रामों के बाजारों, तथा मेलों जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी नाम से जानी जाएँ, प्रबंध करेगी।

6. **धारा 10 (1) (क)** में विनिर्दिष्ट कृत्य तथा धारा 10 (5) में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अतिरिक्त शक्तियों एवं कृत्यों के अलावा राज्य सरकार समय–समय पर अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को अन्य अतिरिक्त शक्तियाँ तथा कृत्य निर्धारित कर सकेगी।

7. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा ग्राम पंचायत इनकी सिफारिशा को तत्समय प्रवृत नियमो के आलोक में कार्यान्वित करेगी।

8. धारा 10 (1) (क) तथा धारा 10 (5) में ग्राम सभा के वर्णित कृत्य तत्समय प्रवृत सरकार के अधिनियमा/नियमा एवं उनके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नही करेगी ।

---

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

9. राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम सभा को सौंपे गये कृत्यों में तथा कर्तव्यों में वृद्धि कर सकेगी या उन्हें वापस ले सकेगी।

## अध्याय–3

## पंचायतों का गठन

**धारा 11**

**पंचायतों का गठन – इस अधिनियम के उद्देशयों के लिए**

1. ग्राम के लिए ग्राम पंचायत
2. प्रखंड के लिए पंचायत समिति और
3. जिला के लिए जिला परिषद् का गठन किया जाएगा।

### टिप्पणी (धारा–11)

1. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था धारा (11) में पंचायत राज व्यवस्था को तीन स्तरों पर स्थापित कर के पंचायतों की स्थापना की गयी है। विधि द्वारा पंचायत राज प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत और उसके क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम सभा की स्थापना से पंचायत राज व्यवस्था में विनिर्दिष्ट ग्राम की प्रशासनिक एवं विकास कार्य में सहभागिता सुनिश्चित की गयी है और ग्राम पंचायत को पंचायत समिति से एवं पंचायत समिति को जिला परिषद् से जोड़ा गया है। किन्तु इनका स्वतंत्र अस्तित्व है एवं अलग–अलग कानूनी निकाय है तथा इनके अलग–अलग कृत्य है।

**धारा 12**

ग्राम पंचायत

[1][प्रत्येक ऐसा ग्राम जो धारा 2(ii) के अर्न्तगत इस अधिनियम के उद्देश्यो के लिए ग्राम के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है, एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत होगा ।]

**धारा 13**

ग्राम पंचायत क्षेत्र की घाषणा –

1. राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन जिला दण्डाधीकारी जिला गजट में अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को जिसमें कोई गांव या निकटस्थ गांव/टोलों के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा, जिसके क्षेत्र की जनसंख्या सम्पूर्ण राज्य के लिए यथासंभव पांच हजार के निकटतम होगी।
2. सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम पंचायत के रुप में विनिर्दिष्ट किया जायगा।

1 झारखण्ड अधिनियम 12, 2003 – 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. जिला दण्डाधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी भी समय –

(क) किसी पंचायत के क्षेत्र में किसी गांव या गांवा/टोलों क समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर परिष्कार कर सकती है।

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है या यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नही रह गया है।

4. राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है तो उपधारा (1),(2) और (3) के अधीन घोषित किसी ग्राम पंचायत की वैधिकता एवं औचित्य का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस निमित संगत अभिलेखों की मांग कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन आयोग उचित एवं युक्तियुक्त समझे;

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 66(4) के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि अधिसूचित किये जाने के पश्चात आयोग ऐसे किसी नए मामलों पर विचार नही करेगा।

**धारा 14**

**ग्राम पंचायत का निगमन –**

प्रत्येक ग्राम पंचायत उस नाम से जो ग्राम के लिए धारा (3) के अधीन आदेश में विनिदिष्ट किया गया है, एक निगमित निकाय होगी, उनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी और जिसे उस ग्राम की सीमा के भीतर और उसके बाहर की राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरुप तथा तत्समय प्रवृत अन्य अधिनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चल और अचल संपत्ति अर्जित करने, रखने एवं अन्तरित करने का अधिकार हागा, जिस पर उसका प्राधिकार हो और वह अपने निगमित नाम से वाद चलायेगा एवं उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

**धारा 15**

**ग्राम पंचायत की संरचना –**

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित सदस्यों तथा मुखिया से मिलकर बनेगा।

2. इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम पंचायत को जिला गजट में अधिसूचित किया जाएगा तथा अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से जिससे गणपुर्ति विद्यमान हो, प्रभावी होगा।

**धारा 16**

ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में विभाजन –

[1][(i)] चुनाव के सुविधा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार जिला दण्डाधिकारी द्वारा यथाविहित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में ऐसी

---

1 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

रीति से विभक्त करेगी, कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी यथासंभव 500 की जनसंख्या के निकटतम हो एवं यथासाध्य सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक ही हों।

[1][(ii) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जायेगा ।]

**धारा 17**

**ग्राम पंचायत के स्थानों का आरक्षण**

**(क) ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए (सामान्य क्षेत्र में)**

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में

(क) अनुसूचित जातियों और

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएँगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा, जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान उस पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डो) के लिए विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किए जाएंगे।

2. किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्मिलित आरक्षण कुल सदस्यों की संख्या के 50% से कम रहने की स्थिति में 50% के अवशेषों का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में किया जायगा, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का सम्मिलित आरक्षण कुल पदों की संख्या के 50 % से अधिक नही होगी।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित स्थानों में से [3][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

4. प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वालो स्थानों की कुल संख्या के [3][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान (जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, और ऐसे स्थान विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किए जाएंगे।

5. ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डो) को जिनमें अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं है, उन्हें यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन के लिए [2][विहित रीति से] अपवर्जित कर दिया जाएगा।

---

1 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

## (ख) ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए (अनुसूचित क्षेत्र में)

1. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत में अपनी–अपनी जनसंख्या के आधार पर होगा;

   परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा,

2. अनुसूचित क्षेत्रों ग्राम पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस ग्राम पंचायत के समस्त स्थानो के अस्सी प्रतिशत स्थानों से अधिक नही होगी।

3. उपधारा (1) तथा (2) के द्वारा आरक्षित स्थानों में से [1][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

4. संबंधित ग्राम पंचायत के कुल स्थान का [1][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

5. उपर्युक्त उपधाराओं में पदों का आरक्षण, विहित रीति से चक्रानुक्रम में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किया जाएगा।

6. उन अनुसूचित क्षेत्रों में कि ग्राम पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से विहित रीति में अपवर्जित कर दिया जायेगा।

7. ऐसे ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डो) को जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की कोई जनसंख्या नहीं है, उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

**धारा 18**

**मत देने एवं उम्मीदवार होने की पात्रता –**

(i) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के जिसमें वह ग्राम समाविष्ट है, पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य होगा।

(ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, [2][उस पंचायत अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है ।]

---

1. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित
2 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iii) एक साथ सदस्यता का प्रतिबंध – कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्डों) से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा।

**धारा 19**

**ग्राम पंचायत का पदधारी होने के लिए अयोग्यताएं –**

कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का पदधारी होने के योग्य नहीं होगा –

(क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात् –

(1) तत्समय प्रवृत 'सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स' (सिविल सेवा आचरण अधिनियम) के अधीन या नशीले पदार्थों के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, जबतक कि उसके दोष सिद्ध होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में निर्धारित करे, व्यतीत न हो चुकी हो;

(2) जो पागल हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो;

(3) जो दिवालिया घोषित हो;

(4) जो किसी पंचायत के अधीन कोई लाभकारी पदधारक हो, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की, या किसी सहकारी समिति की, या राज्य सरकार, या केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत हो;

(5) जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की या किसी पंचायत की या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी सहकारी समिति की या किसी केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा कर्तव्यहीनता के कारण अपदस्थ कर दिया गया हो;

(6) जो पंचायत के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता हो;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को उपधारा (ख) के खण्ड (6) के अधीन केवल इस कारण से अयोग्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि –

(क) किसी JOINT STOCK COMPANY में उसका अंश है, तत्समय प्रवृत राज्य के सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन निबंधित किसी संस्था में या सहकारी समिति में जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाएगा, उसका कोई अंश या हित है; या

(ख) ऐसे किसी समाचार पत्र में, जिसमें पंचायत के कार्यकलाप से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है; या

(ग) वह पंचायत द्वारा या इसकी ओर से कोई डिवेंचर धारित करता है या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से लिए गए किसी उधार से अन्यथा संबंधित है;

(7) राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन आयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है;

(8) भारत के भोतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास या दण्ड पा चुका हो, कदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो, और आदेश बाद में उलटा ना गया हो।

**धारा 20**

**मुखिया का निर्वाचन –**

(i) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया होगा,

(ii) कोई व्यक्ति जो,

(क) मुखिया या सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने के योग्य है,

(ख) संसद के किसी भी सदन का सदस्य, या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है और

(ग) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है।

धारा (21) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मुखिया के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनका नाम ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में सम्मिलित है, ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित किया जाएगा।

**धारा 21**

**(क) मुखिया [1][----------] के पदों का आरक्षण (सामान्य क्षेत्र में) –**

[2][1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगी, अर्थात :–

"(i) सामान्य क्षेत्रों (गैर अनुसूचित क्षेत्रों) में, मुखिया का पद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथियों के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगा और ऐसे पदों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति में चकानुकम द्वारा आवंटित किया जाएगा ।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पचास प्रतिशत से कम पदों के आरक्षण की दशा में, शेष पदों को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाएग, किंतु किसी भ्झी दशा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) इस उपधारा के खण्ड (i) और खंड (ii) के अधीन आरक्षित कुल पदों में से, पचास प्रतिशत से अन्यून पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

(iv) मुखिया के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अन्यून पद (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलओं के लिए आरक्षित पद भी हैं) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे और ऐसा पद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों को विहित रीति में चकानुकम द्वारा सम्यक रूप से आवंटित किया जाएगा ।]

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 3 द्वारा विलोपित ।
2. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

2. यदि किसी ग्राम पंचायत का मुखिया संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य या किसी सरकारी समिति का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद उस तिथि से रिक्त कर दिया है, जिस तिथि को वह ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुआ है तथा धारा (63) के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

3. इस धारा में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी मुखिया को इस अधिनियम समस्त प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जाएगा।

**(ख) ग्राम पंचायत में मुखिया [3][-------] क पदों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) –**

[1][(i)] [2][अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के मुखिया का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगें;

परन्तु यह भी कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में के ग्राम पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के मुखिया के लिए आरक्षित पदों के आवटन से विहित रीति में अपवर्जन कर दिया जायेगा ।]

[1][(ii) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत समिति के [2][ग्राम पंचायतों के मुखिया के समस्त पदों] के [4][पचास प्रतिशत] से अन्यून स्थान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसे स्थान यथा विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चक्रानुक्रम से आवंटित किया जायेगा ।]

**धारा 22**

**उप–मुखिया का निर्वाचन –**

(क) विहित प्राधिकारी प्रत्येक चुनाव के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उप–मुखिया के निर्वाचन के लिए निर्वाचित सदस्यों तथा मुखिया की एक बैठक बुलाएगा और उपधारा (ग), (घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत इस प्रकार बुलाए गए बैठक में उसके निर्वाचित सदस्यों में से एक उप–मुखिया का निर्वाचन बहुमत द्वारा करेगा।

(ख) उप–मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मखिया मतदाता नहीं होगा, परन्तु मतों के बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकेगा।

(ग) यदि उप–मुखिया संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो जाता है तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति उप–मुखिया के रूप में अपना पद उस तिथि से रिक्त कर दिया है जिस तिथि को वह सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुआ है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में धारा (63) के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

[5][(घ) सामान्य क्षेत्रों और साथ ही, अनुसूचित क्षेत्रों में उपमुखिया के पद को अनारक्षित रखा जाएगा या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।]

---

1 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम, 12, 2003 – 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 3(i) द्वारा विलोपित ।
4. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 3(ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा 23

**नाम प्रकाशन की अधिसूचना –**

मुखिया, उप–मुखिया और सदस्यों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए उनका नाम प्रकाशित किया जाएगा।

धारा 24

**प्रथम बैठक, पद की शपथ और पदावधि –**

1. ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक धारा (23) के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। ऐसी बैठक विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और बैठक के संबंध में धारा (69) के उपबंध यथाशक्य उक्त बैठक में लागू होंगे।

2. (क) पद की शपथ – प्रत्येक व्यक्ति धारा (23) के द्वारा अधिसूचित पद पर आसीन होने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जैसा विहित किया जाए, विहित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो उपयुक्त रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकार करें, या समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।

3. ग्राम पंचायत के पदधारी प्रथम बैठक की तारीख से पाँच वर्ष के लिए पदधारण करेंगे, इससे अधिक नही;

परन्तु इस उपधारा के अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी ग्राम पंचायत का पदधारक होने वाला प्रत्येक व्यक्ति –

(क) उस गाम पंचायत क्षेत्र का मतदाता न रहने पर; या

(ख) उस राज्य विधान मंडल के सदस्य या संसद के किसी सदन के सदस्य होने की स्थिति पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा;

(ग) प्रत्येक उप–मुखिया, यदि वह किसी कारण ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाए तो वह अपने पद को खाली कर देगा।

4. यदि उपधारा (3) में वर्णित अवधि की समाप्ति के पूर्व, ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उस पंचायत के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे।

धारा 25

**ग्राम पंचायत की कार्यावधि –**

(i) प्रत्येक ग्राम पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया गया है, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियम तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक न कि इसे अधिक बना रहेगा।

(ii) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व, और

(ख) उसके विघटन की दशा में, उसके विघटन की तिथि से छः महीने की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा,

परन्तु यह जहां ऐसी शेष अवधि जो छः महीने से कम है, के लिए कोई विधटित पंचायत बनी रहती तो वैसी अवधि के लिए उस ग्राम पंचायत के गठन हेतु उपधारा के अधीन निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) किसी ग्राम पंचायत की अवधि के अवसान के पूर्व उस ग्राम पंचायत के विघटन पर गठित की गयी, कोई ग्राम पंचायत उस अवधि के केवल उतने शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती, तो वह उपधारा (1) के अधीन बनी रहती।

**धारा 26**

**मुखिया एवं उप–मुखिया के विरुद्ध अविश्वास का पस्ताव –**

1. यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम–से–कम तीन चौथाई बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक है, के पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर दिए जाने पर वह मुखिया या उप–मुखिया जिसके विरुद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

2. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी कोई मुखिया या उप–मुखिया अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हेतु बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा तथा यह बैठक विहित रीति में संयाजित की जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सरकारी पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। यथास्थिति मुखिया या उप–मुखिया को बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

3. किसी मुखिया या उप–मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव –

(क) उनके पदावधि के प्रथम वर्ष में नहीं लाया जाएगा;

(ख) उनके पदावधि की समाप्ति की तिथि से छः माह पूर्व नहीं लाया जाएगा;

(ग) पूर्व के अविश्वास प्रस्ताव के नामंजूर किये जाने के तिथि के एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा;

(घ) यदि यथास्थिति मुखिया या उप–मुखिया उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की न्यायसंगता को चुनौती देने की इच्छा प्रकट करता है तो वह उस तिथि से जिस तिथि को ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था 10 दिनों के भीतर [1][राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग] को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

1 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा 27

**मुखिया एवं उप–मुखिया का पद का एक साथ रिक्त होना –**

1. यदि किसी ग्राम पंचायत में मुखिया या उप–मुखिया का पद एक साथ रिक्त हो जाता है तो संबद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, इस प्रकार की स्थिति होने के पंद्रह दिनों के अंदर, उप–मुखिया के चुनाव हेतु सदस्यों की बैठक बुलाएगा।

2. ऐसी बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी करगा, परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

3. उप–मुखिया के चुनाव में मतों की बराबरी की स्थिति में परिणाम लॉट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

धारा 28

**ग्राम पंचायतों के पदधारको का वापस बुलाया जाना –**

1. विहित प्रक्रिया द्वारा ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्य के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को वापस बुलाया जा सकेगा और मुखिया द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा;

   परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाएगी जब कि ग्राम सभा के सदस्यों के कुल संख्या के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अभ्यावेदन जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त को प्रस्तुत कर दिया जाए;

   परन्तु यह और भी कि ऐसी कोई प्रक्रिया तबतक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक–

   (क) ऐसे निर्वाचित मुखिया के कार्यकाल का ढाई वर्ष पूरा नहीं हुआ हो;

   (ख) उप–चुनाव में निर्वाचित मुखिया की अवधि समाप्त न हो गई हो।

2. किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन करने वाली ग्राम सभा, जिसके लिए सदस्य निर्वाचत किया जाय, के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा उसे वापस बुला लिया जाए।

3. किसी सदस्य के वापस बुलाए जाने क संबंध में उपधारा (1) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

4. वापस बुलाये जाने की वैधता पर, यदि यथास्थिति कोई मुखिया या सदस्य (पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन) आक्षेप करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह अपने पद रिक्त करने की तिथि से दस दिनों के अन्दर विवाद को जिला दंडाधिकारी के समक्ष रखेगा, जो प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अन्दर उसे विनिश्चत करेगा ओर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

**धारा 29**

**मुखिया, उप–मुखिया या सदस्यों का त्यागपत्र –**

1. मुखिया या उप–मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।
2. उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उसके प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा, यदि इस पंद्रह दिनों की अवधि में वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले ले।
3. ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा और उसका पद ऐसे त्यागपत्र की तिथि से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर खाली हो जाएगा;
4. उपधारा (3) के अधीन त्यागपत्र देने वाला सदस्य मुखिया को उसकी प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की समाप्ति के पूर्व स्वयं लिखकर ऐसा त्यागपत्र वापस ले सकता है।

**धारा 30**

**मुखिया एवं उप–मुखिया को पदच्युत किया जाना –**

इस अधिनियम के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई मुखिया/उप–मुखिया अपन कर्तव्यों मे कदाचार या उपेक्षा या अपने कर्तव्यों के पालन में अक्षमता या उसके निर्वहन में लगातार शिथिलता या किसी निकृष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकेगा और इस तरह पदच्युत मुखिया/उप–मुखिया ऐसे ग्राम पंचायत में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुखिया या सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि ऐसे किसी मुखिया/उप–मुखिया को अपने पद से तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाए।

**धारा 31**

**वहिर्गामी मुखिया द्वारा कार्य भार का सौंपा जाना –**

1. नए निर्वाचित मुखिया के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने धारा (24) में यथा उपबंधित प्रथम बैठक की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
2. यदि बहिर्गामी मुखिया अपने कब्जे में कोई कागज पत्र या सम्पत्ति नए निवार्चित मुखिया को नहीं सौंपता है, या सौंपने से इन्कार करता है, तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा बहिर्गामी मुखिया को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे समस्त कागज पत्र या सम्पत्ति, जो ऐसे मुखिया के हैसियत से उसके कब्जे में है, यथास्थिति नए मुखिया, उप–मुखिया या ग्राम पंचायत के सचिव को तत्काल सौंप द।
3. यदि बहिर्गामी मुखिया उपधारा (2) के अधीन निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, तो विहित प्राधिकारी धारा (111) के अधीन अभियोजन आरम्भ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

4. ऐसा मुखिया, जिसके विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही की गई और जिसको दोषी पाया गया है, दोषी पाये जाने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि के लिए पंचायत का सदस्य या पदधारी होने के लिए अयोग्य समझा जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसी अयोग्यता हटायी जा सकेगी, या उसकी अवधि में कमी की जा सकेगी।

**पंचायत समिति**

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की धारा (11) में पंचायत समिति मध्यवर्ती कड़ी है।

**धारा 32**

**पंचायत समिति –**

राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी जिले को प्रखण्डों में विभाजित कर सकेगा। अधिसूचना में प्रत्येक ऐसे प्रखण्ड का नाम, उसका मुख्यालय और समाविष्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक प्रखण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी जो उस प्रखण्ड के नाम से जानी जाएगी तथा इसकी अधिकारिता में प्रखण्ड का वह क्षेत्र शामिल नहीं होगा जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र या कैन्टोनमेंट बोर्ड के अन्तर्गत है।

**धारा 33**

**पंचायत समिति का गठन –**

1. प्रत्येक पंचायत समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) इस अधिनियम के अधीन यथानिर्धारित पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य।

(ख) पंचायत समिति के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा तथा राज्य विधान सभा का सदस्य;

परन्तु लोक सभा या विधान सभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन पूर्णतया नागरीय क्षेत्र में पड़ता है, पंचायत समिति का सदस्य नहीं होगा,

परन्तु यह और भी कि लोक सभा या राज्य सभा, या राज्य विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य जो पंचायत समिति का सदस्य है यदि वह अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपना ऐसा प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेगा जिसके पास ऐसी योग्यताएँ है जैसा कि विहित किया जाए।

(ग) वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका नाम पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत मतदाता के रूप में दर्ज हो।

(घ) पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के मुखियों का 1/5वां भाग चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए जैसा कि विहित अधिकारी द्वारा लॉट निकालकर निर्धारित किया जाएगा।

परन्तु कोई भी मुखिया जो इस पंचायत समिति के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य है, दूसरे अवधि के लिए सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और भी कि कोई मुखिया इस पंचायत समिति के अधीन सदस्य है, धारा (72) के अधीन पंचायत समिति के स्थायी समितियों का सदस्य नहीं होगा।

(ङ) पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत के एक विशिष्ट व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मनोनीत करे;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी;

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य पंचायत समिति का पदधारी नहीं हो सकेगा।

2. पंचायत समिति के सभी सदस्यों को समिति की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा;

3. यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है, तो उस स्थान को भरने के लिये ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नयी निर्वाचन कार्रवाई छः माह के भीतर प्रारम्भ कर दी जाएगी;

परन्तु पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियाँ इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन लम्बित होने क कारण रोकी नहीं जाएगी;

परन्तु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः किसी सदस्य का निर्वाचन नहीं करता है तो ऐसे निर्वाचन में नई निर्वाचन की कार्यवाहियाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह समाधान हो जाने के उपरान्त ही कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य का निर्वाचन किए जाने की संभावना है, तभी प्रारम्भ की जाएगी।

**धारा 34**

**पंचायत समिति का निगमन –**

प्रत्येक पंचायत समिति अपने पंचायत समिति के नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं जिसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हो और अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उस पर वाद चलाये जाने की अथवा अपने प्राधिकारिता की परिसीमाओं के भीतर या बाहरी क्षेत्र में चल या अचल सम्पत्ति को अर्जित, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदा करने की और जिस निमित इसका गठन किया गया है, इसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति उसमें निहित होगी।

**धारा 35**

**पंचायत समिति का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन –**

1. पंचायत समिति को उतने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकेगा जिसकी संख्या समय–समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी और ऐसा पंचायत समिति का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र यथासभंव पाँच हजार के जनसंख्या के निकटतम का होगा।

2. निर्वाचन की सुविधा की दृष्टि से विहित प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा इसके संदर्भ म यथा विहित नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस रीति से विभाजित करेगा कि संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्रों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या समान अनुपात में हो।

3. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

**धारा 36**

**(क) पंचायत समिति के स्थानों का आरक्षण (सामान्य क्षेत्र में) –**

1. प्रत्येक पंचायत समिति में

   (क) अनुसूचित जाति; और

   (ख) अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएँगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा, जो उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान किसी पंचायत समिति में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किए जाएगें;

   परन्तु उस पंचायत समिति क्षेत्र का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसे पंचायत समिति के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस पंचायत समिति के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी।

2. किसी पंचायत समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित आरक्षण कुल सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में 50 प्रतिशत पदों के अवशेष पदों का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत समिति क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, जो विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किया जा सकेगा;

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का सम्मिलित आरक्षण कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. उपधारा (1) एवं (2) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के कम–से–कम [3][पचास प्रतिशत] स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

4. [1][प्रत्येक पंचायत समिति] में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम–से–कम [3][पचास प्रतिशत] (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखें जाएंगे और ऐसे स्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम में आवटित किए जा सकेंगे।

5. ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को जिनमे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की कोई जनसंख्या नहीं है, उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के [2][आवटन के लिए विहित रीति से] अपविर्जत कर दिया जाएगा।

6. राज्य सरकार पंचायत समिति स्तर पर संबंधित पंचायत क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रदद करने के लिए भी सक्षम होगी;

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य पंचायत समिति का पदधारी नहीं हो सकेगा।

**(ख) पंचायत समिति के स्थानों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) –**

1. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत समिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत समिति में अपनी–अपनी जनसंख्या के आधार पर होगा;

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा,

2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचयात समिति में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जायेगें जा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हो, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ

1 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 12 (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम, 07, 2002 – 12 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मिलकर उस पंचायत समिति के समस्त स्थानों के अस्सी प्रतिशत स्थानों से अधिक नहीं होगी।

3. उपधारा (1) तथा (2) के द्वारा आरक्षित स्थानों में से [1][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

4. संबंधित पंचायत समिति के कुल स्थान का [1][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

5. उपर्युक्त उपधाराओं में पदों का आरक्षण, विहित रीति से चक्रानुक्रम में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किया जाएगा।

6. ऐसे पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की कोई जनसंख्या नहीं है, उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

7. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है;

परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत समिति में निर्वाचित किये जाने वाली कुल सदस्यों के दसमांश से अधिक नहीं होगा।

8. राज्य सरकार पंचायत समिति स्तर पर संबंधित पंचायत क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रदद् करने के लिए भी सक्षम होगी;

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य पंचायत समिति का पदधारी नहीं हा सकेगा।

**धारा 37**

**मत देने एवं उम्मीदवार होने की पात्रता –**

1. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के जिसके क्षेत्र में वह ग्राम समाविष्ट है, उस पंचायत समिति के पदधारी के

---

1. झारखण्ड अधिनियम, 33, 2010 – 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य होगा।

2. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, [1][उस पंचायत समिति अथवा उसके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा जिसके मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है]

3. एक साथ सदस्यता का प्रतिबंध – कोई व्यक्ति किसी पंचायत समिति के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा।

**धारा 38**

**पंचायत समिति का पदधारी होने के लिए अयोग्यताएं –**

कोई व्यक्ति पंचायत समिति का पदधारी होने के योग्य नहीं होगा –

(क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात् –

(1) तत्समय प्रवृत 'सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स' (सिविल सेवा आचरण अधिनियम) के अधीन या नशीले पदार्थों के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंन्धित किसी विधि के; अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, जबतक कि उसके दोष सिद्ध होने की तिथि से पाच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामलें में निर्धारित करे, व्यतीत न हो चुकी हो।

(2) जो पागल हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो,

(3) जो दिवालिया घोषित हो;

(4) जो किसी पंचायत के अधीन कोई लाभकारी पदधारक हो, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की, या किसी सहकारी समिति की, या राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, या केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत हो;

(5) जो राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार की या किसी पंचायत की या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी सहकारी समिति की या किसी केंन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा कर्त्तव्यहीनता के कारण अपदस्थ कर दिया गया हो;

(6) जो पंचायत के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता हो;

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु किसी भी व्यक्ति को उपधारा (ख) के खण्ड (6) के अधीन केवल इस कारण से अयोग्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि –

(क) किसी JOINT STOCK COMPANY में उसका अंश है, तत्समय प्रवृत राज्य के सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन निबंधित किसी संस्था में या सहकारी समिति में जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाएगा, उसका कोई अंश या हित है; या

(ख) ऐसे किसी समाचार–पत्र में, जिसम पंचायत के कार्यकलाप से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है; या

(ग) वह पंचायत द्वारा या इसकी ओर से कोई डिवेंचर धारित करता है या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से लिए गए किसी उधार से अन्यथा संबंधित है;

(7) राज्य विधानसभा के निर्वाचन के प्रयोजनाथ तत्समय प्रवृत किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है;

(8) भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास या दंड पा चुका हो, कदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और आदेश बाद में उल्टा ना गया हो।

**धारा 39**

**प्रमुख एवं उप–प्रमुख का निर्वाचन –**

विहित प्राधिकारी पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र पंचायत समिति के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की एक बैठक प्रमुख तथा उप–प्रमुख के निर्वाचन करने के लिए बुलाएगा।

**धारा 40**

**(क) प्रमुख एवं उप–प्रमुख के पदों का आरक्षण (सामान्य क्षेत्र में) –**

[1][1. प्रमुख के पद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित रीति अपनाई जाएगी, अर्थात –

(i) सामान्य क्षेत्रों (गैर अनुसूचित क्षेत्रों) में, जिले के प्रमुख के पदों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगी और ऐसे पदों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुक्रम द्वारा आवंटित किया जाएगा ।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पचास प्रतिशत से कम पदों के आरक्षण की दशा में, शेष पदों को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित प्रमुख के पदों की कुल संख्या, कुल पद के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) इस उपधारा के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन आरक्षित कुल पदों में से, पचास प्रतिशत से अन्यून पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलओं के लिए आरक्षित होंगे ।

(iv) जिला में प्रमुख के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अन्यून पद (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी हैं) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे पदों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जिले में प्रमुख के कुल पदों को ध्यान में रखते हुए विहित रीति से चकानुक्रम द्वारा आवंटित किया जाएगा ।

(v) उप प्रमुख के पद को अनारक्षित रखा जाएगा या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।]

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. राज्य सरकार आरक्षण के संबंध में विधिसम्मत प्रावधान करने में सक्षम होगी।

3. उपधारा (1) एवं (2) के अध्यधीन रहते हुए पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप–प्रमुख, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से विहित रीति से निर्वाचित किए जाऐंगे।

4. यदि किसी पंचायत समिति का प्रमुख/उप–प्रमुख संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति प्रमुख/उप–प्रमुख के रूप में अपना पद उस तिथि से रिक्त कर दिया है, जिस तिथि को वह ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुआ है तथा धारा (63) के प्रयोजन के लिए समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

**(ख) पंचायत समिति में प्रमुख एवं उप–प्रमुख के पदों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) –**

[1][अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समिति के प्रमुख का पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे;]

[2][परन्तु यह कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक जिले के [1][प्रमुख के समस्त पदों] की कुल संख्या के [3][पचास प्रतिशत] से अन्यून पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसे स्थान यथा विहित रीति से जिला के विभिन्न पंचायत समितियों मं चकानुकम से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित किए जायेंगे]

**धारा 41**

**पंचायत समिति के सदस्यों, प्रमुख तथा उप–प्रमुख के नाम प्रकाशन की अधिसूचना–**

पंचायत समिति के सदस्यां, प्रमुख एवं उप–प्रमुख के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए, प्रकाशित किए जाएगें।

**धारा 42**

**पंचायत समिति की प्रथम बैठक, पद की शपथ एवं पदधारी –**

1. पंचायत समिति की प्रथम बैठक धारा (41) के अधीन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, ऐसी बैठक विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाई जाएगी और बैठक के संबंध में धारा (69) के उपबंध यथाशक्य उक्त बैठक के लिए लागू होंगे,

2. (क) पद की शपथ – प्रत्येक व्यक्ति धारा (41) के द्वारा अधिसूचित पद पर आसीन होने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा विहित किया जाए, विहित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) किसी एसे सदस्य के संबंध में जो उपयुक्त रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकार करे, यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।

1 झारखण्ड अधिनियम 12, 2003 –6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
3. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. इस अधिनियम में जबतक अन्यथा उपबंधित न हो, पंचायत समिति का कोई पदधारी प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्षों के लिए पद धारण करेगें, इससे अधिक नहीं;

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, पंचायत समिति का कोई पदधारी प्रखण्ड के भीतर की ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता न रहने पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

4. उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत समिति नए रूप में गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि के समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः मास से अनधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर पंचायत समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अनसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे।

**धारा 43**

**प्रमुख एवं उप–प्रमुख के विरूद्ध अवश्विास प्रस्ताव –**

1. यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम–से–कम तीन चौथाई बहुमत से जो तत्समय पंचायत समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अधिक है, के संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत समिति द्वारा पारित कर दिए जाने पर वह प्रमुख या उप–प्रमुख जिसके विरूद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

2. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रमुख या उप–प्रमुख अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हेतु बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा तथा यह बैठक विहित रीति से आयोजित की जाएगी तथा उसकी अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सरकारी पदाधिकारी द्वारा की जाएगी, यथास्थिति प्रमुख या उप–प्रमुख को उस बैठक में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

3. (क) किसी प्रमुख या उप–प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके पदावधि के प्रथम वर्ष में नहीं लाया जाएगा;

(ख) उनके पदावधि की समाप्ति की तिथि से छः माह पूर्व नहीं लाया जाएगा;

(ग) पूर्व के अविश्वास प्रस्ताव के नामंजूर किये जाने की तिथि के एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा;

(घ) यदि यथास्थिति प्रमुख या उप–प्रमुख उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये प्रस्ताव की न्यायसंगता को चुनौती देने की इच्छा प्रकट करता है, तो वह उस तिथि से जिस तिथि को ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया, के दस दिनों के भीतर [1][राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग] को विवाद

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

**धारा 44**

**प्रमुख एवं उप–प्रमुख एवं सदस्य का त्यागपत्र –**

1. प्रमुख किसी भी समय अनुमंडल दंडाधिकारी को स्वयं लिख कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

2. उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को उसके प्राप्ति को तिथि से 15 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा, यदि उस 15 दिनों की अवधि में वह अनुमंडल दंडाधिकारी को स्वयं लिखकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले ले।

3. उप–प्रमुख किसी भी समय अपने पद स प्रमुख या उसकी अनुपस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी को स्वयं लिखकर त्यागपत्र दे सकेगा।

4. उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र प्रमुख या अनमंडल दंडाधिकारी को उसके प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा यदि 15 दिनों की अवधि में वह प्रमुख या अनुमंडल दंडाधिकारी को लिखकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले ले।

5. पंचायत समिति का सदस्य अपने प्रमुख को स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

6. उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र प्रमुख को उसके प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा यदि इन 15 दिनों की अवधि में वह प्रमुख को स्वयं लिखकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले ले।

**धारा 45**

**प्रमुख, उप–प्रमुख को पदच्युत किया जाना –**

इस अधिनियम के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई प्रमुख/उप–प्रमुख अपने कर्तव्यों में कदाचार या उपेक्षा या अपने कर्तव्यों के पालन में अक्षमता या उसके निर्वहन में लगातार शिथिलता या किसी निकृष्ट आचरण का दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकेगा और इस तरह पदच्युत प्रमुख/उप–प्रमुख ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र में उसकी शेष पदावधि के दौरान सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी प्रमख या उप–प्रमुख को अपने पद से तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

**धारा 46**

**पंचायत समिति की कार्यावधि –**

1. इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है, को छोड़कर प्रत्येक पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की तिथि से आगे पांच वर्षों तक की होगी, इससे अधिक की नहीं;

2. तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी प्रकार के संशोधन से पंचायत समिति जो ऐसे संशोधन के तुरन्त पहले से कार्य कर रही हो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी।

3. किसी पंचायत समिति के गठन संबंधी निर्वाचन कार्य निम्नलिखित रूप में पूरा कर लिया जाएगा,

   (क) उपधारा (1) विनिर्दिष्ट पंचायत समिति की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व,

   (ख) विघटन की स्थिति में, पंचायत समिति के विघटन की तिथि से छः माह की अवधि के समाप्ति के पूर्व,

   परन्तु यह कि जिस कार्यावधि तक विघटित पंचायत समिति कार्यरत रहती यदि वह शेष अवधि छः माह से कम हो तो, ऐसी अवधि के लिए पंचायत समिति के गठन के लिए इस धारा के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

4. यदि किसी पंचायत समिति के कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व उसे विघटित कर किसी पंचायत समिति का गठन किया जाता हैं तो उक्त गठित समिति विघटित समिति की शेष अवधि तक, जब तक कि वह उपखंड (1) के अधीन कार्यरत रहती और उसे यथा विघटित नहीं किया जाता, ही कार्यरत रहेगी।

**जिला परिषद् –**

**जिला परिषद् त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की उच्चतम कड़ी है।**

**धारा 47**

प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद् होगी, जिसकी अधिकारिता इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है, उसे छोड़ कर, सम्पूर्ण जिला में होगी किन्तु इसमे जिला के वे भाग शामिल नही होंगे जो किसी नगरपालिका में शामिल हो, किसी नगर निगम के प्राधिकार के अधीन हो अथवा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित कैन्टोनमेन्ट बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्तर्गत हों।

**धारा 48**

**जिला परिषद् का निगमन –**

प्रत्येक जिला परिषद् अपने जिला परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा एवं इसकी एक सामान्य मुहर होगी, तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हो और अपने निगमित नाम से वाद चलाने, या उस पर वाद चलाये जाने की अथवा अपनी प्राधिकारिता की परिसीमाओं के भीतरी या बाहरी

क्षेत्र में चल या अचल सम्पति को अर्जित, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएँ करने की और जिस निमित इसका गठन किया गया है, इसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति उसमें निहित होगी।

**धारा 49**

**जिला परिषद् की संरचना –**

1. प्रत्येक जिला परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(क) जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने गये सदस्य, जैसा कि अधिनियम में अवधारित है।

(ख) जिले के सभी पंचायत समिति के प्रमुख परन्तु पंचायत समिति का वह प्रमुख जो परिषद् के अधीन सदस्य है धारा (72) के अधीन स्थायी समिति का सदस्य नही होगा।

(ग) लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के वैसे सदस्य जो जिला के किसी भाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हा और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो।

(घ) राज्य सभा के वैसे सदस्य जो जिले के अन्तर्गत निर्वाचन के रूप में पंजीकृत हो; परन्तु यह भी कि संसद या राज्य विधान मण्डल का कोई ऐसा सदस्य जो जिला परिषद् का सदस्य है यदि वह अनुपस्थिति, रूग्णता या अन्य किसी कारण से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह जिला परिषद् की बैठक में अपने ऐसे प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकेगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएं है, जैसा कि इस हेतु विहित किया जाए।

(ङ) जिला परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत के एक विशिष्ट व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना, द्वारा मनोनीत करें।

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्याकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी;

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य जिला परिषद् का पदधारी नही हो सकेगा।

[1][(2)] जिला परिषद के सभी सदस्यों को परिषद को बैठकों में मतदान का अधिकार होगा ।

[2][(3)] यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो इस स्थान को भरने के लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नयी निर्वाचन कार्रवाई छः माह के भीतर प्रारम्भ कर दी जाएगी;

परन्त जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियाँ इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन लम्बित होने के कारण रोकी नहीं जायगी;

---

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 15 (ii) द्वारा अंतःस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 15 (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः सदस्य को निर्वाचित नही करता है तो ऐसे निर्वाचन में नए निर्वाचन की कार्यवाहियाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह समाधान हो जाने के उपरान्त ही कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन किए जाने की सम्भावना है, तभी प्रारम्भ की जाएगी।

**धारा 50**

**जिला परिषद् का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन –**

(1) जिला दण्डाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके जिले की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव 50 हजार की जनसंख्या के निकटतम के लिए जिला को जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगा।

(2) निर्वाचन की सुविधा हेतु विहित प्राधिकारी सरकार द्वारा इस निमित विहित नियमावली के अनुसार –

(क) जिला परिषद् के क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित करेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके लिए आवटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात यथासाध्य पूरे जिला परिषद् क्षेत्रों के समान हो तथा वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवटित स्थानों की संख्या निर्धारित करेगा।

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विहित रीति से चुनाव के द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

**धारा 51**

**(क) जिला परिषद् के स्थानों का आरक्षण (सामान्य क्षेत्र में) –**

(1) प्रत्येक जिला परिषद् में –

(क) अनुसूचित जाति और

(ख) अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे जाऐंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों का अनुपात उस जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जिला परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जाति की या जिला परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान किसी जिला परिषद् में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किए जाऐंगे।

(2) किसी जिला परिषद् में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित आरक्षण कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में 50 प्रतिशत पदों के अवशेष पदों का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उस जिला परिषद् क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उस जिला परिषद् क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा जो विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किया जाएगा।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सम्मिलित आरक्षण कुल पदों के संख्या की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परन्तु उस जिले का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न किसी ऐसी जिला परिषद् में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस जिले के भीतर आने वाले अनुस्चित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा उसमें कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी।

(3) उपधारा (1) एवं (2) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या से कम–से–कम [2][पचास प्रतिशत] स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम–से–कम [2][पचास प्रतिशत] स्थान, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरिक्षत रखे जाएंगे और ऐसे स्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम में आवटित किए जा सकेंगे।

(5) ऐसे जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग की कोई जनसंख्या नही है उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों क [1][आवटन के लिए विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जाएगा।]

(6) राज्य सरकार जिला परिषद् स्तर पर संबंधित पंचायत क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी;

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य जिला परिषद् का पदधारी नहीं हो सकेगा।

**(ख) जिला परिषद् के स्थानों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) –**

1. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक जिला परिषद् में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस जिला परिषद् में अपनी–अपनी जनसंख्या के आधार पर होगा;

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।

---

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. झारखण्ड अधिनियम 39, 2010 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. अनुसूचित क्षेत्रों में जिला परिषद् में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हो, के लिए आरक्षित स्थनों के साथ मिलकर उस जिला परिषद् के समस्त स्थानों के अस्सी प्रतिशत स्थानों से अधिक नहीं होगी।

3. उपधारा (1) तथा (2) के द्वारा आरक्षित स्थानों में से [1][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

4. संबंधित जिला परिषद् के कुल स्थान का [1][पचास प्रतिशत से अन्यून] स्थान (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

5. उपर्युक्त उपधाराओं में पदों का आरक्षण, विहित रीति से चक्रानुक्रम में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवटित किया जाएगा।

6. ऐसे जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की कोई जनसंख्या नहीं है उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन से विहित रीति से अपवर्जित कर दिया जायगा।

7. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों का नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिसका अनुसूचित क्षेत्रों के जिला परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस जिला परिषद् में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसमांश से अधिक नहीं होगा।

8. राज्य सरकार जिला परिषद स्तर पर संबंधित पंचायत क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा;

परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी,

परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य जिला परिषद् का पदधारी नहीं हो सकेगा।

**धारा 52**

**मत देने एवं उम्मीदवार होने की पात्रता –**

1. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस जिला परिषद् क्षेत्र के जिसमे वह ग्राम समाविष्ट है, पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य होगा।

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, [1][उस जिला परिषद् अथवा उसके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा जिसका मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है।]

3. एक साथ सदस्यता का प्रतिबन्ध – कोई व्यक्ति किसी जिला परिषद् के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक जिला परिषद् क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा।

**धारा 53**

**जिला परिषद् का पदधारी होने के लिए अयोग्यताएँ –**

कोई व्यक्ति जिला परिषद् का पदधारी होने योग्य नहीं होगा –

(क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के या पूर्व या उसके पश्चात् –

(1) तत्समय प्रवृत 'सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स' (सिविल सेवा आचरण अधिनियम) के अधीन या नशीले पदार्थों के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि को अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, जबतक कि उसके दोष सिद्ध हाने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में निर्धारित करें, व्यतीत न हो चुकी हो;

(2) जो पागल हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो;

(3) जो दिवालिया घोषित हो;

(4) जो किसी पंचायत के अधीन कोई लाभकारी पदधारक हो, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की, या किसी सहकारी समिति की, या राज्य सरकार, या केन्द्र सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत हो;

(5) जो राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार की या किसी पंचायत की या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी सहकारी समिति की या किसी केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा कर्त्तव्यहीनता के कारण अपदस्थ कर दिया गया हो;

(6) जो पंचायत के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता हो;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को उपधारा (ख) के खण्ड (6) के अधीन केवल इस कारण से अयोग्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि –

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 18 द्वारा प्रति स्थापित ।

(क) किसी JOINT STOCK COMPANY में उसका अंश है, तत्समय प्रवृत राज्य के सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन निबंधित किसी संस्था में या सहकारी समिति में जो पंचायत के साथ संविदा करेगी या जिसे पंचायत द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाएगा, उसका कोई अंश या हित है; या

(ख) ऐसे किसी समाचार पत्र में, जिसमें पंचायत के कार्यकलाप से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है; या

(ग) वह पंचायत द्वारा या इसकी ओर से कोई डिवेंचर धारित करता है या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से लिए गए किसी उधार से अन्यथा संबंधित है।

(7) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है;

(8) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायलय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास या दण्ड पा चुका हो, कदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और आदेश बाद में उलटा ना गया हो।

**धारा 54**

**जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन** –

विहित प्राधिकारी जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात् यथाशक्य शीर्ष परिषद् के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की एक बैठक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन करने के लिए बुलाएगा।

धारा 55

**(क) जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदां का आरक्षण (सामान्य क्षेत्र में)–**

[1][(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगी, अर्थात –

(i) सामान्य क्षत्रों (गैर अनुसूचित क्षेत्रों) में, जिला परिषद के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए, राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगी और ऐसे पदों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षत्रों को विहित रीति से चकानुकम द्वारा आवंटित किया जाएगा,

परन्तु यदि किसी अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों की कुल संख्या, राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक है तो आगे और आरक्षण का उपबंध नहीं किया जाएगा।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष के पदों के लिए पचास प्रतिशत से कम पदों के आरक्षण की दशा में, शेष रिक्त पदों को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाएगा। किंतु किसी भी दशा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित जिला परिषद के अयक्ष के पद की कुल संख्या, जिला परिषद के अध्यक्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) इस धारा के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन आरक्षित कुल पदों में से, पचास प्रतिशत से अन्यून पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(iv) जिला परिषद के अध्यक्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अन्यून पद (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी हैं) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे पदों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य में जिला परिषद के अध्यक्ष के कुल पदों को ध्यान में रखते हुए विहित रीति से चकानुकम द्वारा आवंटित किया जाएगा ।

(v) जिला परिषद के उपाध्यक्ष के पद को अनारक्षित रखा जाएगा या उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।]

(2) धारा 54 एवं 55 (1) के अध्यधीन रहते हुए जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उसके निवाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से विहित रीति से निर्वाचित किए जाएगें।

(3) यदि किसी जिला परिषद् का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तिथि से रिक्त कर दिया है जिस तिथि को वह ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुआ है, तथा धारा (63) के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में)–

[2][अनुसूचित क्षेत्रों में जिला परिषद के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे]

परन्तु यह कि राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों के [2][जिला परिषदों के अध्यक्ष के पदों] की कुल संख्या के [3][पचास प्रतिशत] से अन्यून पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा ऐसे स्थान यथा विहित रीति से राज्य के ऐसे विभिन्न जिला परिषदों में चकानुकम से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किये जायेंगे,]

**धारा 56**

**जिला परिषद् के सदस्यों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन–**

जिला परिषद् के सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए, प्रकाशित किया जाएगा।

**धारा 57**

**जिला परिषद् की प्रथम बैठक, पद की शपथ एवं पदावधि –**

(1) जिला परिषद् की प्रथम बैठक धारा (56) के अधीन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी, ऐसी बैठक विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाई जाएगी और उक्त बैठक के संबंध में धारा (69) के उपबंध यथाशक्य लागू होंगे।

(2) (क) पद की शपथ – प्रत्येक व्यक्ति (धारा (56) के द्वारा अधिसूचित) पद पर आसीन होने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जैसा विहित किया जाए, विहित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा;

(ख) किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो उपयक्त के रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकार करे, यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।

(3) इस अधिनियम में जबतक अन्यथा उपबन्धित न हो, जिला परिषद् के पदधारी प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्षो के लिए पद धारण करेंगे, इससे अधिक नहीं।

---

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम 12, 2003 – 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् का कोई पदधारी जिले के भीतर की ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता न रहने पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व जिला परिषद् नए रूप में गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबन्ध उसके संबंध में छः माह से अधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे।

**धारा 58**

**अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव –**

(1) यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से जो तत्समय जिला परिषद् के गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अधिक है, के पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जिला परिषद् द्वारा पारित कर दिये जाने पर, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके विरूद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अर्न्तनिहीत किसी बात के होते हुए भी काई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हेतु बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा तथा उस बैठक की अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सरकारी पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस बैठक में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अवश्विास प्रस्ताव –

(क) उनके पदावधि के प्रथम वर्ष में नहीं लाया जाएगा;

(ख) उनके पदावधि के समाप्ति की तिथि से छः माह पूर्व नही लाया जाएगा;

(ग) पूर्व के अविश्वास प्रस्ताव के नामंजूर किये जाने की तिथि के एक वष के भीतर नही लाया जाएगा;

(घ) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये प्रस्ताव की न्यायसंगता की चुनौती देने की इच्छा प्रकट करता है तो वह, उस तिथि से जिस तिथि को ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया, 10 दिनों के भीतर [1][राज्य सरकार क द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग] को विवाद विनिर्दिष्ट करेगा जो यथासम्भव प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे विनिश्चित करेगी एवं इसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**धारा 59**

**अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र –**

(1) अध्यक्ष अपने पद से जिला दण्डाधिकारी को संबोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा, यदि इन 15 दिनों की अवधि में वह स्वलिखित आवेदन द्वारा त्यागपत्र वापस न ले लें।

(3) उपाध्यक्ष किसी भी समय अपने पद से अध्यक्ष या जिला दण्डाधिकारी को संबोधित स्वलिखित आवेदन द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिना की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा, यदि इन 15 दिनों की अवधि में त्यागपत्र देने वाला यथास्थिति अध्यक्ष या जिला दण्डाधिकारी को संबोधित स्वलिखित आवेदन, द्वारा वापस न ले ले।

(5) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिला परिषद् का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा।

(6) जिला परिषद् का कोई निर्वाचित सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष को स्वलिखित आवेदन द्वारा अपने सदस्यता का त्यागपत्र दे सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र अध्यक्ष को उसके प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा यदि इस 15 दिनों की अवधि में, वह अध्यक्ष को स्वलिखित आवेदन देकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले ले।

**धारा 60**

**कर्तव्य में कदाचार या उपेक्षा, अक्षमता पर कार्रवाई –**

इस अधिनियम के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों में कदाचार या उपेक्षा या अपने कर्त्तव्यों के पालन में अक्षमता या उसके निर्वहन में लगातार शिथिलता या किसी निकृष्ट आचरण का दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा और इस तरह पदच्युत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ऐसे जिला परिषद् में शेष कार्याविधि के दौरान सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि ऐसे किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

**धारा 61**

**जिला परिषद् की कार्यावधि –**

(क) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है, को छोड़कर [1][प्रत्येक जिला परिषद] की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की तिथि से आगे पाँच वर्षों तक की होगी, इससे अधिक की नहीं।

(ख) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी प्रकार के संशोधन से [1][जिला परिषद] जो ऐसे संशोधन के तुरन्त पहले से कार्य कर रही हो, उपधारा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी।

[2][(ग) किसी जिला परिषद का गठन करने के लिये निर्वाचन, उप–धारा (क) में विनिर्दिष्ट जिला परिषद की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व और उसके विघटन की स्थिति में, जिला परिषद के विघटन की तिथि से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा कर लिया जायेगा;

परन्तु, यह कि जिस कार्यावधि तक विघटित जिला परिषद कार्यरत रहती यदि वह शेष अवधि छः माह से कम हो तो, ऐसी अवधि के लिए जिला परिषद के गठन के लिए इस धारा के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु, यह और कि किसी जिला परिषद की अवधि के अवसान के पूर्व उस जिला परिषद के विघटन पर गठित जिला परिषद उस अवधि के केवल उतने शेष भाग के लिये बनी रहेगी जिसके लिए विघटित जिला परिषद यदि इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो उप–धारा (क) के अधीन बनी रहती।]

**धारा 62**

**लिपिकीय गलतियों या लोप का ठीक किया जाना –**

इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी धारा (17), (21), (22), (36), (40), (51) एवं (55) के अधीन स्थानों के आरक्षण से संबन्धित कोई लिपिकीय गलती या लोप जो अभिलेख में देखने से ही प्रकट है, निर्वाचन कार्यवहियाँ प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की ओर से या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किये गये अधिकारी की पूर्व अनुमति से सुधारी जा सकेगी।

**धारा 63**

**रिक्तियों का भरा जाना –**

(1) पंचायत के किसी पदधारी की पदावधि के समाप्ति के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसके हटा दिये जाने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएगी।

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 21 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) किसी ग्राम पंचायत के मुखिया पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में यथास्थिति पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक तत्काल बुलाएगा एवं उसकी बिना मताधिकार के अध्यक्षता करेगा, किन्तु जो ऐसे रिक्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिना के पश्चात् न हो और सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे जो तबतक अस्थायी रूप से पद धारण करेगा जब तक कि इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नया मुखिया निर्वाचित नहीं हो जाता है और यथास्थिति ऐसा स्थानापन्न मुखिया निर्वाचन के लंबित रहने के दौरान मुखिया के समस्त कर्त्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) यदि वहिर्गामी पदधारी पंचायत के ऐसे किसी अभिलेख, वस्तु, धन या सम्पत्ति अपने उत्तरावर्ती को तत्काल नहीं सौपता है तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप देने का निर्देश दे सकगा और ऐसा निर्देश का अनुपालन न करने पर विहित प्राधिकारी उसके विरूद्ध धारा (111) के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा और उसे अभियोजित करने के लिए धारा (115) के अधीन आवश्यक कदम उठा सकेगा।

**धारा 64**

**पंचायत के पदधारी का निलंबन –**

(1) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का संख्या 45) के अध्याय 5–क, 6, 9, 9–क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304, 304 ख, 305, 306, 312 से 318 तक 366 क, 366 ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों और बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार, दमन, सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन, पंचायत के किसी पदधारी को निलम्बित करने हेतु राज्य सरकार प्रावधान विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में वर्णित भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 की संख्या 45) के अध्याय 5–क, 6, 9, 9–क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304, 304 ख, 305, 306, 312 से 318 तक 366 क, 366 ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों और बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार, दमन, सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अन्तर्गत अपराध में दोष सिद्ध होने पर पंचायत का वैसा पदधारी उस तिथि से जिस तिथि को वह दाष सिद्ध हुआ है, अपने पद से स्वतः पदमुक्त समझा जाएगा।

(3) यथास्थिति ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख या जिला परिषद् के अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर दिये जाने की स्थिति में रिक्त स्थानों को धारा (63) के उपधारा (1) एवं (2) के अनुसार भरा जा सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर दिया गया है किसी ऐसे अन्य पंचायत के सदस्य से या पदधारी के पद से तत्काल निलंबित हो जाएगा, जिसका कि वह पदधारी या सदस्य है, ऐसा व्यक्ति अपने निलंबन के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी अयोग्य होगा।

**धारा 65**

**एक से अधिक पद धारण करने पर रोक –**

(1) कोई ऐसा व्यक्ति जो पंचायतों के एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हो जाता है तो उस तारीख से जिसको कि वह निर्वाचित हुआ है या यदि वह भिन्न–भिन्न तारीखों को निर्वाचित हुआ है तो ऐसे पश्चात्वर्ती तारीखों से 10 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना देकर यह सूचित कर सकेगा कि वह ऐसे पंचायतों में से किस पंचायत में पदधारी के रूप में सेवा करने की इच्छा करता है और तदुपरि ऐसी अन्य पंचायता में से जिनमें वह सेवा करने की इच्छा नहीं करता है, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(2) उर्पयुक्त अवधि के भीतर उपधारा (1) के अनुसार विकल्प न देने पर यह समझा जाएगा कि उतने पदों में से केवल एक पद के लिए निम्नलिखित क्रम में विकल्प ले लिया है :

(क) जिला परिषद् का सदस्य,

(ख) पंचायत समिति का सदस्य,

(ग) ग्राम पंचायत का मुख्या,

(घ) ग्राम पंचायत का सदस्य,

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति सूचना देने के पूर्व किसी पंचायत की बैठक में हाजिर हुआ है तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त पंचायत के पद के लिए विकल्प ले लिया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई विकल्प अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय समझे जाऐंगे।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति, परिणाम की घोषणा की तारीख को निर्वाचित हुआ समझा जाएगा ।

## अध्याय 4

## निर्वाचन का संचालन

**धारा 66**

1. राज्य निर्वाचन आयोग – पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए राज्यपाल द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। निर्वाचन संबंधी समस्त शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी।

2. राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

3. राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि नियम के द्वारा विहित किए जाऐंगे।

   परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से राज्य सरकार द्वारा विहित रीति को अपनाकर ही हटाया जा सकेगा तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसे परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे जो उसके लिए अहितकर हो।

4. राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर पंचायतों को गठित करने के प्रयोजनाथ निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर राज्य के राजकीय राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इससे अपेक्षा की जाएगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मतदातागण पंचायत के पदधारकों को निर्वाचित करें;

   परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।

[1][5. राज्य निर्वाचन आयोग को संप्रेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की परीक्षा पर या पंचायत निर्वाचन में अनियमितताओं के अभिकथनों की प्राप्ति पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ करने का विवेकाधिकार होगा और ऐसी कार्रवाई में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करना, निर्वाचन स्थगित करना और मतगणना को आस्थगित करना सम्मिलित हो सकेगा ।]

**धारा 67**

**अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य एवं कृत्यों को समनुदेशित करने की शक्ति –**

(1) धारा (66) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से पंचायत के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऐसे कर्त्तव्य एवं कृत्य समनुदेशित कर सकेगा और ऐसी शक्तियां और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जैसा कि वह आवश्यक समझे या निर्वाचन के संचालन और उससे संबंधित तथा उससे आनुषगिक विषयों के संबंध में उचित समझे, निहित कर सकेगा।

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र –

(i) राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने के निमित क्षेत्रीय कर्मचारीवृन्द एवं पदाधिकारियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी;

(ii) पंचायत के निर्वाचन के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता के लिए एक या अधिक जिला उप–निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी हो अथवा उपसमाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

[1][**(iik)** पंचायत निर्वाचनों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से सामान्य और व्यय संप्रेक्षक नियुक्त करेगा, जो संपूर्ण निर्वाचन प्रकिया का अधीक्षण करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।]

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) पंचायत में निर्वाचन के निमित निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त कर सकेगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/उपसमाहर्त्ता स्तर से अन्यून स्तर का हो;

(iv) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के अनुपालन मे सहायता के करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा;

(v) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) तथा पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) को सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझें, नियुक्त करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) मतदान पदाधिकारी के रूप म नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या उसके लिए कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को इसकी सूचना देगा;

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधिन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) क सभी या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा।

(vi) यदि पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से, मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जो ऐसे अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(vii) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

(viii) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें।

**धारा 68**

**निर्वाचन नियम बनाने की शक्ति** –

राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग में परामर्श से मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों का संचालन के लिए नियम बनाएगी।

[1][**68क**. निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने या निर्वाचनों के संचालन के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में किसी शंका के उद्भूत होने या कोई अपर्याप्तता महसूस होने की दशा में, यथास्थिति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपधि आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागु होंगे ।]

---

1. झारखण्ड अधिनियम 33, 2010 – 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

## अध्याय 5

## पंचायतों के कामकाज का संचालन एवं बैठक की प्रक्रिया

**धारा 69**

**बैठक की प्रक्रिया**

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचायत के बैठक तथा काम–काज के संचालन की प्रक्रिया वैसी होगी जैसा कि विहित किया जाए।

(2) किसी पंचायत का अध्यक्ष और किसी पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो या नहीं, पंचायतों के बैठक में मत देने का अधिकार होगा।

(3) किसी जिला परिषद् और पंचायत समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, तत्समय संबंधित पंचायत गठित करने वाले सदस्यों के एक तिहाई से होगी और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय संबंधित पंचायत गठित करने वाले सदस्यों के आधे से होगी यदि बैठक में उपस्थित सदस्यों के गणपूर्ति न हो तो पीठासीन प्राधिकारी बैठक को ऐसी कार्य और समय तक के लिए स्थगित करेगा जैसा कि उसके द्वारा नियत किया जाए, इस प्रकार नियत किए गए बैठक की सूचना पंचायत के कार्यालय में चिपका दी जाएगी। इस प्रकार स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और कोई नया विषय बैठक के समक्ष विचार के लिए नही लाया जाएगा।

(4) अध्यक्ष, प्रमुख या मुखिया, यथास्थिति जिला परिषद् पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बुलाएगा, यदि अध्यक्ष, प्रमुख या मुखिया किसी माह में बैठक बुलाने में असफल रहता है तो यथास्थिति जिला परिषद् या पंचायत समिति का क्रमशः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी या ग्राम पंचायत का सचिव पिछली बैठक की तिथि के 25 दिन के समाप्ति के बाद संबंधित पंचायत के बैठक की सूचना जारी करेगा।

(5) ग्राम पंचायत के पिछले बैठक तथा चालू बैठक के बीच की अवधि के आय और व्यय का प्रतिवेदन और साथ–साथ चालू वित्तीय वर्ष में चालू बैठक तक के संचयी आय और व्यय का प्रतिवेदन किन्हीं अन्य विषयों के साथ–साथ ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सामने रखी जाएगी और ऐसे प्रतिवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद् की दशा में ऐसा प्रतिवेदन क्रमशः कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उसकी बैठक में 3 माह मे एक बार रखी जाएगी, प्रतिवेदन ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) यदि पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य पंचायत के विशेष बैठक के लिए लिखित अभ्यावेदन करते है तो यथास्थिति अध्यक्ष, प्रमुख और मुखिया ऐसी बैठक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर बुलाएगा। यदि यथास्थिति अध्यक्ष, प्रमुख या

मुखिया ऐसे आवेदन पर बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य, जिन्होंने विशेष बैठक के लिए अभ्यावेदन दिया है, स्वयं ही बैठक बुला सकेगे और इस संबंध में जिला परिषद् या पंचायत समिति का यथास्थिति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी या ग्राम पंचायत का सचिव बैठक के लिए सूचना जारी करेगा।

(7) यदि यथास्थिति अध्यक्ष, प्रमुख या मुखिया उपधारा (4) या (6) के अनुसार कार्य करने में कम से कम तीन अवसरों पर असफल रहता है तो वह क्रमशः धारा (60), (45), (30) के अधीन उसके पद से हटा दिये जाने का दोषी होगा और क्रमशः धारा (60), (45), (30) के उपबंध उस पर लागू होंगे जिसे इस प्रकार हटाया गया है।

(8) साधारण बैठक के लिए पूरे 7 दिनों की नोटिस तथा विशेष बैठक के लिए पूरे 3 दिनों की नोटिस, जिसमें बैठक का स्थान, तिथि एवं समय तथा बैठक में निपटाये जाने वाले कार्य निर्दिष्ट होंगे, सचिव द्वारा सदस्यों तथा यथाविहित सरकारी पदाधिकारियों को दिया जाएगा तथा उसे यथास्थिति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन जिन प्राधिकारियों को नोटिस दी जाए तथा संबंधित पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य सरकारी पदाधिकारी पंचायत की प्रत्येक बैठक में तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें मत देने का हक नही होगा।

**धारा 70**

**पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विषयों पर पुनर्विचार –**

पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटा दिये गये किसी विषय पर उसके द्वारा छः माह के भीतर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की, जो मत देने के लिए हकदार है, अभिलिखित सम्मति उसके संबंध में प्राप्त न कर ली गई है या जब तक कि विहित प्राधिकारी ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश न दिये हो।

**धारा 71**

**ग्राम पंचायत की स्थायी समितिया –**

1. ग्राम पंचायत अपने कार्यो तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सात स्थायी समितियाँ गठित कर सकेगी और ऐसी समितियाँ ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगी और ऐसी समितियाँ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौपी जाये –

(क) सामान्य प्रशासन समिति,

(ख) विकास समिति,

(ग) महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति,

(घ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण समिति,

(ङ) ग्राम रक्षा समिति,

(च) सार्वजनिक सम्पदा समिति,

(छ) अधोसंरचना समिति।

2. प्रत्येक समिति में पांच सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा बुलाये गय विशेष बैठक में सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किये जायेंगे;

परन्तु कोई भी सदस्य एक समय में दो से अधिक स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा।

3. इन समितियों में मुखिया एवं उप–मुखिया पदेन सदस्य होंगे।

4. ग्राम सभा अपने प्रथम बैठक में प्रत्येक स्थायी समिति के लिए अपने सदस्यों में से क्षेत्र विशेष अनुभवी एवं जानकार एक व्यक्ति को बहुमत द्वारा निर्वाचित कर मनोनीत कर सकती है परन्तु तदनुसार मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा;

परन्तु यह और भी कि ऐसे मनोनीत सदस्य को एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् बहुमत के द्वारा ग्राम सभा वापस बुला सकेगी और नया मनोनयन कर सकेगी।

5. स्थायी समिति के सदस्यों की पद की अवधि, इनके कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाय।

6. सचिव – ग्राम पंचायत का सचिव स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा।

**धारा 72**

**पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की स्थायी समितियाँ –**

1. प्रत्येक पंचायत समिति एवं प्रत्येक जिला परिषद् अपने निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियाँ गठित करेगी –

(क) सामान्य प्रशासन समिति,

(ख) कृषि एवं उद्योग समिति,

(ग) स्वास्थ्य, शिक्षा समिति,

(घ) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना एवं विकास समिति,

(ङ) सहकारिता समिति,

(च) महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति,

(छ) वन एवं पर्यावरण समिति,

(ज) संचार तथा संकर्म समिति।

2. सामान्य प्रशासन समिति में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट गठित समस्त स्थायी समितियों के सभापति होंगे।

3. सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम छः सदस्य होंगे, जो यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से विहित रीति में, निर्वाचित किये जायेंगे, परन्तु शिक्षा समिति एवं महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति में कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होगा।

4. विधान सभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो पंचायत समिति का सदस्य है उस पंचायत समिति के प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा।

5. संसद का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला परिषद् का सदस्य है, उस परिषद् में अपनी इच्छा से किन्ही भी दो समितियों का पदेन सदस्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन समिति एवं शिक्षा समिति को छोड़ कर प्रत्येक समिति अपने निर्वाचित सदस्यों में से सभापति का निर्वाचन विहित रीति से करेगी।

7. प्रमुख या जिला परिषद् का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति तथा वित्त, अंकेक्षण तथा योजना एवं विकास समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा।

8. उप–प्रमुख या उपाध्यक्ष शिक्षा समिति एवं महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा।

9. पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का कोई सदस्य दो से अधिक स्थायी समिति में सेवा करने का पात्र नहीं होगा।

10. कार्यपालक पदाधिकारी या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद् के सभी समितियों के पदेन सचिव होंगे।

11. उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समितियों के कार्यकलाप वे होंगे जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए।

12. उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट स्थायी समितियों के अतिरिक्त पंचायत समिति या जिला परिषद् विहित प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत ऐसे विषयों के लिए जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कार्यकलाप के अन्तर्गत नहीं आते है, एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकेगी।

## अध्याय 6
## पंचायत के पदधारियों की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व

**धारा 73**

**मुखिया, उप–मुखिया, प्रमुख, उप– प्रमुख, जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कृत्य एवं दायित्व –**

**(क) मुखिया एवं उप–मुखिया की शक्तियाँ तथा कृत्य एवं दायित्व –**

(i) मुखिया की शक्तियाँ तथा कृत्य एवं दायित्व –

1) ग्राम सभा बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा एवं अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

2) ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा, और इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

3) ग्राम पंचायत के अभिलेखों एवं पंजियों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चत करेगा तथा उनका संधारण करेगा।

4) ग्राम पंचायत के कर्मियों एवं वैसे कर्मियों, जिनकी सेवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई हों, के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा एवं पर्यवेक्षण करेगा।

5) इस अधिनियम से संबंधित कार्यों को करने के लिए या एतद् द्वारा प्राधिकृत कोई आदेश करने के प्रयोजनार्थ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करगा, जिनका प्रयोग निष्पादन या निर्वहन इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि मुखिया ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन, या ऐसे कार्यों का निष्पादन, या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन नहो करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली की अपेक्षानुसार ग्राम पंचायत की बैठक के द्वारा प्रयोग करने, निष्पादन करने या निर्वहन करने की अपेक्षा हो।

6) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा यथानिर्देशित हो अथवा इसके लिए बनायी गई नियमावली के अधीन राज्य सरकार यथाविहित करें।

7) ग्राम पंयायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

8) ग्राम पंचायत निधि, जिसमें भुगतान के प्राधिकार, चेकों को जारी करना तथा वापसी आदि सम्मिलित है, का अधिनियम के उपबंधों के अनसार संचालन करेगा।

9) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किए गए समस्त विवरणी तथा प्रतिवेदन तैयार कराएगा।

10) इस अधिनियम की धारा (75) के अधीन ग्राम पंचायत को समनुदेशित किए गए समस्त कृत्यों को कार्यान्वित करने का कार्यान्वित कराए जाने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

**(ii) उप–मुखिया की शक्तियाँ एवं कृत्य तथा दायित्व –**

1) मुखिया की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे मुखिया द्वारा इसके लिए सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के अध्यधीन समय–समय पर लिखित रूप से प्रत्यायोजित किया जाए;

परन्तु यह कि इस प्रकार प्रत्योजित सभी या किन्हीं शक्तियों, कार्यों और कर्त्तव्यों को उप–मुखिया से किसी भी समय वापस ले सकेगा।

2) मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

3) मुखिया का निर्वाचन लंबित होने या किसी कारणवश अनुपस्थिति में मुखिया की सभी शक्तियों का, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो ग्राम पंचायत सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा, या इसके लिए बनायी गई नियमावली द्वारा सरकार के द्वारा यथाविहित किया जाए।

**(ख) प्रमुख एवं उप–प्रमुख की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व –**

**(i) प्रमुख की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व –**

1) पंचायत समिति की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा एवं बैठक की अध्यक्षता एवं उनका संचालन करेगा।

2) पंचायत समिति के अभिलेखों तथा पंजियों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उनका संधारण करेगा।

3) पंचायत समिति के कर्मियों द्वारा संपादित कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा।

4) पंचायत समिति निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

5) पंचायत समिति निधि का जिसमें भुगतान के प्राधिकारों, चेकों का जारी करना तथा वापसी आदि सम्मिलित है, का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालन करेगा।

6) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा प्रतिवेदन तैयार कराएगा।

7) पंचायत समिति के वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उनसे संबंधित सभी मामलों को पंचायत समिति के समक्ष पेश करेगा ताकि उसके संबंध में समिति का अपेक्षित आदेश प्राप्त हो सके और इस प्रयोजनार्थ समिति के अभिलेख की मांग की जा सके।

8) पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनजीवन को तत्काल राहत देने के प्रयोजनार्थ उसे एक वर्ष म कुल 25 हजार रुपया स्वीकृत करने की शक्ति होगी, परन्तु यह कि पंचायत समिति की अगली बैठक में प्रमुख, समिति के अनुसमर्थन के लिए ऐसे स्वीकृति का ब्योरा प्रस्तुत करेगा।

9) पंचायत समिति या स्थायी समिति के संकल्पों या निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यपालक पदाधिकारी का पर्यवेक्षण करेगा और नियंत्रण रखेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत सामान्य या विशेष निर्देशों से असंगत न हो।

10) पंचायत समिति को, वे समस्त मामले जिसमें उसकी मंजूरी अपेक्षित है, प्रस्तुत करेगा।

11) अधिनियम की धारा (76) के अधीन पंचायत समिति को समनुदेशित किए गए समस्त कृत्य क्रियान्वित करने या कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

12) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(ii) उप–प्रमुख की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व

1) प्रमुख की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

2) प्रमुख का निर्वाचन लंबित होने या उसके किसी कारणवश अनुपस्थिति पर प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कृत्यों का पालन करेगा।

3) वह एतद्‌र्थ सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली के अध्यधीन लिखित रूप में प्रत्यायोजित किए जाने पर समय–समय पर पंचायत समिति के प्रमुख के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

(ग) जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व –

(i) जिला परिषद् अध्यक्ष की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व –

1) जिला परिषद् की बैठक आयोजित करेगा और उनकी अध्यक्षता तथा संचालन करेगा।

2) जिला परिषद् के अभिलेखों तथा पंजियों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा।

3) जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर, उसके माध्यम से जिला परिषद् के सभी कर्मियों पर तथा ऐसे कर्मियों पर जिनकी सेवाएँ राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को सौंपी गयी हो, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेगा।

4) जिला परिषद् निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

5) जिला परिषद् निधि, जिसमें भुगतान के प्राधिकार, चेकों का जारी करना तथा वापसी आदि सम्मिलित है, का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालन करेगा।

6) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा प्रतिवेदन तैयार कराएगा।

7) जिला परिषद् को वे समस्त मामले, जिसमें उसकी मंजूरी अपेक्षित है, प्रस्तुत करेगा।

8) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित एवं क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा पारित जिला परिषद् के संकल्पों को कार्यान्वित या क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

9) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों को कार्यावित्त या क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

10) जिला परिषद् के वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को जिला परिषद् के समक्ष रखेगा जिसके संबंध में उसे ऐसा लगे कि उस पर जिला परिषद् का आदेश आवश्यक है और इसके प्रयोजनार्थ जिला परिषद के अभिलेखों की मांग कर सकेगा।

11) जिले में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए एक वर्ष में कुल एक लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी;

परन्तु इसे जिला परिषद् की अगली बैठक में अध्यक्ष द्वारा ऐसे स्वीकृति का ब्योरा जिला परिषद् क समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

12) इस अधिनियम की धारा (77) के अधीन जिला परिषद को समनुदेशित किए गए समस्त कृत्यों को कार्यान्वित, क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।

**(ii) उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, कृत्य एवं दायित्व –**

1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता तथा कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

2) अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित होने या किसी कारणवश जिला से उनके अनुपस्थित रहने पर अथवा 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा

3) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उसे समय–समय पर इस अधिनियम के अधीन या इसके नियमावली के अध्यधीन लिखित रूप में आदेश द्वारा प्रदत्त किया जाए।

**धारा 74**

धारा (73) के उपधारा (क), (ख), (ग) के द्वारा पंचायतों के पदधारियों के लिए विनिर्दिष्ट शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों को राज्य सरकार अध्यादेश द्वारा निरस्त एवं सन्निहित कर सकेगी।

## अध्याय 7
## पंचायतों के कृत्य

**धारा 75**

(क) ग्राम पंचायत के कत्य – सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शर्त्तों के अधीन, जहाँ तक ग्राम पंचायत निधि में गुंजाइश हो, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कृत्यों का संपादन करेगी;

(1) सामान्य कार्य –

(i) ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना।

(ii) वार्षिक बजट तैयार करना;

(iii) स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना;

(iv) लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना;

(v) प्राकृतिक संकट में सहाय्य कार्य करना;

(vi) गाँव के अनिवार्य सांख्यिकी कार्य का अनुरक्षण।

(2) कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है –

(i) कृषि और बागवानी के विकास के लिए योजना का कार्यान्वयन;

(ii) बंजर भूमि के विकास के लिए योजना का कार्यान्वयन;

(iii) चारागाह का विकास और अनुरक्षण तथा उसके अनधिकृत हस्तान्तरण और उपयोग का निवारण।

(3) भूमि विकास, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण के कार्य में सरकार और पंचायत समिति को सहायता करना।

(4) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास की योजना का कार्यान्वयन।

(5) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन –

(i) पालतू मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधनों की नश्लों का सुधार की योजना का कार्यान्वयन;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति हेतु योजना का कार्यान्वयन।

(6) मत्स्य पालन – गाँवों में मत्स्य पालन के विकास के लिए योजना का कार्यान्वयन।

(7) सामाजिक और कृषि वानिकी –

(i) सड़कों और अपने नियंत्रणाधोन अन्य सार्वजनिक भूमि के किनारे पर वृक्षारोपन और परिरक्षण;

(ii) सामाजिक और कृषि वानिकी योजनाओं का कार्यान्वयन;

(iii) ईंधन के लिए वृक्षारोपन और चारा विकास के लिए योजना कार्यान्वित करना;

(iv) रेशम उत्पादन के विकास आर प्रोन्नति के लिए कार्यक्रम चलाना।

(8) लघु वन उत्पाद –

(i) लघु वन उत्पाद वस्तुओं का संग्रह, भंडारण, परस्करण एवं विपणन की व्यवस्था।

(9) खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग –

(i) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन;

(ii) कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास के लिए योजना बनाना एवं कार्यान्वित करना;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर, विचार गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन करना।

(10) ग्रामीण गृह निर्माण –

(i) ग्रामीण गृह निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(ii) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गृह स्थलों का वितरण;

(iii) गृह स्थलों एवं अन्य निजी और सार्वजनिक सम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण।

(11) पेयजल की सुविधा –

(i) पेयजल, कपड़ा धोने, स्नान करने के लिए सार्वजनिक कुओं, जलाशयो और चापाकलों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण;

(ii) जल प्रदुषण पर नियंत्रण और निवारण के उपाय करना;

(iii) ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना का संचालन एवं अनुरक्षण;

(iv) पेयजल स्रोतों का प्रबंधन।

(12) सड़क, भवन, पुल–पुलिया, जल मार्ग और अन्य यातायात के साधन –

(i) ग्रामीण सड़क, नाली और पुल–पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण;

(ii) अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण;

(iii) नौका, फेरी और जल मार्ग का अनुरक्षण।

(13) ग्रामीण विद्युतीकरण –

(i) सार्वजनिक मार्गों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उसका अनुरक्षण;

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता।

(14) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत –

(i) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रातों का उन्नयन एवं विकास;

(ii) वायोगैस संयंत्र सहित सामुदायिक गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का अनुरक्षण;

(iii) उन्नत चूल्हें तथा अन्य ऊर्जा साधनों का प्रचार एवं प्रसार।

(15) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम –

(i) पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेना;

(ii) ग्राम सभाआ के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन;

(iii) योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण (MONITORING) सुनिश्चत करना।

(16) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा –

(i) लोगों में जागृति उत्पन्न करना और प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता;

(ii) प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चत करना तथा उनका प्रबंधन;

(iii) शिक्षा गारंटी की व्यवस्था करना;

(iv) माध्यमिक विद्यालय का प्रबंधन।

(17) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा –

वयस्क साक्षरता को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम का संचालन;

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा –

ग्रामीण कला और शिल्पकारों का चयन करना एवं उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(19) पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं अनुरक्षण।

(20) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य –

(i) खेलकूद और सांस्कृतिक कायकलापों को प्रोत्साहित करना एवं ग्रामीण क्लबों की स्थापना एवं अनुरक्षण;

(ii) सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन।

(21) बाजार और मेला –

पंचायत क्षेत्र में मेला (पशु मेला सहित), बाजार एवं हाट का प्रबंधन।

(22) चिकित्सा और स्वच्छता –

(i) ग्रामीण स्वच्छता को बढावा देना;

(ii) सार्वजनिक सड़क, तालाब, कुँओं एवं सड़कों की सफाई;

(iii) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं अनुरक्षण;

(iv) स्नान एवं धुलाई घाट का प्रबंधन एवं नियंत्रण;

(v) टीकाकरण;

(vi) महामारियों की रोकथाम;

(vii) श्मशान एवं कब्रगाह का अनुरक्षण एवं संचालन;

(viii) लावारीश मानव एवं पशुओं का निपटान;

(ix) छुट्टा पशु के विरुद्ध निवारक कार्रवाई।

(23) कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(ii) समाज के कमजोर वर्गों के शोषण एवं अन्याय के विरूद्ध कार्यक्रम।

(24) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रबंधन;

(ii) कुपोषण की रोकथाम के उपाय;

(iii) छोटे परिवार के सिद्धान्त को पोत्साहित करना।

(25) समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा महिला कल्याण सहित –

(i) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए योजना बनाकर कार्यान्वित करना;

(ii) वृद्ध, असक्त एवं निराश्रित लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था;

(iii) महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक विकास के लिये विशेष कार्यक्रम।

(26) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव –

(i) सरकार स्थानीय प्राधिकार एवं अन्य ऐजेन्सियों द्वारा निर्मित सामुदायिक परिसम्पत्तियों के लिए विशेष व्यवस्था एवं उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था; एवं

(ii) इस हेतु जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(27) जनवितरण प्रणाली –

(i) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सामाजिक चेतना जगाना;

(ii) सार्वजनकि वितरण प्रणाली का प्रबंधन एवं उसे चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए सतत् पर्यवेक्षण।

(28) बाल विकास कार्यक्रम का प्रबंधन।

(29) सहकारी कार्यकलापों में वृद्धि –

(i) सहकारिता आधारित कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा वन एवं पर्यावरण कार्यक्रमों का प्रबंधन;

(ii) सहकारिता आधारित हस्तशिल्प, हस्तकरघा, तसर, लाह एवं मलवरी उत्पादन को प्रोत्साहित करना;

(iii) सहकारी विपणन व्यवस्था विकसित करना।

(30) बचत के प्रति जनसाधारण को प्रोत्साहित करना एवं सामूहिक बचत प्रणाली विकसित करना।

(31) स्वयं सहायता समूह का गठन एवं ग्राम स्वावलंबन की ओर ग्रामीणों को क्रियाशील करना।

(32) जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अभिलेखों का संधारण एवं जन्म–मृत्यु के निबंधन के प्रति लोगों को जागृत करना।

(33) अन्यान्य –

(क) (i) आकस्मिक स्थिति या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ठोस व्यवस्था करना;

(ii) निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता एवं निराश्रित व्यक्ति के अंत्येष्टि की व्यवस्था;

(iii) राष्ट्रहित संबंधी कार्यों में सहयोग देना यथा जनगणना, सूचनाओं के संग्रहण में यथावांछित सहयोग देना;

(iv) राज्य सरकार, जिला परिषद् पंचायत समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कार्य करना;

(ख) अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कृत्य –

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के संधारण नियंत्रण तथा निदेश के अधीन निम्नलिखित शक्तियाँ होगी।

(1) ग्राम के बाजार, मेला, पशु–मेला सहित चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएँ, प्रबंध करना;

(2) स्थानीय योजना पर, जिसमें जनजाति उप–योजना सम्मिलित है, के स्रोतों एवं व्यय पर नियंत्रण रखना और

(3) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करना, जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या उसे न्यस्त करें।

(ग) धारा (75) की उपधारा (क) एवं (ख) मे ग्राम पंचायत के वर्णित कृत्य तत्समय प्रवृत सरकार के अन्य अधिनियमा/नियमों एवं उनके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगें।

(घ) सरकार, धारा (75) की उपधारा (क) एवं (ख) में वर्णित ग्राम पंचायत के कृत्यों या उसके अतिरिक्त कृत्यों के संबंध में तत्समय प्रवृत अधिनियमों/नियमों में सम्यक् विचारोपरान्त, परिवर्तन कर शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी।

**धारा 76**

**(क) पंचायत समिति के कृत्य –**

सरकार द्वारा समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन, जहाँ तक पंचायत समिति निधि में गुंजाइश हो, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कृत्यों का संपादन करेगी।

**(i)** निम्न प्रक्षेत्रों के संतुलित उत्थान के लिए योजना बनाकर कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएगी।

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास;

(ख) एकीकृत कृषि विकास;

(ग) एकीकृत सामाजिक वानिकी;

(घ) एकीकृत पशुपालन एवं मत्स्य पालन;

(ङ) एकीकृत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता;

(च) एकीकृत शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा;

(छ) एकीकृत सहकारिता;

(ज) एकीकृत ग्राम एवं कुटीर उद्योग;

(झ) एकीकृत कल्याण (महिला, शिशु, कमजोर वर्ग, निशक्त एवं निराश्रित)

(ञ) एकीकृत रोजगार कार्यक्रम;

(ट) एकीकृत मनोरंजन एवं खेलकूद;

(ठ) एकीकृत सड़क एवं भवन निर्माण;

(ड) एकीकृत लघु सिंचाई।

**(ii) सामान्य कार्य –**

(क) पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना एवं उसे जिला परिषद को जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु समर्पित करना;

(ख) पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना;

(ग) प्राकृतिक संकट में सहाय्य कार्य की योजना बनाना एवं कार्यान्वित करना;

(घ) अनिवार्य सांख्यिकी कार्य का अनुरक्षण।

**(iii) कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है –**

(क) कृषि और बागवानी (उद्यान) का विकास एवं प्रोन्नति;

(ख) कृषि बीज फार्मों एवं उद्यान कृषि पोधशालाओं का अनुरक्षण;

(ग) कीटनाशी एवं जीवनाशी औषधियों का भंडारण एवं वितरण;

(ध) सूखी खेती को बढ़ावा देना और सब्जियों, फलों एवं फूलों का विपणन;

(ङ) किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं विस्तार संबंधी क्रियाकलाप का प्रबंधन;

(च) बंजर भूमि का समेकित प्रबंधन;

(छ) चारागाह का विकास और अनुरक्षण तथा उसके अनधिकृत हस्तान्तरण और उपयोग के निवारण के लिए समेकित योजना बनाना एवं ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

**(iv) भूमि विकास, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण में सरकार और जिला परिषद् को सहायता करना।**

**(v) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल आच्छादन तथा ढलवा जल निकास का विकास –**

(क) लघु सिंचाई कार्यों की व्यवस्था एवं अनुरक्षण से सरकार एवं जिला परिषद् को सहायता करना;

(ख) सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सिंचाई कार्यो का समेकित योजना निर्माण एवं उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

**(vi) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन –**

(क) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का अनुरक्षण;

(ख) पालतू मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधनों की नश्लों के सुधार के लिए समेकित योजना का कार्यान्वयन कराना एवं पर्यवेक्षण करना;

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन इत्यादि के प्रोन्नति;

(घ) महामारी एवं छूत के रोगों की रोकथाम।

**(vii)** मत्स्य पालन –

(क) गाँवों में मत्स्य पालन का समेकित विकास;

(ख) विपणन की सुविधा विकसित करना।

**(viii)** सामाजिक और कृषि वानिकी एवं लघु वन उत्पाद –

(क) सड़कों और अपने नियत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि के किनारे पर वृक्षारोपन और परिरक्षण के लिए समेकित योजना बनाकर कार्यान्वित कराना एवं सतत् पर्यवेक्षण करना;

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का समेकित विकास और प्रोन्नति;

(ग) ईंधन के लिए वृक्षारोपण और चारा विकास कार्यक्रम का पर्यावरण सरंक्षण के लिए व्यापक प्रचार एवं प्रसार;

(घ) लघु वन उत्पाद का संग्रहण, भंडारण, परस्करण एवं विपणन की व्यवस्था का समेकित प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण।

**(ix)** खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग –

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करना एवं प्रोत्साहन;

(ख) कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर, विचार गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का पंचायत समिति स्तर से आयोजन करना।

**(x)** ग्रामीण गृह निर्माण –

(क) ग्रामीण गृह निर्माण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना;

(ख) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गृह स्थलों का वितरण का पर्यवेक्षण एवं संतुलित वितरण सुनिश्चित करना;

(ग) गृह स्थला एवं अन्य निजी और सार्वजनिक सम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

**(xi)** पेयजल की सुविधा –

(क) जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण;

(ख) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की व्यवस्था, मरम्मत एवं अनुरक्षण की समेकित व्यवस्था करना;

(ग) पेयजल स्रोतों का समेकित प्रबंधन।

**(xii)** सड़क, भवन, पुल–पुलिया, जल मार्ग और अन्य यातायात के साधन –

(क) अपने क्षेत्राधिकार में दो या दो से अधिक ग्राम पचायतों के लाभ की ग्रामीण सड़कों, नालियों और पुल–पुलियों का निर्माण और अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(ख) अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण;

(ग) नौका, फरी और जल मार्ग के समेकित विकास में सहायता।

**(xiii)** ग्रामीण विद्युतीकरण –

(क) सार्वजनिक मार्गों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलबध कराने और उसके अनुरक्षण म ग्राम पंचायतों को सहायता;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता।

**(xiv)** गैरपरमपरागत ऊर्जा स्त्रोत –

(क) गैर परम्परागत ऊर्जा योजनाओं के समेकित उन्नयन एवं विकास के लिए प्रयास करना;

(ख) वायोगैस संयंत्र सहित सामुदायिक गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का विकास एवं विस्तार;

(ग) उन्नत चूल्हे तथा अन्य कार्यक्रम ऊर्जा साधनों का व्यापक प्रचार एवं प्रसार;

(घ) सौर ऊर्जा संचालित संयत्रों को अनुदानित दर पर उपलबध कराना।

**(xv)** गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम –

(क) पूर्ण नियोजन हेतु तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों आदि के सृजन के लिए योजना बनाना एवं कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई करना;

(ख) कारगर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण (MONITORING) में सहयोग।

**(xvi)** प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा –

(क) प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयी शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधा का विकास;

(ख) शिक्षा गारंटी की योजना बनाकर कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना।

**(xvii)** वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा –

(क) वयस्क साक्षरता को बढ़ाने हेतु समेकित योजना का कार्यान्वयन कराना।

**(xviii)** तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा –

(क) ग्रामीण कला और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना।

**(xix)** पुस्तकालय के विकास हेतु सहायता पदान करना।

**(xx)** खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य –

(क) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना एवं ग्रामीण क्लबों की स्थापना में सहायता;

(ख) सांस्कृतिक संगोष्ठियों का पंचायत समिति स्तर से आयोजन।

**(xxi)** चिकित्सा और स्वच्छता –

(क) ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक सड़क, तालाब, कुँओं एवं सड़कों की सफाई के लिए, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए, स्नान एवं धुलाई घाट के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए, टीकाकरण के लिए, महामारिया की रोकथाम के लिए, श्मशान एवं कब्रगाह का अनुरक्षण एवं संचालन के लिए, लावारिश मानव एवं पशुओं का निपटान के लिए, छुट्टा पशु के विरूद्ध निवारण कार्रवाई के लिए समेकित योजना बनाकर ग्राम पंचायतों को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

**(xxii)** कमजोर वर्गों विशेष कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –

(क) अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए समेकित योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(ख) समाज के कमजोर वर्गों के शोषण एव अन्याय के विरूद्ध कार्यक्रमों के लिए समेकित योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) अस्पृश्यता निवारण के संबंध में जारी किए गए निर्देशों एवं आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

**(xxiii)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का समेकित विस्तार;

(ख) कुपोषण की रोकथाम के लिए समेकित उपाय;

(ग) छोटे परिवार के सिद्धान्त को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित करना।

**(xxiv)** समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा महिला कल्याण सहित –

(क) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए समेकित योजना बनाकर कार्यान्वयन कराना;

(ख) वृद्ध, असक्त एवं निराश्रित लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को सहायता;

(ग) महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक विकास के लिए विशेष समेकित कार्यक्रम का प्रबंधन।

**(xxv)** सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रखरखाव –

(क) सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य ऐजेन्सियों द्वारा निर्मित सामुदायिक परिसम्पत्तियों के लिए विशेष व्यवस्था एवं उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित कराना;

(ख) इस हेतु जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस दिशा में सफल ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देना।

**(xxvi)** जनवितरण प्रणाली –

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के नियमानुसार वितरण को सुनिश्चित कराना तथा इस संबंध में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की सतत् पहचान एवं मूल्यांकन सुनिश्चित कराना;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए सतत् पर्यवेक्षण।

**(xxvii)** बाल विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की सहायता एवं मार्गदर्शन करना तथा समेकित विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर कार्यान्वित कराना।

**(xxviii)** सहकारिता कार्यकलापों मे वृद्धि –

(क) सहकारिता आधारित कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा वन एवं पर्यावरण कार्यक्रमों के समेकित विकास कार्यक्रम का प्रबंधन;

(ख) सहकारिता आधारित हस्त शिल्प, हस्तकरघा, तसर, लाह एवं मलवरी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित योजना बनाकर कार्यान्वित कराना;

(ग) सहकारी विपणन व्यवस्था विकसित करने में सहायता।

**(xxix)** बचत के प्रति जनसाधारण को प्रोत्साहित करना एवं सामूहिक बचत प्रणाली विकसित करने में ग्राम पंचायत को सहायता।

**(xxx)** स्वयं सहायता समूह का गठन एवं ग्राम स्वावलंबन की ओर ग्रामीणों को क्रियाशील करने में ग्राम पंचायत को सहायता।

**(xxxi)** जन्म, मुत्यु, विवाह आदि के अभिलेखों का संधारण एवं जन्म–मृत्यु के निबंधन के प्रति लोगों को जागृत करना एवं इस हेतु ग्राम पंचायतों को सहायता देना।

**(xxxii)** अन्यान्य

(क) आकस्मिक स्थिति या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ठोस व्यवस्था करना;

(ख) निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता, निराश्रित व्यक्ति के अंत्येष्टि की व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को सहायता;

(ग) राष्ट्रहित संबंधी कार्यों में सहयोग देना यथा जनगणना, सूचनाओं के संग्रहण में यथावांछित सहयोग देना;

(घ) जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना तथा पंचायतों के द्वारा ऐसी योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ङ) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई योजनाओं के और उन योजनाओं के, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उस सौंपी गई है, संबंध में वार्षिक योजना तैयार करना;

(च) ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, प्रबोधन और उनका मार्गदर्शन करना;

(छ) ग्राम पंचायतों के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करना;

(ज) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई योजनाओं के और उन योजनाओं के, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उस सौंपी गई है, का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(झ) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसे अंतरित किए गए या प्रत्यायोजित किए गए कृत्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना;

(ञ) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसे अंतरित किए गए या प्रत्यायोजित किए गए कृत्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा परियोजनाओं के संबंध में उनके द्वारा उपलबध करायी गई निधियों को केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार ग्राम पंचायतों को पुनः आवटित करना;

(ट) उन अनुदानों के प्रस्तावों को, जो ग्राम पंचायतों से किन्ही विशेष प्रयोजनों के लिए प्राप्त हुए है, समन्वित करना और उन्हें जिला परिषद् को अग्रसारित करना;

(ठ) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं तथा अन्य कार्यों का जो दो या अधिक ग्राम पंचायतों के साझे की हो, का निष्पादन सुनिश्चित करना;

(ड) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा उसको सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिए समस्त उपाय करना;

(ढ) विकास संबंधी क्रियाकलापों पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी परिवार कल्याण कमजोर वर्गों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं तथा बालकों के कल्याण के संबंध में जिला परिषद् को सलाह देना;

(ण) पंचायत समिति अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और प्रखंडो को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्य एवं सौपे गए योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत समिति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे निदेशों के अनुसार किया जाएगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे;

(त) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसको सौंपी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना;

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उसे प्रदत्त की जाए या उसे सौंपी जाए;

(द) अनिवार्य सांख्यिकी कार्य का अनुरक्षण;

(ध) पंचायत समिति के भीतर क्षेत्रीय योजना तथा आधारभूत सुविधाओं वाली विकास योजनाओं को हाथ में लेना;

(न) आधारभूत नागरिक सुविधाओं की योजना तैयार करना और उनका प्रबंधन;

(प) ग्राम पंचायत के अन्दर स्कीमों और निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करना, निष्पादित करना एवं पर्यवेक्षण करना;

(फ) लाभुकों के लिए तैयार की गई विशेष योजनाओं का नियंत्रण एवं प्रबोधन करना;

(ब) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं सामुदायिक स्वामित्व की भावना में अभिवृद्धि करना;

(भ) केन्द्र या राज्य सरकार या जिला परिषद् या पंचायत समिति के द्वारा सौंपी गयी स्कीमों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के निष्पादन को सुनिश्चित करना;

(म) ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पदस्थापित कर्मिकों पर नियंत्रण;

(य) लघु जल निकायों को मत्स्य पालन और अन्य वाणिज्यिकी प्रयोजन के लिए पट्टे पर देना।

(ख) अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत समिति की अतिरिक्त शक्तियाँ –

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायत समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी –

(1) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयो की योजना बनाना उन पर स्वामित्व तथा प्रबंधन करना;

(2) समस्त सामाजिक प्रक्षेत्रों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कार्यों पर नियंत्रण करना;

(3) स्थानीय योजना पर, जिसमें जनजाति उप–योजना सम्मिलित है, के स्रोतों एवं व्यय पर नियंत्रण रखना; और

(4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करना, जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या उसे न्यस्त करें,

(5) धारा (76) के उपधारा (क) एवं (ख) में पंचायत समिति के वर्णित कृत्य तत्समय प्रवृत सरकार के अन्य अधिनियमों/नियमों एवं उनके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे;

(6) सरकार, धारा (76) की उपधारा (क) एवं (ख) में वर्णित पंचायत समिति के कृत्यों या उसके अतिरिक्त कृत्यों के संबंध में तत्समय प्रवृत अधिनियमों/

नियमों में सम्यक् विचारोपरान्त, परिवर्त्तन कर, शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी।

**धारा 77**

(क) **जिला परिषद् के कृत्य –**

सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन, जिला परिषद् अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कृत्यों का संपादन करेगी।

**(i)** सामान्य कार्य –

(क) जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक याजनाओं को तैयार करना एवं समन्वित कायान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई स्कीमों, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई स्कीमों के वार्षिक योजनाओं को तैयार करना एवं समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) जिला का वार्षिक बजट तैयार करना;

(घ) पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, प्रबोधन करना एवं मार्गदर्शन;

(ङ) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई स्कीमों, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अन्तरित या प्रत्यायोजित की गई कृत्यों, कार्यो एवं परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना;

(च) अंतरित किए गए कृत्यों, कार्यों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा उपलबध करायी गई निधियों को उनके मापदण्डों के अनुसार पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को पुनः आवटित करना;

(छ) पंचायत समिति से किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त हुए अनुदानों के प्रस्तावो को समन्वित करना और उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करना;

(ज) दो या दो से अधिक पंचायत समितियों के लाभ की योजनाओं, परियोजनाओं तथा अन्य कायो का निष्पादन सुनिश्चित करना;

(झ) ग्राम पंचायत के माध्यम से या कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से कार्यो, स्कीमों और परियोजनाओं को जो राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को अन्तरित की गई है, उनकी निधि के स्रोतों को विचार में लाए बिना निष्पादित करना;

(ञ) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना;

(ट) प्राकृतिक संकट में सहाय्य कार्य करने की शक्ति;

(ठ) अनिवार्य सांख्यिकी की कार्य का अनुरक्षण।

**(ii)** कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है –

(क) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि उपकरण के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना तथा उन्नत कृषि पद्धतियों को अंगीकृत करना;

(ख) कृषि बीज फार्म तथा व्यावसायिक फार्म खोलना एवं उसका प्रबंधन;

(ग) कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन;

(घ) कृषि एवं बागवानी समेकित विस्तार की योजना बनाकर कार्यान्वित कराना;

(ङ) भूमि विकास एवं भूमि संरक्षण की समेकित विस्तार की योजना बनाकर कार्यान्वित कराना ;

(च) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

**(iii) भूमि विकास, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण –**

(क) भूमि संरक्षण संबंधी कार्यकलाप को विकसित एवं विस्तारित करना;

(ख) बंजर भूमि का विकास की एकीकृत योजना बनाकर कार्यान्वित कराना ।

**(iv) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास –**

(क) उद्‌वह सिंचाई का निर्माण एवं प्रबंधन;

(ख) जल छाजन कार्यक्रम का विस्तार;

(ग) उपलब्ध जल स्रोतों का अनुरक्षण;

(घ) भूतल जल संसाधनों का विकास;

(ङ) सामुदायिक जल समिति को बढ़ावा देना तथा सामुदायिक पम्प सेट स्थापित करना।

**(v) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन –**

(क) पालतू मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधनों की नश्लों का सुधार करने हेतु समेकित योजना बनाकर कार्यान्वित कराना;

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति ;

(ग) पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम प्रजनन केन्द्र की स्थापना ;

(घ) पशुओं की बीमारी एवं छूत रोगों के रोकथाम के उपाय ;

(ङ) समेकित चारा विकास ;

(च) सुअर, बकरी एवं बत्तक पालन कार्यकलाप का विस्तार एवं प्रबोधन ;

(छ) गव्यशाला एवं शीतगृहों की सुविधा।

**(vi) मत्स्य पालन –**

(क) मत्स्य बीज का उत्पादन एवं वितरण ;

(ख) मत्स्य क्रय–विक्रय सहकारी समितियों का गठन ;

(ग) निजी एवं सामुदायिक जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य ;

(घ) मछुआरों के उत्थान के लिए कल्याण योजनाएँ।

**(vii) सामाजिक कृषि वानिकी –**

(क) सड़कों और अपने नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि के किनारे पर वृक्षारोपण का समेकित प्रबंधन ;

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी का समेकित प्रबंधन ;

(ग) लघु वन उत्पादों का समेकित प्रबंधन।

**(viii) खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग –**

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करना ;

(ख) परम्परागत कुशल कारीगरों की पहचान कर उसके अनुरूप घरेलू उद्योगों का विकास की समेकित योजना कार्यान्वित करना ;

(ग) शिल्पकारों एवं कारीगरों के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता की व्यवस्था ;

(घ) तैयार उत्पादनों को लोकप्रिय बनाना एवं उसके क्रय–विक्रय की व्यवस्था;

(ङ) खादी, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों क लिए संगठन को प्रोत्साहित करना;

(च) कच्चे माल की आवश्यकता निर्धारित करना एवं आपूर्त्ति सुनिश्चित करना;

(छ) उपभोक्ताओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांकन एवं उत्पादन;

(ज) बैंक ऋण की व्यवस्था करना।

**(ix) ग्रामीण गृह निर्माण –**

(क) जिला में ग्रामीण गृह निर्माण कायक्रमों का कार्यान्वयन का समेकित प्रबंधन ;

(ख) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गृह स्थलों के वितरण का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण अनुरक्षण के लिए ग्राम पंचायत समिति को सहायता ;

(ग) गृहविहीन परिवारों की पहचान एवं उनके लिए अल्प लागत वाले आवास की व्यवस्था का समेकित प्रबंधन।

**(x) पेयजल की सुविधा –**

(क) जल प्रदुषण का नियंत्रण और निवारण ;

(ख) ग्रामीण जलापूर्त्ति का विस्तार ;

(ग) पेयजल स्रोतों का प्रबंधन ;

**(xi) सड़क, भवन, पुल–पुलिया, जल मार्ग और अन्य यातायात के साधन –**

(क) राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथों को छोडकर अन्य सड़क और पुल–पुलिया के लिए समग्र योजना बनाना, निर्माण कराना और अनुरक्षण की व्यवस्था करना ;

(ख) बाजार, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए समग्र योजना बनाना, निर्माण कराना और अनुरक्षण की व्यवस्था करना ;

(ग) नौका, फेरी और जल मार्ग की अनुरक्षण ;

(घ) जिला परिषद् के अधीन आनेवाले भवनों की मरम्मती एवं नये भवनों का निर्माण ;

(ङ) नयी सड़कों और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए स्वैच्छिक भूमि अर्जन के लिए लोगों को संगठित करना।

**(xii) ग्रामीण विद्युतीकरण –**

(क) सार्वजनिक मार्गो तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने में सहायता ;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार।

**(xiii) गैरपरम्परागत उर्जा स्त्रोत –**

(क) गैरपरम्परागत ऊर्जा योजनाओं का उन्नयन एवं विकास का व्यापक कार्यक्रम चलाना ;

(ख) वायोगैस संयंत्र सहित सामुदायिक गैरपम्परागत ऊर्जा साधनों का प्रचार–प्रसार;

(ग) उन्नत चूल्हे तथा अन्य ऊर्जा के स्रोतों के लिए लोगों की चेतना में अभिवृद्धि के लिए कार्यक्रम चलाना।

**(xiv) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम –**

(क) गरीबी उन्मूलन की एक समयबद्ध योजना तैयार करना एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ख) पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक अस्तियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेना ;

(ग) गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ।

**(xv) प्राथमिक, माध्यमिक, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा –**

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार ;

(ख) प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना का निरूपण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना ;

(ग) शिक्षा गारंटी की योजना बनाना एवं कार्यान्वित करना ;

(घ) गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रावास, आश्रम एवं छात्रवृति की व्यवस्था ;

(ङ) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार ;

(च) शैक्षणिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।

**(xvi) तकनीकि प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा –**

(क) ग्रामीण कला और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी, मेलों आदि का आयोजन;

(ख) कम्प्युटर शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार।

**(xvii) पुस्तकालय –**

(क) पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं अनुरक्षण में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को सहायता ;

(ख) प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सूचना केन्द्र विकसित करना।

**(xviii) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य –**

(क) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने स्थापना एवं अनुरक्षण;

(ख) सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन ;

(ग) खेलकूद स्थल एवं स्टेडियम का विकास ;

(घ) परम्परागत त्योहारों, नृत्यों, अन्य कलाओं को प्रोत्साहित करना एवं देश–विदेश में प्रचारित कर नया आयाम देना।

**(xix) बाजार और मेला –**

(क) पंचायत क्षेत्र में मेला (पशु मेला सहित), बाजार एवं हाट का प्रबंधन में सहायता।

**(xx) चिकित्सा और स्वच्छता –**

(क) ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं सार्वजनिक सड़क, तालाब कुँओं एवं सड़कों की सफाई सुनिश्चित कराना ;

(ख) सार्वजनिक शौचालय के लिए समेकित योजना बनाना एवं कार्यान्वयन कराना एवं अनुरक्षण ;

(ग) रोग–प्रतिरक्षण तथा टीकाकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाना ;

(घ) महामारियों की रोकथाम के लिए समग्र योजना बनाना तथा कार्यान्वयन कराना ;

(ङ) चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों, यक्ष्मा–आरोग्यशालाओं, कुष्ठ अस्पतालों और मानसिक रोग अस्पतालों को छोड़कर अन्य अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण ;

(च) मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप ;

(छ) ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन ;

(ज) परिवेश प्रदुषण से बचाव के उपाय करना।

**(xxi) कमजोर वर्गों विशेष कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –**

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए समेकित योजना बनाना ;

(ख) समाज के कमजोर वर्गों के शोषण एवं अन्याय के विरूद्ध समेकित कार्यक्रम का प्रबंधन ;

(ग) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृतियाँ, वृतिका, छात्रावास अनुदान एवं पुस्तक और अन्य आनुषांगिक सामग्रियों की खरीद हेतु अन्य अनुदान देना ;

(घ) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लाभार्थ, छात्रावासों का प्रबंधन ;

(ङ) निरक्षरता उन्मूलन एवं सामान्य शिक्षा देने हेतु नर्सरी स्कूल, बालवाड़ी एवं रात्रि पाठशाला के संगठन में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के लिए योजना बनाकर कार्यान्वित कराना ;

(च) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण देने हेतु आदर्श कल्याण केन्द्रों एवं शिल्प केन्द्रों का संचालन ;

(छ) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आवासीय बुनियादी विद्यालय की व्यवस्था ;

(ज) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना ;

(झ) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों का गठन ;

(ञ) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास हेतु अन्य कल्याण स्कीमें।

**(xxii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –**

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार ;

(ख) कुपोषण की रोकथाम के समेकित उपाय ;

(ग) छोटे परिवार के सिद्धांत को व्यापक प्रोत्साहन ;

**(xxiii) समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा महिला कल्याण सहित –**

(क) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए समेकित योजना बनाकर कार्यान्वित करना ;

(ख) वृद्ध, असक्त एवं निराश्रित, विकलांग एवं विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था का समेकित प्रबंधन ;

(ग) महिलाओं एवं बच्चों का संगठन एवं उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ;

(घ) अनाथालय, सुधार–गृह एवं कल्याण संस्थाओं का अनुरक्षण ;

(ङ) अंतर्जातीय विवाह को प्रात्साहन एवं ऐसे विवाह करनेवाले दम्पत्तियों जिनमें से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, के लिए प्रोत्साहन राशि देना ;

(च) अंधविश्वास, नशाखोरी, अस्पृश्यता एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध अभियान ;

(छ) तस्करी, करवंचना, मिलावट, सूदखोरी जैस अपराधों पर निगरानी ;

(ज) बंधुआ मजदूर की पहचान एवं पुनर्वास ;

(झ) आदिवासियों की संक्रमित भूमि का पुर्नग्रहण एवं भूमिहीन मजदूरों को प्रदत्त भूमि के विकास में सहायता।

**(xxiv) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव –**

(क) सरकार, स्थानीय पाधिकार एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा निर्मित सामुदायिक परिसम्पत्तियों के लिए समचित उपयोग की समेकित व्यवस्था ;

(ख) इस हेतु जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

**(xxv) जनवितरण प्रणाली –**

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सामाजिक चेतना जगाने के लिए समेकित कार्यक्रम ;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए सतत् पर्यवेक्षण।

**(xxvi) बाल विकास कार्यक्रम का समेकित प्रबंधन –**

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को सहायता।

**(xxvii) सहकारी कार्यकलापों में वृद्धि –**

(क) सहकारिता आधारित कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा वन एवं पर्यावरण कार्यक्रमों का समेकित प्रबंधन ;

(ख) सहकारिता आधारित हस्तशिल्प, हस्तकरघा, तसर, लाह एवं मलवरी उत्पादन को समेकित रूप से प्रोत्साहित करना ;

(ग) जिला स्तर पर सहकारी विपणन व्यवस्था विकसित करना।

**(xxviii) बचत के प्रति जनसाधारण को प्रोत्साहित करना एवं सामुहिक बचत प्रणाली विकसित करना।**

**(xxix) स्वयं सहायता समूह के गठन में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को सहायता।**

**(xxx) ग्राम स्वावलंबन की ओर ग्रामीणों को क्रियाशील करने के लिए समेकित कार्यक्रम बनाना।**

**(xxxi) जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अभिलेखों का संधारण एवं जन्म–मृत्यु के निबंधन के प्रति लोगों को जागृत करना।**

**(xxxii) अन्यान्य –**

(क) आकस्मिक स्थिति या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ठोस समेकित व्यवस्था करना ;

(ख) निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता में गाम पंचायत/पंचायत समिति को सहायता ;

(ग) (i) राष्ट्रहित संबंधी में सहयोग देना यथा जनगणना, सूचनाओं के संग्रहण में यथावांछित सहयोग देना ;

(ii) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिला स्तर के वांछित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा विश्लेषण एवं समयानुसार नवीकरण ;

(घ) पंचायतों में नियुक्त किए गए और पदस्थापित किए गए कर्मचारियों का, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानान्तरित किया गया कर्मचारीवृन्द आता है, प्रशासन करना एवं उनका नियंत्रण

करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाए।

(ख) **(i) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिले के जिला परिषद में विलोन होना –**

सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट या तत्समय प्रवृत राज्य की किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिले का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले के जिला परिषद् में विलोन हुआ समझा जाएगा और उक्त अभिकरण की समस्त अस्तियाँ तथा दायित्व और उसके कृत्य संबंधित जिला परिषद् को अंतरित हो जायेंगे और उसमें निहित रहेंगे और उसका निर्वहन तथा अनुपालन संबंधित जिला परिषद् द्वारा किया जाएगा ;

**(ii)** इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उप–विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समस्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ वहीं होगी जो कि विद्यमान वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाएँ है।

(ग) **अनुसूचित क्षेत्र में जिला परिषद् की अतिरिक्त शक्तियाँ –**

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, जिला परिषद को निम्नलिखित शक्तियाँ होगी –

(1) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन करना ;

(2) समस्त सामाजिक प्रक्षेत्रों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कार्यो पर नियंत्रण करना ;

(3) स्थानीय योजना पर, जिसमें जनजाति उप–योजना सम्मिलित है, के स्रोतों एवं व्यय पर नियंत्रण रखना ; और

(4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों को निर्वहन करना, जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या उसे न्यस्त करें;

(घ) धारा (77) के उपधारा (क) एवं (ग) में जिला परिषद के वर्णित कृत्य तत्समय प्रवृत सरकार के अन्य अधिनियमों/नियमों एवं उनके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे।

(ङ) सरकार, धारा (77) की उपधारा (क) एवं (ग) में वर्णित जिला परिषद के कृत्यों या उसके अतिरिक्त कृत्यों के संबंध में तत्समय प्रवृत अधिनियमों/नियमों, सम्यक् विचारोपरान्त, परिवर्तन कर, शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी।

धारा 78

**पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियाँ –**

1) (क) ऐसे शर्त्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, पंचायतों को समुचित स्तर पर ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार होगा जो कि अनुसूची (1) में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में, जिनके अन्तर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और स्कीमो का क्रियान्वयन तथा धारा –[1][10 (i), (क) एवं 10 (5)] धारा– (75), (76), (77) के अधीन सौंपे गए अन्य कर्त्तव्य और कृत्य आते हैं, स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हों।

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पंचायतों को स्कीमों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के किसी संवर्ग या किन्हीं संवर्गो के चयन, भर्त्ती नियुक्ति तथा प्रबन्ध हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्टॉफिंग पैटर्न (कर्मचारीवृन्द संबंधी ढांचे) और ऐसी अन्य शर्त्तो के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह उचित समझे, समुचित स्तर पर शक्तियाँ तथा जिम्मेदारियाँ प्रदान कर सकेगा।

2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पंचायतों के किन्हीं कृत्यों में वृद्धि कर सकेगी या ऐसी पंचायतों को सौपे गए कृत्यों तथा कतव्यों को वापस ले सकेगी। जब राज्य सरकार पंचायत को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के निष्पादन को अपने हाथ में ले लेती है, तो पंचायत ऐसी कृत्यों के लिए उस समय तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार ऐसी कृत्य पंचायत का पुनः न सौप दे।

3) सरकार अधिसूचना द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट ऐसे शर्तो के अध्यधीन –

(क) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित जंगल के प्रबंधन और अनुरक्षण ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर सकेगी ;

(ख) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित सरकारी परती जमीन, चारागाह या खाली पड़ी हुई जमीन का प्रबंधन ग्राम पंचायत को सौप सकेगी ;

(ग) सरकार की ओर से लगान वसूल करने तथा इसे संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण का कार्यक्रम पंचायत को सौप सकेगी ;

परन्तु यह कि संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति के बिना खंड (ग) के अधीन कोई भी सुपुर्दगी नहीं की जाएगी ;

परन्तु यह और भी कि जब खंड (क) के अधीन किसी वन के प्रबंधन, अनुरक्षण का अन्तरण किया जाए तब सरकार यह निर्देश देगी कि ऐसे प्रबंधन और

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 – 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कोई राशि अथवा उस वन से आय के किसी पर्याप्त अंश को ग्राम पंचायत के जिम्मे दे दिया जाए।

4) इस धारा के उपधारा (3) के अधीन सौपे गए कार्यो को सरकार अधिसूचना द्वारा उपांतरित, परिवर्तित अथवा रद्द कर सकेगी।

**धारा 79**

**सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ और सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत की शक्तियाँ –**

ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए, ग्राम पंचायत –

(1) स्वच्छता, सफाई, जल निकास, जल संक्रमण, जल प्रदाय के स्रोतों का अनुरक्षण करने;

(2) जल के उपयोगों का विनियमन करने ;

(3) पर्यावरण नियंत्रण सुनिश्चित करने ;

(4) संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने ;

(5) घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन करने ;

(6) कर्मशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का विनियमन करने;

(7) ऐसे अन्य कृत्य करने, जो इस अधिनियम के उपबंधो द्वारा या उनके अधीन आवश्यक है, की शक्ति होगा ।

**धारा 80**

**भवनों का निर्माण पर नियंत्रण –**

ग्राम में सार्वजनिक मार्गो, भवनों, मकानों क अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुकूल कार्यवाही ग्राम पंचायत कर सकेगी।

**धारा 81**

**सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थानों पर रूकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्तियाँ –**

(1) कोई भी, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थान पर या ऐसे मार्ग पर स्थित किसी नाली पर –

(क) किसी दीवाल, बाड़, खिड़की, खंभा, स्टाल, बरामदा, चबुतरा, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना का निर्माण करके या बनाकर ; या

(ख) ग्राम पंचायत की लिखित आज्ञा के बिना या ऐसे आज्ञा में उल्लिखित शब्दों के प्रतिकूल कोई बरामदा, छज्जा, कमरा या अन्य किसी संरचना का निर्माण इस प्रकार करे कि जिससे वह किसी सार्वजनिक सड़क पर या ऐसी सड़क पर स्थित किसी नाली पर आगे निकला हुआ हो; या

(ग) किसी स्थल से मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री आपराधिक रूप से हटाकर; या

(घ) किसी चारागाह या अन्य भूमि में अप्राधिकृत रूप से खेती करके कोई रूकावट, बाधा या अतिक्रमण करेगा, जुर्माने से, जो सरकार द्वारा अधिनियमित की जाए, दंडित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने और चारागाह या किसी भूमि पर, जो निजी संपत्ति न हो, अप्राधिकृत रूप से उगाई गयी फसल को हटाने की शक्ति होगी और उसे किसी ऐसे खुल स्थल में कि जो निजी संपत्ति न हो चाहे वह स्थल ग्राम पंचायत में निहित हो या न हो, उसी प्रकार को किसी अप्राधिकृत बाधा या अतिक्रमण या आगे निकले हुए भाग को हटाने के लिए भी वैसी ही शक्ति होगी और इस प्रकार हटाए जाने के व्ययों का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने उक्त अतिक्रमण किया है और ऐसे व्ययों का भुगतान नहीं किए जाने पर ऐसा व्यय विहित नियमों के अनुसार उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा;

परन्तु उपधारा (1) तथा इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि ग्राम पंचायत राज्य सरकार में निहित किसी भूमि पर से किसी रूकावट, बाधा या अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प करती है तो वह ऐसी भूमि से ऐसी रूकावट, बाधा या अतिक्रमण को हटाने के लिए अंचलाधिकारी को संसूचित कर सकेगी और अंचलाधिकारी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या तत्संबंधी प्रवृत कोई अन्य नियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(3) ग्राम पंचायत, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी त्योहारों तथा उत्सवों के अवसर पर आवश्यकतानुसार किसी सार्वजनिक स्थान का ऐसी रीति में, जिससे जनता को या किसी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से उपयोग किए जाने या उस पर कोई निर्माण किए जाने या आगे निकला हआ भाग निर्मित करने की अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी उपविधियों के अनुसार दे सकेगा ।

(4) ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई आदेश तब तक पारित नही करेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

**धारा 82**

**समझौता करने की शक्ति –**

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, विहित प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी से, किसी ऐसे वाद के संबंध में जो उसके द्वारा या उसके विरूद्ध दायर किया गया है, या किसी ऐसे दावे या मांग के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा की गयी संविदा से उद्भूत है, समझौता ऐसे निबंधनों पर कर सकेगी जो वह उचित समझे।

**धारा 83**

**बाजारों या मेलों का विनियमन –**

1) राज्य में तत्समय कृषि बाजार अधिनियम में यथाउपबंधित के अलावे, ग्राम पंचायत के अलावा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के भीतर बाजार या मेले के प्रयोजन के लिए कोई स्थान न तो नियत करेगा न स्थापित करेगा न ही उपयोग करेगा ;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी बाजार या मेले को सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला घोषित कर सकेगी और इस प्रकार यथास्थिति घोषित सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला पंचायत समिति में निहित होगा।

2) राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बाजार या मेले के लिए नियम बना सकेगी।

## अध्याय 8
## पंचायत की निधि एवं सम्पति

**धारा 84**

**ग्राम पंचायत की निधि एवं उसकी सम्पत्ति –**

(1) ग्राम पंचायत को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटने की तथा उसका संविदा करने की शक्ति होगी ;

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अचल सम्पत्ति के निपटारे के सभी मामलों में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य ग्राम पंचायत की शक्ति या उनके द्वारा अनुरक्षित को छोड़कर इस धारा में विनिर्दिष्ट, ग्राम पंचायत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उस प्रकार की सभी संपत्ति, ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगी और उसकी हो जाएगी तथा जिस किसी स्वरूप या प्रकार की सभी अन्य सम्पत्तियाँ जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाए वह उसके निर्देश, प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन होगी; अर्थात्

(क) सभी सामान्य सम्पत्तिया;

(ख) सभी सार्वजनिक गलियाँ, जिनमें मिट्टी, पत्थर और अन्य सामग्रियाँ सम्मिलित हो और सभी नालियों, पुल–पुलिया, वृक्ष, निर्माण सामग्रिया, औजार और अन्य वस्तुएँ, जो ऐसी गलियों के लिए उपबंधित हो;

(ग) सभी सार्वजनिक मल प्रणाली और नालियों तथा उससे जुड़ी सभी निर्माण सामग्रियाँ और वस्तुएँ एवं अन्य मलवाहन निर्माण;

परन्तु यह कि ऐसे मल प्रणाली और नालियों को विस्तृत करने, गहरा करन या अन्यथा मरम्मत करने या बनाए रखने के प्रयोजनार्थ या उसमें जुड़ी उपमृदा गाम पंचायत में निहित मानी जाएगी;

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल प्रणाली, चहबच्चों और अन्य स्थानों से एकत्रित या गलियों में जमा किए गए सभी मल, कूढ़ा करकट और हानिकारक वस्तुएँ ;

(ङ) सभी सार्वजनिक बत्तियाँ, बत्तो के खम्भों और उससे संबंधित या जुड़े उपकरण;

(च) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सभी भवन एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित अथवा स्थानीय लोगों के प्रयोजनार्थ दान, खरीद या अन्यथा अर्जित सभी जमीन भवन या सम्पत्ति,

(छ) ग्राम पंचायत या अन्यथा के खर्चे पर बनाए गए या नींव डाले गए या स्थापित सभी सार्वजनिक नाले, जल सरणियाँ, सोते, तालाब, घाट, जलाशय, हौज, कुँए, जलसेतु वाहक नाली, सुरंग, पाईप, पम्प और अन्य जननिर्माण तथा सभी पुल भवन ईंधन निर्माण सामग्रियाँ और उससे जुड़ी हुई या संबंधित वस्तुएँ एवं किसी तालाब से जुड़ी कोई आसन्न भूमि (जो निजी सम्पत्ति नहीं हो);

परन्तु यह कि उससे जुड़े या संबंद्ध जल, नल और नल निर्माण, किसी गली में जिसकी नींव डालने या स्थापित करने में ग्राम पंचायत की सहमति ली गयी हो, किसी मिल, कारखाना, उद्योग, कर्मशाला या उसी तरह की अन्य किसी वस्तु के स्वामियों द्वारा मुख्यतः अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए स्थापित हो, जिन्हें जनसाधारण द्वारा उपयोग किए जाने के कारण सार्वजनिक जननिर्माण नहीं माना जाएगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या इस अधिनियम के किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रर्वतन से, किसी गली, पुल अथवा नाली को विमुक्त कर सकेगी;

परन्तु यह कि यदि निर्माण की सरंचना खर्च का भुगतान ग्राम पंचायत की निधि से किया गया हो, तो ऐसे निर्माण को, इस अधिनियम या इस अधिनियम की किसी विनिदिष्ट धारा के प्रर्वतन से विमुक्त नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि किसी बैठक में ग्राम पंचायत के मंतव्य पर विचार नहीं कर लिया जाए।

(4) राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत को, इसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवस्थित किसी सार्वजनिक सम्पति को आवटित कर सकेगी और तब ऐसी सम्पत्ति ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन हो जाएगी।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन ग्राम पंचायत को आवटित की गयी किसी सम्पत्ति को पुनर्ग्रहण कर सकेगी, ऐसी अंतरण के लिए, ग्राम पंचायत द्वारा दी गयी रकम या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी सम्पत्ति पर परिनिर्मित किसी भवन या निष्पादित किए गए किसी संकर्म के उस बाजार मूल्य से जो पुनर्गहण की तारीख को हो, से भिन्न कोई प्रतिकर देय नहीं होगी;

परन्तु निहित किए जाने के बंधेजों एवं शर्त्तो के उल्लंघन में निर्मित या परिनिर्मित किए गए भवन, संरचना या संकर्मो के संबंध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के नाम से एक ग्राम पंचायत निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नांकित जमा किए जायेंगे –

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो;

(ख) जिला परिषद, पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो;

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण, यदि कोई हो;

(घ) अपने द्वारा कर, उपकर और फीस के मद में वसूली गयी सभी प्राप्तियाँ;

(ङ) गाम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गए या इसके द्वारा निर्मित तथा इसमें निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था अथवा निर्माणों से संबंधित सभी प्राप्तियाँ;

(च) ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास अथवा धर्मस्व से होने वाली समस्त आय और दान एवं अंशदान के रूप में पाप्त की गयी सारी राशि;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाए गए और वसूल किए गए यथाविनिर्दिष्ट जुर्माने एवं अर्थदंड;

(ज) ग्राम पंचायत द्वारा और उसकी ओर से प्राप्त की जानेवाली अन्य राशि।

(7) प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्त्ति के लिए ऐसी राशि अलग रखेगी और उनका उपयोग वाषिक तौर पर करेगी, जो –

(क) इसके अपने प्रशासन का खर्च, जिसमें इसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सचिव के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं उपादान का भुगतान शामिल है;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी राशि को व्यय की शक्ति होगी, जो वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए यथोचित समझे;

(ग) ग्राम पंचायत निधि, पंचायत के निहित होगी और निधि की जमा राशि यथाविहित विनिर्दिष्ट अभिरक्षा में की जाएगी।

(8) ग्राम पंचायत के मामले में मुखिया तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत निधि से समस्त राशि निकाली जा सकेगी।

**धारा 85**

**पंचायत समिति की निधि एवं उसकी सम्पत्ति** –

(1) पंचायत समिति की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटाने की तथा उनकी संविदा करने को शक्ति होगी;

परन्तु यह कि अचल सम्पत्ति के निपटारे के सभी मामलों में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) किसी पंचायत समिति द्वारा उसकी निधियों से निर्मित समस्त सड़कें, भवन तथा अन्य निर्माण उसमें निहित होंगे।

(3) राज्य सरकार, पंचायत समिति को उसके अधिकारिता में अवस्थित किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को उसे आवंटित कर सकेगी और तत्पश्चात् इस प्रकार की सम्पत्ति पंचायत समिति के नियंत्रण में आ जाएगी।

(4) राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन पंचायत समिति को आवटित की गयी किसी सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण कर सकेगी, ऐसे अंतरण के लिए, पंचायत समिति द्वारा दी गयी रकम या पंचायत समिति द्वारा ऐसी सम्पत्ति पर परिनिर्मित किसी भवन या निष्पादित किए गए किसी संकर्म के उस बाजार मूल्य से जो पुनर्गहण की तारीख को हो, से भिन्न कोई प्रतिकर देय नहीं होगी;

परन्त् निहित किए जाने के बंधेजों एवं शर्तो के उल्लंघन में निर्मित या परिनिर्मित किए गए भवन, संरचना या संकर्मो के संबंध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(5) जहाँ इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी पंचायत समिति को भूमि की आवश्यकता हो, वहाँ उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से बातचीत करेगी और यदि सहमति न हो, तो यह भूमि के अर्जन के लिए जिला दण्डाधिकारी के पास आवेदन करेगी, यदि उसका समाधान हो जाए कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है तो संगत भू–अर्जन अधिनियम – 1894 (अधिनियम 1, 1894) के प्रावधानों के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उपाय करेगा और ऐसी भूमि अर्जित हो जाने पर पंचायत समिति में निहित हो जाएगी।

(6) पंचायत समिति निधि – प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के नाम से एक पंचायत समिति निधि का गठन किया जाएगा और जमा खाते में निम्नांकित राशि जमा की जाएगी –

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत राज्य में वसले गए भू–राजस्व का ऐसा अंशदान भी शामिल है, जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए;

(ख) जिला परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो;

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण अथवा पंचायत समिति द्वारा अपनी परिसम्पतियों की प्रतिभूति पर लिया गया ऋण यदि कोई हो;

(घ) अपने द्वारा उगाहे गए पथ कर, उपकर और फीस के मद में वसूली गयी सभी प्राप्तियाँ;

(ङ) पंचायत समिति में निहित या उसके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन आने वाले किसी भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्थाएँ अथवा अधीनस्थ निर्माण से संबंधित सभी प्राप्तियाँ;

(च) पंचायत समिति के पक्ष में किसी न्यास अथवा धर्मस्व से होने वाली समस्त आय और दान एव अंशदान के रूप में प्राप्त की गयी सारी राशि;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन अथवा इसके अधीन बनाए गए उपविधियों के अधीन लगाए गए और वसूल किए गए यथाविनिर्दिष्ट जुर्माने एवं अर्थदंड;

(ज) पंचायत समिति के द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी धनराशि।

(7) प्रत्येक पंचायत समिति निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसी राशि अलग रखेगी और उनका उपयोग वाषिक तौर पर करेगी; जो –

(क) इसके अपने प्रशासन का खर्च, जिसमें इसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सचिव के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं उपादान का भुगतान शामिल है;

(ख) प्रत्येक पंचायत समिति को ऐसी राशि को व्यय की शक्ति होगी, जो वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए यथोचित समझे;

(ग) पंचायत समिति निधि पंचायत समिति मे निहित होगी और निधि की जमा राशि यथा विहित अभिरक्षा में की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दें।

(8) ऐसे सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन जैसा कि पंचायत समिति समय–समय पर प्रयोग करें, पंचायत समिति की निधि से भुगतान के लिए सभी आदेशों और चकों पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

(9) पंचायत समिति स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऋण उगाही से संबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधो के अध्यधीन, राज्य सरकार के अनुमोदन से समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऋण की उगाही कर सकेगी तथा ऐसे ऋणों की अदायगी के लिए निक्षेप निधि का सृजन कर सकेगी।

(10) पंचायत समिति, विशिष्ट स्कीमों के आधार पर जैसा कि प्रयोजनार्थ पंचायत समिति द्वारा तैयार की जाए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से या सरकार की पूर्व स्वीकृति से बैंकों से ऋण ले सकेगी।

**धारा 86**

**जिला परिषद् की निधि एवं उसकी सम्पत्ति –**

(1) जिला परिषद् को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटने की तथा उसकी संविदा करने की शक्ति होगी ;

परन्तु यह कि अचल सम्पत्ति को अर्जित करने या उसके व्ययन के सभी मामलों में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) जिला परिषद् द्वारा उसकी निधियों से निर्मित समस्त सड़कें, भवन अथवा अन्य निर्माण उसमें निहित होंगे।

(3) राज्य सरकार, जिला परिषद् को उसके अधिकारिता में अवस्थित किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को उसे आवंटित कर सकेगी और तत्पश्चात् इस प्रकार को सम्पत्ति जिला परिषद् के नियंत्रण में आ जाएगी।

(4) राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन जिला परिषद् को आवटित की गयी किसी सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण कर सकेगी, ऐसे अंतरण के लिए, जिला परिषद् द्वारा दी गयी रकम या जिला परिषद् द्वारा ऐसी संपत्ति पर परिनिर्मित्त किसी भवन या निष्पादित

किए गए किसी संकर्म के उस बाजार मूल्य से जो पुनर्ग्रहण की तारीख को हो, से भिन्न कोई प्रतिकर देय नहीं होगी;

परन्तु निहित किए जाने के बंधेजों एवं शर्तों के उल्लंघन में निर्मित या परिनिर्मित किए गए भवन, संरचना या संकर्मों के संबंध में काई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(5) जहाँ इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी जिला परिषद् को भूमि की आवश्यकता हो, वहाँ उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से बातचीत करेगी और यदि सहमति न हो, तो वह भूमि के अर्जन के लिए जिला दण्डाधिकारी के पास आवेदन करेगी, यदि उसका समाधान हो जाए कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है तो संगत भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उपाय करेगा और ऐसी भूमि अर्जित हो जाने पर पंचायत समिति में निहित हो जाएगी।

(6) जिला परिषद् निधि – प्रत्येक जिला परिषद् में जिला परिषद् के नाम से एक जिला परिषद् निधि का गठन किया जाएगा और जमा खाते में निम्नांकित राशि जमा की जाएगी –

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत राज्य में वसूले गए भू–राजस्व का ऐसा अंश भी शामिल है जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए;

(ख) जिला परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो,

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण अथवा जिला परिषद् द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति पर लिया गया ऋण यदि कोई हो,

(घ) अपने द्वारा उगाहे गए पथ–कर, उप–कर और फीस के मद में वसूली गयी सभी प्राप्तियाँ;

(ङ) जिला परिषद् में निहित या उसके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन आने वाले किसी भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था अथवा अधीनस्थ निर्माण से संबंधित सभी प्राप्तियाँ;

(च) जिला परिषद् के पक्ष में किसी न्यास अथवा धर्मस्व से होनेवाली समस्त आय और दान एव अंशदान के रूप में प्राप्त की गयी सारी राशि;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाए गए और वसूल किए गए यथाविनिर्दिष्ट जुर्माने एवं शास्तियाँ;

(ज) जिला परिषद् के द्वारा अथवा उसकी और स्रोत से प्राप्त अन्य सभी धनराशि।

(7) प्रत्येक जिला परिषद् निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्त्ति के लिए ऐसी राशि अलग रखेगी और उनका उपयोग वाषिक तौर पर करेगी, जो –

(क) इसके अपने प्रशासन का खर्च, जिसमें उसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सचिव के वेतन, भत्तें, भविष्य निधि एवं उपादान का भुगतान शामिल है;

(ख) प्रत्येक जिला परिषद् को ऐसी राशि को व्यय की शक्ति होगी, जो वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए यथोचित समझे ;

(ग) जिला परिषद् निधि, जिला परिषद् में निहित होगी और निधि की जमा राशि यथाविहित विनिर्दिष्ट अभिरक्षा में की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दें।

(8) ऐसे सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन जैसा कि जिला परिषद् समय–समय पर प्रयोग करें, जिला परिषद् की निधि से भुगतान किए गए सभी आदेशों और चेकों पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

(9) जिला परिषद् स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऋण उगाही से संबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार के अनुमोदन से समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऋण की उगाही कर सकेगी तथा ऐसे ऋणों की अदायगी के लिए निक्षेप निधि सृजन कर सकेगी।

(10) जिला परिषद्, विशिष्ट स्कीमों के आधार पर जैसा कि प्रयोजनार्थ जिला परिषद् द्वारा तैयार की जाए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से या सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऋण ले सकेगी।

**धारा 87**

**(1) पंचायत को निधियों का समुनदेशन (Assignment)**

राज्य सरकार ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तो और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उदगृहित और संग्राहित ऐसे कर, पथ–कर तथा फीस समनुदेशित कर सकेगी और राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान दे सकेगी।

**(2) पंचायत निधि का उपयोग –**

(क) पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति और पंचायत निधि का इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपयोजन, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए या साधरणतः पंचायतों के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य व्यय के लिए किया जाएगा जो राज्य सरकार के किसी पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा लोकहित में अनुमोदित करे, पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उपखाजने का डाकघर या सरकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या उसकी शाखा में रखी जाएगी;

(ख) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिए पंचायत को आवटित किसी राशि का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में साधारणतः या विशेषतः जारी करे;

(ग) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के मामले में समस्त राशि केवल वाषिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था के प्रयोजनों हेतु यथास्थिति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जाएगी ;

परन्तु यह कि पंचायत निधि में की समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण में संबंधित जानकारी पंचायत के समक्ष उसके आगामी बैठक में रखी जाएगी।

**धारा 88**

**(1) पंचायत को सहायता अनुदान (Grant) –**

राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को ऐसी सहायता अनुदान देगी जैसा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चित किया जाए।

**(2) सहायता अनुदान देने की शक्ति –**

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए सहायता अनुदान दे सकेगी।

**धारा 89**

**अचल संपत्ति का अंतरण (Transfer)**

(1) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित या इनकी किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय, दान, बंधक या विनिमय या पट्टा या अंतरण राज्य सरकार की या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मंजूरी से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) अचल संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार विहित करेगी।

## अध्याय – 9
## पंचायतों की स्थापना

**धारा 90**

**(1) ग्राम पंचायत की स्थापना –**

(क) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी ग्राम पंचायत के लिए एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार धारण करनेवाला व्यक्ति इस धारा के अनुसार सचिव की नियुक्ति हो जाने तक उस रूप में कार्य करता रहेगा;

परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार ग्रहण नही करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पचायत के पदधारी का रिश्तेदार है;

(ख) सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालय का प्रभारी होगा और उसके सभी कर्त्तव्य का निष्पादन करेगा तथा इस अधिनियम अथवा इसक अधीन निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के अन्तर्गत या उसके द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) ग्राम रक्षा दल – ग्राम पहरा तथा रखवाली, अगलगी, बाँध या पुल को तोड़ने से बचाने के लिए, महामारी का फैलना तथा चोरी या डकैती आदि का सामना करने के लिए, सार्वजनिक अमन चैन बनाए रखने के लिए और सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यो को सम्पादित करने के लिए विहित रीति से नियुक्त एक चीफ ऑफिसर की अधीनता में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम रक्षा दल संगठित किया जा सकेगा और ग्राम के 18 से 30 वष के सभी योग्य व्यक्ति उस दल से सदस्य होंगे ;

(घ) ग्राम रक्षा दल के संगठन के लिए नियम एवं कर्त्तव्य एवं व्यवहार के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

**(2) पंचायत समिति की स्थापना –**

(क) राज्य सरकार पंचायत समिति क लिए एक कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो उपसमाहर्त्ता से न्यून स्तर का नहीं हागा एवं जो पंचायत समिति के सचिव के दायित्वों का निर्वहन करेगा एवं पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी होगा एवं इस अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के अन्तर्गत या उसके द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) राज्य सरकार पंचायत निदेशालय के माध्यम से एक सहायक सचिव की नियुक्ति करेगी जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुदेशित किया जाए;

(ग) सरकार पंचायत समिति के अधीन काम करने के लिए समय–समय पर उतनी संख्या में, राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापित करेगी, जितना वह आवश्यक समझे;

(घ) इस अधिनियम अथवा तत्समय किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार अथवा इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी को इस प्रकार पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी ;

(ङ) कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कार्य।

(i) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन, अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, को छोड़कर कार्यपालक पदाधिकारी –

(क) पंचायत समिति के सभी कार्यो के कार्यान्वयनों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(ख) सरकार द्वारा विनियमित नियमावली के अनुसार पंचायत समिति के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों अथवा पदधारकों के कर्त्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा ;

(ग) पंचायत समिति के सभी कार्यो एवं विकासात्मक स्कीमों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करेगा ;

(घ) पंचायत समिति और इसकी समितियों की बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित सभी कागजात एवं दस्तावेजों की अभिरक्षा करेगा ;

(ड) पंचायत समिति के कोष से रकम की निकासी एवं संवितरण करेगा ; और

(च) यथाविनिदिष्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(ii) कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के प्रत्येक बैठक में शामिल होगा और उसे पंचायत समिति की किसी में शामिल होने तथा उसके विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यदि कार्यपालक पदाधिकारी की राय में पंचायत समिति के समक्ष रखा गया कोई प्रस्ताव अतिक्रामक है, अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन विनिर्मित किसी अन्य विधि, नियम अथवा आदेश के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी ओर पंचायत समिति का ध्यान आकृष्ट करे।

**(3) जिला परिषद् की स्थापना –**

(क) राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो जिला दंडाधिकारी के श्रेणी का पदाधिकारी होगा। इसी प्रकार सरकार जिला परिषद् के लिए यथाविहित शर्तो एवं बंधेजों पर अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी तथा आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक उपमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा कार्यपालक पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किया जाए;

(ख) सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक मुख्य योजना पदाधिकारी एवं एक मुख्य लेखा पदाधिकारी भी नियुक्त करेगी;

(ग) राज्य सरकार समय–समय पर प्रत्येक जिला परिषद् में विभिन्न स्तर के उतने पदाधिकारी एवं कर्मचारी और सरकार के अधीन सेवा करने के लिए आवटित अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को पदस्थापित करेगी, जैसा कि सरकार आवश्यक समझे;

(घ) इस अधिनियम या उस समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार को या कोई अन्य पदाधिकारी को या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी को एक जिला से दूसरे जिला में इस प्रकार पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी ;

(ङ) राज्य सरकार, विनिर्दिष्ट तिथि से यथाविहित प्रत्येक जिला परिषद् के लिए ऐसी सेवाओं का गठन कर सकेगी जो विहित की जाए ;

(च) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी के कृत्य –

(i) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –

(क) जिला परिषद् की नीतियों और निर्देशों को कार्यान्वित करेगा और जिला परिषद् के सभी कार्यो और विकास स्कीमों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठायेगा
(ख) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण तथा यथाविहित नियमों के अध्यधीन जिला परिषद के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा ;

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा अथवा उसके अधीन सौपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(घ) जिला परिषद् से संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखेगा ;

(ङ) जिला परिषद् निधियों से धन की निकासी और संवितरण करेगा और ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा जो उसे निहित किए जाए ;

(ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् के प्रत्येक बैठक में शामिल होगा और उसे, उसके किसी समिति में शामिल होने तथा उसके विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार हागा, किन्तु उसे कोई प्रस्ताव रखन या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यदि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की राय में जिला परिषद् के समक्ष रखा गया कोई प्रस्ताव अतिक्रामक है अथवा इस अधिनियम, अथवा इसके अधीन विनिर्मित किसी अन्य विधि, नियम अथवा आदेश के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह इसकी ओर जिला परिषद् का ध्यान आकृष्ट करे ;

(iii) मुख्य योजना पदाधिकारी योजना बनाने के मामले में जिला परिषद् को परामर्श देगा और और जिला परिषद् की योजना से संबंधित सभी मामलों के लिए, जिनमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और जिले की वाषिक योजना तैयार करना भी शामिल है, उत्तरदायी होगा एवं जिला योजना समिति के लिए गठित जिला योजना इकाई का वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा ;

(iv) मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय नीति के मामले में जिला परिषद् को परामर्श देगा और जिला परिषद के लेखा से संबंधित सभी मामलों के लिए जिनमें वाषिक लेखा और

बजट तैयार करना भी शामिल है, उत्तरदायी होगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय समुचित मंजूरी के बिना नहीं किया गया ह और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार ही किया गया है और वैसे किसी भी व्यय को नामंजुर कर देगा जो इस अधिनियम या नियम या विनियम द्वारा समर्पित नहीं हो या जिसके लिए इस बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो ;

(v) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित धन लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति को अपने कब्जे में रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोजनार्थ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिखित मांग की जाने पर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को या उसे प्राप्त करने के लिए मांग म प्राधिकृत व्यक्ति को वैसा धन सुपुर्द कर देगा या वैसा लेखा, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति दे देगा;

(vi) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसी रीति से ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी धन को वसूलने की भी कार्रवाई कर सकेगा जैसा व्यतिक्रमियों से भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित लेखा, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उससे संबद्ध ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) के अध्याय (vii) के उपबंधों के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा विधितः प्रयोग किया जाए;

(vii) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित धन लेखा, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति कहाँ छिपाई हुई है, ऐसा जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उसकी जानकारी देने के लिए आबद्ध होगा ;

(viii) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के पास अपील की जाएगी।

**धारा 91**

**सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था –**

1) ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी या जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के छुट्टी, सेवा निवृति या मृत्यु या त्यागपत्र या स्थानान्तरण के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति के दौरान, विहित प्राधिकारी यथासंभव शीघ्र यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद का कार्य चलाने के लिए ऐसा इंतजाम करेगा जैसा वह उचित समझे। कोई व्यक्ति ऐसे पद पर काम करते

समय उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रदत्त की गयी है।

2) ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, यथास्थिति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् के अभिलेखों को रखने एवं उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

**धारा 92**

**पंचायतों के लिए सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य नियुक्ति –**

1) राज्य सरकार अपने ऐसे सेवकों को, जिन्हें वह आवश्यक समझें पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्त कर सकेगी, ऐसे प्रतिनियुक्त सेवकों की सेवा शर्त्ते ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाए।

2) (क) प्रत्येक पंचायत धारा (90) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य पदाधिकारी तथा सेवकों की प्रतिनियुक्ति या नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कर्त्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(ख) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की अहर्ताएँ, भर्त्ती की पद्धति, वेतन, छट्टो, भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्ते जिनमें अनुशासनिक मामले सम्मिलित हैं, ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

## अध्याय 10
## करारोपण और दावों की वसूली

**धारा 93**

**करारोपण**

**(1) ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण –**

(i) इसके निमित्त यथानिर्मित नियमों तथा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अधीन, ग्राम पंचायत वाषिक कर निम्नलिखित रूप से लगा सकेगी –

(क) होल्डिग के दखलकार पर कर;

(ख) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत चलाए जानेवाले या स्थिति व्यवसायों, व्यापारों, पेशों, और नियोजनों पर ऐसे व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और नियोजनों पर कर;

(ii) सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अधिकतम रेट के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित शुल्क (फीस) और रेट की उगाही कर सकेगी, यथा –

(क) वाहनों के निबंधन पर फीस जो तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन निबंधित न हो ;

(ख) अधिसूचना के जरिए सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाला तीर्थस्थानों, हाटों और मेलों मे स्वच्छता साधनों के प्रबंध पर शुल्क ;

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पीने, सिंचाई अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, वहाँ जलकर ;

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सार्वजनिक गलियों और स्थानों में प्रकाश का प्रबंध किया जाए, वहाँ प्रकाश शुल्क; और

(ङ) ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निजी शौचालयों, मूत्रालयों और चहबच्चों की सफाई का प्रबंध किया जाए, वहाँ स्वच्छता कर;

(iii) ग्राम पंचायत राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कर लगा सकेगी;

(iv) राज्य सरकार ग्राम पंचायत को अंतरित कोई भी कर का अधिकार वापस ले सकेगी।

**(2) पंचायत समिति के द्वारा करारोपण –**

(i) यथानिर्मित नियमों तथा ऐसी अधिकतम दरों के अध्यधीन जो सरकार विहित करें, पचायत समिति –

(क) इसके द्वारा या अपने प्रबंधन के अधीन स्थापित किसी नौघाट के पथ कर की उगाही कर सकेगी ;

(ख) निम्नलिखित फीस और उप–शुल्क (रेट) की उगाही कर सकेगी –

(1) वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फीस जो तत्समय प्रवत किसी अन्य अधिनियम के अधीन निबंधित न हो;

(2) सरकार की अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट के, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़नेवाला तीर्थस्थानों, हाटों और मेलों मे स्वच्छता साधनों के प्रबंध पर शुल्क;

(3) हाट या बाजार के लिए अनुज्ञा हेतु शुल्क;

(4) जलकर, यहाँ अपने अधिकारिता के भीतर पंचायत समिति द्वारा पीने, सिंचाई या अन्य प्रयोजनार्थ जलापूर्ति का प्रबंध किया जाए;

(5) विद्युत शुल्क जहाँ पंचायत समिति द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर गलियों और स्थानों में प्रकाश व्यवस्था की जाए;

(ii) पंचायत समिति अपने अधिकारिता के भीतर किसी वाहन का निबंधन नहीं करेगी या शुल्क की उगाही नहीं करेगी तथा तीर्थस्थलों और मेला स्थलों पर स्वच्छता का प्रबंध

नहीं करेगी या इस स्थलों पर शुल्क की उगाही नहीं करेगी, यदि ऐसा वाहन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी नियम के अधीन पहले निबंधित किया गया हो या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वच्छता का प्रबंध किया जा चुका हो ;

(iii) शुल्क या कर का मापमान तथा इनके अधिरोपण की शर्त और बंधेज वैसे ही होंगे जैसा कि उपविधि द्वारा उपबंधित किया जाए ;

(iv) ऐसी उपविधि में किसी श्रेणी के मामले में किसी या सभी कर स विमुक्त कर उपबंध किया जा सकेगा;

(v) पंचायत समिति राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कर लगा सकेगी ;

(vi) राज्य सरकार पंचायत समिति को अंतरित कोई भी कर का अधिकार वापस ले सकेगी।

**(3) जिला परिषद् द्वारा करारोपण** –

(i) सरकार द्वारा विहित अधिकतम दर के अध्यधीन जिला परिषद् निम्नांकित कर लगा सकेगी –

(क) इसके द्वारा स्थापित या इसके प्रबंध के अधीन पड़नेवाले किसो घाट पर घाट–कर लगा सकेगी;

(ख) निम्नलिखित पर शुल्क और कर लगा सकेगी अर्थात् –

1) नाव या सवारी पंजीकरण शुल्क;

2) अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा विहित ऐसे तीर्थ–स्थानों एवं मेलों में सफाई व्यवस्था प्रदान करने हेतु शल्क;

3) मेला आदि के लिए अनुज्ञप्ति पर शुल्क;

4) अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा बनायी गयी सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर जहाँ प्रकाश की व्यवस्था जिला परिषद् द्वारा की गयी हों, वहाँ प्रकाश शुल्क; और

5) अपने क्षेत्राधिकार में जिला परिषद् द्वारा पेयजलापूर्ति, सिंचाई या अन्य किसी प्रयोजनार्थ जल की आपूर्ति किए जाने पर जल–शुल्क ;

(ii) जिला परिषद् अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसी सवारियों पर जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी नियम के अधीन पंजीकृत की जा चुकी है या अगर किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकार द्वारा तीर्थस्थल या मेला आदि जगहों की सफाइ व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है, शुल्क नहीं लगाएगी;

(iii) शुल्क या दर की शर्त और बंधेज वही होंगे जो उपनियमों द्वारा उपबंधित की जाए। ऐसे उपनियम सभी करों, या उनमें से किसी एक कर, शुल्क या दर के मामलों में किसी श्रेणी में छूट के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(iv) जिला परिषद् राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कर लगा सकेगी ;

(v) राज्य सरकार जिला परिषद् को अंतरित कोई भी कर का अधिकार वापस ले सकेगी।

**धारा 94**

**पंचायत राज निधि –**

1) जिला स्तर पर पंचायत राज निधि के नाम से एक पृथक निधि गठित की जाएगी और उसे ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, संचालित किया जाएगा।

2) धारा (93) के अधीन उप–कर या पंचायतों के अधीन ऐसे अन्य कर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, की प्राप्ति (आगम), उसमें से ऐसे संग्रहण प्रभारों की, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए, कटौती कराने के पश्चात् उक्त निधि में जमा किए जाएगें।

3) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, की प्राप्ति प्रथमतः राज्य की संचित निधि में, ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए, जमा किए जाएगें और राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वष के प्रारम्भ पर, यदि विधान सभा द्वारा इस निमित्त किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध किया जाए, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम निकाल सकेगी, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वष में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए प्राप्तियों के बराबर होगी।

4) राशि का पंचायतों के बीच वितरण – पंचायत राज निधि में संचित राशि का त्रिस्तरीय पंचायतों के बीच वितरण ऐसी रीति से एवं ऐसे अनुपात मे किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

**धारा 95**

**1) करा के विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति –**

राज्य सरकार, धारा (93) के अधीन करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा हिस्सा बांटने का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी।

2) किसी निर्धारण के संबंध में कोई आपत्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अनुसार ही स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं और किसी व्यक्ति के उस पर निर्धारण या कर लगाए जाने के दायितव को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।

**धारा 96**

**बाजार फीस आदि को ठेके पर दिया जाना –**

पंचायत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी शुल्क के संग्रहण का कार्य सार्वजनिक नीलामी द्वारा यथाविहित रीति में ठेके पर दे सकती है।

**धारा 97**

**बकाया की वसूली –**

इस अधिनियम के अधीन –

(क) अधिरोपित कर (Imposed Tax) या

(ख) शुल्क (Fee) या

(ग) जुर्माना (Fine), की कोई बकाया रकम इस अधिनियम के अधीन,

(घ) देय कोई रकम (Due)

विहित प्राधिकारी द्वारा भू–राजस्व की भाँति वसूल की जा सकेगी।

**धारा 98**

**कर या शुल्क अपवंचना पर दण्ड (Penalty for evasion of tax, fee) –**

जब कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर या देय कोई अन्य रकम का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह बकाये की रकम के अतिरिक्त टालमटोल के फलस्वरूप विहित दर पर उक्त रकम का जुर्माने के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**धारा 99**

**करो से राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति –**

1) यदि राज्य सरकार को, उसे की गयी शिकायत पर या अन्यथा, यह प्रतीत होता है कि किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा अधिरोपित किए गए कर का भार करदाताओं पर अत्यधिक है, तो वह संबंधित पंचायत से इस बारे में प्रतिवेदन (Report) मांगने के पश्चात् किसी कर की रकम या दर को निलम्बित या कम कर सकेगी।

2) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, पंचायत को उस विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वग को या किसी सम्पत्ति या किसी भी वर्णन की सम्पत्तियों को किसी कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट ऐसे शर्तो के साथ दे सकेगी जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

## अध्याय – 11
## नियंत्रण (Control)

**धारा 100**

**पंचायतों के कार्यो का निरीक्षण –**

1) राज्य सरकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के कार्यवाहियों के निरीक्षण करने हेतु किसी ऐसे अधिकारी को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर सकेगी जो विनिर्दिष्ट नियमों के अध्याधीन रहते हुए इनके कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकेगा।

2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकत अधिकारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए।

3) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के पदधारी और पदाधिकारी तथा सेवक ऐसी समस्त जानकारी देने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी जाए।

**धारा 101**

**आदेशों आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति –**

1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प क, जारी किए गए किसी आदेश, या दी गयी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या किसी पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को निषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में –

   क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/ नहीं की गयी है; या

   ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न है या किसी विधि के प्रतिकूल है; या

   ग) ऐसे संकल्प या आदेश, के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत बने रहने से या ऐसा किए जाने से –

      (i) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित किसी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होना या उसमें निहित किसी सम्पत्ति का नुकसान होना संभावित है;

      (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है;

      (iii) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभावित है; या

      (iv) शांति भंग होना संभावित है।

2) जब कभी विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह तत्काल और प्रत्येक दशा में आदेश को तारीख से अधिक से अधिक 10 दिन के भीतर, उस आदेश की एक प्रति और इसके साथ उसके किए जाने के कारणों का

विवरण राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा विहित प्राधिकारी ऐसे आदेश की सम्पुष्टि कर सकेगा या रद्द कर सकेगा या उसे पुनरीक्षित कर सकेगा या संशोधित कर सकेगा, या वह निर्देश दे सकेगा कि वह आदेश संशोधन सहित या उसके बिना स्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए जैसा वह समझे, प्रवृत्त बना रहेगा;

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा तब तक संपुष्ट, रद्द, पुनरीक्षित या संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

**धारा 102**

**कतिपय मामले में पंचायत के कार्यों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति–**

1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी भी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने या किसी ऐसे कार्यो के संबंध में निर्देश दे सकेगी/सकेगा जिसका उसके द्वारा यथास्थिति पालन या निष्पादन नहीं किया जा रहा है और जिसका पालन या निष्पादन ऐसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा लोकहित में किया जाना राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की राय की आवश्यक है।

2) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को उन निर्देश को पंचायत के व्यय से, यदि कोई हो, अनुपालन कराने की समस्त शक्तियाँ होगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में, वह उस ग्राम पंचायत समिति का जिला परिषद् या उसके अधिकारी या सवक जिसकी शक्तियाँ प्रयोग में लायी जाती है, के समान ही इस अधिनियम के अधीन उसी संरक्षण का तथा उसी सीमा का हकदार होगा।

**धारा 103**

**सरकार से निर्देश –**

1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित मामले में निर्देश निर्गत करना सरकार के लिए विधि संगत होगा और वैसे निर्देश ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् पर लागू होंगे।

2) राज्य सरकार –

(क) पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेख या पंजी या अन्य दस्तावेज मगा सकेगी;

(ख) पंचायत से विवरणी, योजना, प्राकक्लन, विवरण, लेखा या सांख्यिकी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी; और

(ग) पंचायत से कोई सूचना या उसके किसी विषय से संबंधित प्रतिवेदन मंगा सकेगी।

**धारा 104**

**राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के मामले की जाँच –**

1) सरकार किसी भी समय अभिलिखित कारणों से अपने किसी पदाधिकारी द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अपेक्षित स्वीकृति, अनुमोदन, सम्मति या आदेश से संबंधित मामलों की जांच करा सकेगी।

2) ऐसी जांच करने वाले प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय का अधिकार होगा कि वह जांच के निमित गवाह की उपस्थित होने, साक्ष्य और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगी।

3) सरकार उपधारा (1) के अधीन की गई जांच के खर्च के संबंध में तथा जिन पक्षकरों के द्वारा और जिस निधि से उन्हें भुगतान किया जाएगा उसके संबंध में भी आदेश कर सकेगी और ऐसा आदेश आयुक्त के अथवा उसमें नामित किसी व्यक्ति के आवेदन पर इस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा मानो कि वह किसी सिविल न्यायालय की डिग्री हो।

**धारा 105**

**विकास योजनाओं का निरीक्षण –**

1) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् द्वारा अपने जिम्मे लिए गए निर्माण कार्यों या विकास योजनाओं के दक्षतापूर्ण और मितव्ययी निष्पादन के प्रयोजनार्थ, सरकार के सामान्य या विषेश आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या व्यक्ति जो ऐसे निर्माण कार्य या विकास योजना के निष्पादन या अनुरक्षण के पभार में हो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के या उसके अधीन किसी पदाधिकारी को तकनीको दिशा–निदश या सहायता देना आवश्यक समझता हो, तो इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी या व्यक्ति ऐसा दिशा–निर्देशन, सहायता या परामर्श देने के लिए वैसे निर्माण या विकास योजना का उस रीति से निरीक्षण कर सकेगा जैसा वह ऐसे निर्माण या विकास योजना के संबंध में आवश्यक समझता हो और उसमें पायी गयी अनियमितता और उन्नयन के लिए अपना सुझाव देकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

2) योजनाओं या स्कीमों को कार्यान्वित करने में, सरकारी विभागों में प्रयोज्य के सभी नियम, जैसे पर्चे, निविदा, गुणवत्ता, नियंत्रण, तकनीको मंजूरी, लेखा, संपरीक्षा और पर्यवेक्षण यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

**धारा 106**

**पंचायतों से शक्तियों और कृत्यों के प्रत्याहरण पर निर्वधन –**

1) इस अधिनियम के अधीन पंचायत के किसी मामले के संबंध में शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का अंतरण होते हुए भी उस निमित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला

परिषद् के प्रस्ताव पर या जहाँ इसका समाधान हो जाए कि विषय के स्वरूप में परिवर्तन के कारण जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में रूपांतरण, किसी पथ को उच्च पथ के रूप में परिवर्तन, तो वह विषय पंचायत के कृत्य सूची का संबंध विषय नहीं रह जाएगा और यदि ऐसे मामले के संबंध में शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को पंचायत से ले लेना आवश्यक हो तो सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी शक्तियों, ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का वापस ले सकेगी और वैसा अनुषागी और परिणामिक आदेश निर्गत कर सकेगी जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् में निहित किसी सम्पति के अधिकारों और दायित्वों के भार लेने से संबंधित विषयों यथास्थिति कर्मचारी, जो पंचायत में अंतरित किए गए हों, से संबंधित मामले के लिए उपबंधित हो।

2) सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को समनुदेशित इस अधिनियम के अधीन किसी क्रियाकलाप, कार्यक्रम या स्कीम में संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर सुसंगत पंचायत कार्यसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

**धारा 107**

**पंचायतों का विघटन**

1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन या तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में बार–बार चूक कर रही है या अपनी शक्तिया से परे कार्य करती है या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करती है या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश का पालन नहीं करती है, तो राज्य सरकार के यथाविहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा ऐसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को विघटित कर सकेगी और उसके नए सिरे से गठन के लिए आदेश दे सकेगी।

2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक यथास्थिति का अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, स्पष्टीकरण मांगने की सूचना यथास्थित, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के मुखिया, प्रमुख या अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी और उसकी तामिला धारा (148) के उपबंधों के अनुसार को जाएगी। सूचना के संबंध में पंचायत का उत्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के संकल्प द्वारा समर्पित होगा।

3) उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् के विघटित हो जाने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् –

क. समस्त पदधारी ऐसे आदेश की तारीख से अपने–अपने पद रिक्त कर देंगे;

ख. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की समस्त शक्तियों तथा उसके कर्तव्यों का, इनके पुनर्गठन होने तक प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे और जहाँ व्यक्तियों की कोई समिति इस प्रकार गठित की जाती है, वहाँ राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी समिति का अध्यक्ष (प्रधान) भी नियुक्त किया जायेगा;

ग. जहाँ कोई समिति इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन नियक्त की जाती है, वहाँ ऐसी समिति का, उसके द्वारा सम्यक् रूपेण प्राधिकृत कोई सदस्य, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से वाद् चला सकेगा या विधिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा या उनके विरूद्ध चलाए गए किसी वाद् या सस्थित किसी विधिक कार्रवाई में प्रतिवाद् कर सकेगा।

4) कोई ऐसा व्यक्ति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के विघटित रहने की अवधि के दौरान इसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, अपनी सेवाओं के लिए संबंधित यथास्थिति निधि से ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा अवधारित करे।

5) उपधारा (1) के अधीन विघटित, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का इस अधिनियम के अनुसार पुनर्गठन उसके विघटन के छः माह के भीतर किया जाएगा, ऐसी पुनर्गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् यथास्थिति को शेष अवधि के लिए कृत्य करेगी;

परन्तु यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की अवधि छः माह से कम है तो इस अवधि के लिए इनका पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

**धारा 108**

**हानि, दुरूपयोग के लिए पंचायत के सदस्यों आदि का दायित्व –**

1) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य, पदधारी, अधिकारी या सेवक इनके किसी धन या अन्य सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। वह रकम, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियक्त अवसर न दे दिया गया हो।

2) यदि संबंधित व्यक्ति रकम का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी रकम की वसूली के संबंध में विहित रीति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

धारा 109

**पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद –**

1) दो या अधिक ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसमें से सयुक्त रूप से हितबद्ध है, कोई भी वाद् उत्पन्न होने की दशा में, ऐसा विवाद् राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु यदि विवाद् ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और छावनी बोर्ड के बीच है ता राज्य सरकार का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगा।

2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा पंचायतों के और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच उन विषयों में जिनमे वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, संबंधों का विनियमन कर सकेगी।

धारा 110

**अपील और पुनर्रीक्षण –**

इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेशों या कार्यवाहियों के विरूद्ध अपील या पुनर्रीक्षण ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में होगा जैसा विहित किया जाए।

धारा 111

**अभिलेख और वस्तुएँ वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति –**

1) जहाँ विहित प्राधिकारी की यह राय हा कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का कोई अभिलेख या वस्तुएँ या धन अपने अभिरक्षा में अप्राधिकृत रुप से रखे हुए है ता वह, लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएँ या धन, एसे अधिकारी की उपस्थिति में जिस विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे, पंचायत को तुरन्त परिदत्त या संदत्त कर दिया जाए।

2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्देशित किय गए अनुसार अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नही करता है या धन का भुगतान नही करता है या ऐसा करने स इन्कार करता है ता विहित प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से दंडित कर सकेगा।

3) उपधारा (1) एवं (2) के अधीन कोई कारवाई तब तक नही की जाएगो जब तक की संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसी कारवाई क्यों न की जाए।

4) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कारवाई की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरम्भ की जाने से 6 वष की अवधि के लिए पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।

धारा 112

**अधिकारों का प्रत्यायोजन (Delegation of power) -**

1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त समस्त या किन्हीं शक्तियों को, नियम बनाने संबंधी शक्तियों के सिवाय, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को या किसी पंचायत को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए साधारण या विशेष आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को विहित कर सकेगी।

धारा 113

**नियंत्रण की साधारण भाक्ति –**

इस अधिनियम से या उसके अधीन बनाए गए नियमों से संबंधित समस्त विषयों में वे समस्त अधिकारी, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिए सशक्त है, उसी प्राधिकारी के नियत्रण के अध्यधीन होंगे जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वे सामान्यतः अपने पद के कृत्यों का पालन करते है।

धारा 114

**पंचायत के लिए वित्त आयोग –**

(1) राज्य सरकार यथाशीघ्र और उसके पश्चात हरेक पांच वष की समाप्ति पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा वित्त संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श एवं अनुशंसा करन के लिए विहित रीति से एक वित्त आयोग का गठन कर सकेगी जो निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसा देगी –

(क) वैसे सिद्धांत जो विनियमित करे –

(i) राज्य और जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क, पथ–कर तथा फीस, के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का जिला परिषदा, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच उनके अपने–अपने अनुपात के अनुसार वितरण;

(ii) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतो को सौंपे जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जाने वाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण;

(iii) राज्य की संचित निधि से जिला परिषदों पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान;

(ख) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तोय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तिय स्थिति को सुदृढ़ करने के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय;

(2) वित्त आयोग में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

(3) वित्त आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हता ऐसी होगी और उनकी नियुक्ति ऐसी रीति से की जायगी जो सरकार द्वारा विहित किए जाए ।

(4) वित्त आयोग अपनी प्रकिया स्वंय निर्धारित करेगा।

(5) वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार के वित्त सचिव को स्वंय लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, किन्तु जब तक सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र मंजूर न कर लिया जाए वह अपने पद पर बना रहेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन या अन्यथा किसी कारण से सदस्य या अध्यक्ष के त्यागपत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नई नियुक्ति से की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य या अध्यक्ष जिस सदस्य या अध्यक्ष जिस सदस्य या अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त हुआ हो उसकी शेष पदावधि तक अपना पद धारण करेगा।

(7) आयोग को अपने कार्यकलापों के संपादन के निमित्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा

(क) किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी से कोई अभिलेख मांगना।

(ख) साक्ष्य देन या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन करना, और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो विहित की जाए।

(8) राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक अनुशंसा को उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ राज्य विधान–सभा में पस्तुत कराएंगें।

## अध्याय 12
## दण्ड

**धारा 115**

अयोग्य हो जाने पर ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के सदस्य, पंचायत समिति/जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की हैसियत से कार्य करने के लिए दण्डः–

1. कोई भी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र का सदस्य या पंचायत समिति/जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य यह जानते हुए कि वह उस पद के धारण करने का हकदार नहीं है अथवा उस रूप में पद धारण का हकदार नहीं रह गया है, ऐसे ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की हैसियत से कार्य करेगा, दोष सिद्ध होने पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए अपने पद की हैसियत से बैठता है या मत देता है विहित प्राधिकारी द्वारा जिस रूप में विहित किया जाए, दण्डित किया जाएगा।

2. कोई भी मुखिया या उप–मुखिया, प्रमुख या उप–प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यह जानते हुए कि वह अपना पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप में ऐसा अपना पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है, उस हैसियत से कार्य करेगा, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसका वह उस हैसियत से कार्य का कृत करेगा विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित दण्ड दिया जाएगा।

**धारा 116**

**हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के विरूद्ध दण्डों का प्रावधान–**

कोई भी ऐसा सदस्य, जो ऐसे मामले में जो पंचायत के विचाराधीन हो, हितबद्ध होते हुए भी उस मामलें में मत देगा, उसकी दोष सिद्ध होने पर, जुर्माने से जैसा विहित प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, दण्डित किया जा सकेगा।

**धारा 117**

**किसी सदस्य, पदधारी या सेवक द्वारा समझौता में हित अर्जित किए जाने के विरूद्ध दण्डों का प्रावधान–**

यदि पंचायत का कोई सदस्य या पदधारी या सेवक, पंचायत के साथ या उसके द्वारा उसकी तरफ से की गई किसी समझौते या किये गये किसी नियोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई वैयक्तिक अंश या हित, विहित प्राधिकारी की स्वीकृति या अनुज्ञा के बिना जानते हुए अर्जित करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने संविदा का उल्लंघन किया है और इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन उसे दण्डित किया जाएगा।

**धारा 118**

**सरकारी कार्य में बाधा डालने पर दण्ड का प्रावधान–**

कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को अथवा किसी एसे व्यक्ति को जिसे ऐसे अधिकारी या सेवक ने किसी स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की अपनी शक्तियाँ विधिपूर्वक प्रत्यायोजित की हो, उस स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की उसकी विधिपूर्वक अधिकारों को प्रयोग करने से वंचित करेगा तो उसके बारे में यही समझा जाएगा की उसने भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध किया है, जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा जो विहित किया जाए, दण्ड दिया जाएगा।

धारा 119

**सरकारी सूचना, संकेत, चिन्ह को मिटाने के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान–**

कोई भी व्यक्ति जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रकाशित की गई किसी सूचना या किसी संकेत को या चिन्ह को उस निमित किसी प्राधिकारी के अनुमति के बिना हटायेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या अन्य प्रकार से मिटाएगा तो भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डित किया जाएगा।

धारा 120

**मिथ्या जानकारी अथवा जानकारी न देने के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान–**

ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा या उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के निमित्त अपेक्षित किया गया, ऐसी जानकारी देने से छुपाता हो या जानबूझ कर मिथ्या जानकारी देता हो, दोष सिद्ध होने पर दण्डित किया जाएगा।

धारा 121

**बोली लगाने पर प्रतिबंध एवं दण्ड का प्रावधान–**

पंचायत का कोई सदस्य या सेवक या ऐसा कोई अधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत चल–अचल सम्पति के विक्रय के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करना है, ऐसे विक्रय में बेची जाने वाली किसी सम्पति के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोली लगाने पर प्रतिबंध है, उसमें कोई हित अर्जित नहीं करेगा, इस कार्य के दोषी पाये जाने वाले को दण्डित किया जाएगा।

धारा 122

**पंचायत को नुकसान की क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है–**

यदि किसी व्यतिक्रम, कार्य उपेक्षा द्वारा जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कोई ऐसा कार्य किया हो, जिससे पंचायत की सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का हकदार होगा, साथ ही विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से दण्डित किया जा सकेगा।

## अध्याय 13
## जिला योजना समिति

धारा 123

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–य घ के प्रावधानों के आलोक में जिले में की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जैसी कि उसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपी जाए, प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक समिति विकास योजना का प्रारूप बनाने में निम्न बातों का ध्यान रखेगी:

(क) नगर निकायों एवं पंचायतों के परस्पर सामान्य महत्व के विषय;

(ख) क्षेत्रीय विशेषता के अनुरूप योजना निर्माण;

(ग) जल तथा अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का आपसी बँटवारा;

(घ) आधारभूत संरचना का एकीकृत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण;

(ड़) उपलब्ध साधन स्त्रोत चाहे वे वित्तीय हा, या अन्यथा की सीमा एवं प्रकार;

(iii) समिति ऐसे संस्थाओं और संगठनों से परामर्श प्राप्त कर सकेगी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

**धारा 124**

**समिति की शक्तियाँ–**

(क) समिति सरकार के कामकाज के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाए अथवा आवंटित की जाए;

(ख) राज्य सरकार वह रीति विहित तथा अधिसूचित कर सकेगी जिसमें ऐसी शक्तियों का, जो समिति को इस प्रकार अधिसूचित या आवंटित हैं, प्रयोग किया जा सकेगा;

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय समिति राज्य सरकार के अधीनस्थ निकाय के रूप में समझी जाएगी और इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार की ओर से तथा उसके निमित्त करेगी।

**धारा 125**

**जिला योजना समिति की संरचना–**

(क) भिन्न–भिन्न जिले के जिला योजना समिति के कुल सदस्यों की संख्या उतनी होगी जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे।

(ख) (i) कुल सदस्य संख्या का 3/4 भाग सदस्य, यथास्थिति, जिले की जिला परिषद् तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनमें से विहित रीति में निर्वाचित किए जाऐंगे।

(ii) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात यथासंभव निकटतम रूप से वही होगा जिस अनुपात में यथास्थिति जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है;

(ग) समिति के शेष सदस्य होंगे:–

(i) झारखड राज्य का एक मंत्री, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) जिले का जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त जो समिति का सदस्य सचिव होगा;

(iii) जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो सदस्य–सह–अपर सचिव होगा;

(iv) मुख्य योजना पदाधिकारी–सदस्य;

(v) जहाँ समिति में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या–

(क) 15 है वहाँ 1 सदस्य

(ख) जहाँ 20 है वहाँ 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनित किए जाएगें;

परन्तु ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उतना होगा जितना राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(vi) विशेष आमंत्रित स्थायी सदस्य–

(क) लोक–सभा एवं राज्य विधान–सभा के वैसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले में पड़ता हो;

(ख) जिले में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्य सभा के सदस्य;

(ग) जिले में जिला परिषद् का अध्यक्ष तथा नगर निकायों के अध्यक्ष/महापौर भी उस दिशा में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, जबकि वे समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए है;

(vii) विशेष आमंत्रित अस्थायी सदस्य–समिति अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनित कर सकेगी;

परन्तु ऐसे आमंत्रित सदस्य अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अन्तर्गत ही मात्र सुझाव दे सकेंगे एवं उन्हें किसी विषय पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।

**धारा 126**

**निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल–**

(i) जिला योजना समिति का कोई भी निर्वाचित सदस्य, ज्यों ही नगर निकाय या जिला परिषद् का सदस्य नहीं रहता है, समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा;

(ii) उपर्युक्त उपधारा (i) या मृत्यु या त्याग–पत्र के कारण यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो उसे विहित रीति से पूरा किया जाएगा।

धारा 127

**समिति के कार्य –**

जिला योजना समिति निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगी :–

(क) राष्ट्र एवं राज्य के लक्ष्यों के दायरे के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं एवं उद्दश्यों की पहचान करना;

(ख) जिले के पाकृतिक एवं मानव संसाधन के आंकड़ों का संग्रहन, संकलन एवं अद्यतिकरण करना ताकि एक मजबूत डाटाबेस के आधार पर विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण, जिला एवं प्रखंड के ससांधनों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिल सके;

(ग) गॉव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं का सूचिकरण तथा मानचित्रण;

(घ) जिले में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का विवकपूर्ण दोहन, उपयोग और विकास के लिए नीति निर्धारण, कार्यक्रम एवं प्राथमिकता तय करना;

(ड) जिले के लिए पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना की रूप रेखा तैयार करना, पंचायत एवं नगर निकायें के द्वारा तैयार योजनाओं का समेकन एवं उसे राज्य सरकार को राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु सापना;

(च) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना;

(छ) जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन करना;

(ज) समग्र जिला विकास योजना की रूपरेखा के अंतर्गत प्रक्षेत्रोय एवं उप–प्रक्षेत्रीय योजनाओं के लिए वित्तीय उपबंध करना;

(झ) जिले के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य प्रक्षेत्र की योजना, सांसद एवं विधायक मद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं का प्रबोधन, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना;

(ञ) जिला योजना अन्तर्गत योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रषित करना।

(ट) जिले के समग्र विकास की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करना;

(ठ) सांस्थिक वित्त संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान तथा उन्हें जिला विकास योजना से जोड़ना तथा आवश्यक वित्त पोषण की व्यवस्था करना;

(ड) जिले के समग्र विकास की प्रक्रिया में राज्य प्रक्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबध में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(ढ़) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यकलाप।

धारा 128

समिति का सचिव एवं सहायक सचिव

(क) जिला दण्डधिकारी/उपायुक्त जिला योजना समिति के पदेन सचिव होंगे जो समिति के समक्ष रखे जाने वाले विचारणीय विषयों के अभिलेख तैयार करने, प्रस्तुत करने तथा निर्णयों की सूचना निर्गत करने तथा आकस्मिक आनुषंगिक कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे;

(ख) राज्य सरकार जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समिति का सहायक सचिव नियुक्त कर सकेगी जो सचिव के निर्देशों के अनुरूप एवं उनकी अनुपस्थिति में सचिव के कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

धारा 129

उप–समिति का गठन–

(i) जिला योजना समिति के कृत्यों को ध्यान में रखत हुए निम्नलिखत उप–समितियों का गठन विहित रीति से जिला योजना समिति के सदस्यों में से किया जाएगाः

(क) ग्रामीण विकास उप–समिति;

(ख) कृषि विकास कार्यक्रम उप–समिति;

(ग) नगरीय विकास उप–समिति;

(घ) सिंचाई विकास कार्यक्रम उप–समिति;

(ड़) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के विकास तथा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रबोधन उप–समिति;

(च) रोजगार निर्माण एवं उपलब्धता उप–समिति;

(छ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उप–समिति;

(ज) शिक्षा उप–समिति;

(झ) पेयजल आपूर्ति उप–समिति;

(ञ) सड़क एवं परिवहन विकास उप–समिति;

(ट) निवेश क्षेत्र में स्थित भूमि के उपयाग के निर्धारण हेतु उप–समिति;

(ठ) सांसद एवं विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के विकास कार्यो का प्रबोधन उप–समिति;

(i) जिला योजना समिति प्रत्येक उप–समिति में क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ को सदस्य के रूप मे मनोनित कर सकेगी;

(ii) प्रत्येक उप–समिति जिला योजना समिति का संबंधित विषयों पर मात्र सुझाव दे सकेगी।

धारा 130

समिति की बैठक

(क) समिति की बैठक कम से कम दो माह में एक बार या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, आयोजित की जाएगी;

(ख) समिति की बैठक नियत तिथि को नियत समय पर जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी;

(ग) अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी;

(घ) समिति अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमांत्रित कर सकेगी।

(ड़) गैर–सरकारी विशेषज्ञों सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित, यात्रा एवं अन्य भत्ते दिये जा सकेंगे;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अध्यधीन रहते हुए, समिति अपनी कार्य–प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगी;

(छ) समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों की संक्षेपिका मंत्रिमंडल की बैठकों को भाँति संबधित विभाग के जिला प्रमुख द्वारा तैयार की जाएगी।

(ज) जिला योजना समिति की बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी/जिला प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कृत्यों एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे;

(झ) जिला योजना समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले आदेश जिला स्तर पर ही, विनिर्दिष्ट नियमों के अधोन जारी किए जाँए इस संबंध में राज्य सरकार यथोचित नियम बना सकेगी तथा तदनुसार प्रत्यायोजित अधिकारों को राष्ट्र एवं राज्य हित में उचित समझे तो वापस भी ले सकेगी;

(ञ) जिला योजना समिति संबंधी कार्यो के संचालन हेतु मुख्य योजना पदाधिकारी के नियंत्रण में एक प्रकोष्ठ/इकाई का गठन किया जाएगा;

(ट) राज्य सरकार, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत तथा प्रशासनिक कार्यो की जटिलता को दूर करने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगर निकायों को हस्तांतरित कृत्यों, दायित्वों एवं अधिकारो के अतिरिक्त राज्य सरकार के ऐसे कृत्य, दायित्व एवं अधिकार जिन्हे विकेन्द्रीकृत करना राज्य सरकार उचित समझे, का प्रत्यायोजन कर सकेगी एवं इस हेतु नियम बना सकेगी;

(ठ) जिला योजना समिति का एक कार्यकारिणी समिति विहित रीति से विहित कृत्यों के लिए गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी, जो जिला योजना समिति के सचिव होते है, करेंगे तथा इस समिति के सदस्य जिला में पदस्थापित सभी विभागों के प्रमुख तथा अन्य जैसा विहित किया जाए, होंगे। मुख्य योजना पदाधिकारी इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

## अध्याय 14

## नियम और उपविधियाँ

**धारा 131**

**नियम बनाने की सरकार की शक्ति –**

1. सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा कम से कम एक माह के लिए प्रारूप के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम की प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

2. इस अधिनियम के अधीन कोई नियम भूतलक्षी प्रभाव से बनाया जा सकेगा और जब ऐसा कोई नियम बनाया जाए, तो नियम बनाया जाने के कारणों को एक विवरण में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन, किए गए किसी उपान्तरण के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया, प्रत्येक नियम का प्रभाव उसी तरह होगा, मानो उसे इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

3. इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में सरकार इस बात का उपबंध कर सकेगी कि उसके उल्लंघन करने का दोषी कोई व्यक्ति, दोष सिद्ध होने पर पांच सौ रुपये तक के जुर्माना से दण्डनीय होगा और जहाँ इस प्रकार का उल्लंघन होता रहेगा, वहाँ जिस पथम दिन से भंग शुरू होता हो, उस दिन को या उसके बाद के प्रत्येक दिन के लिए, पचीस रुपये तक जुर्माना से वह दण्डित होगा।

**धारा 132**

**ग्राम पंचायत को उपविधि बनाने की शक्ति –**

1. कोई ग्राम पंचायत, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अध्यधीन तथा जिला परिषद् की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से उपविधियाँ, जहां तक इसकी शाक्तियों और कतव्यों से संबंधित है, बना सकती है।

2. विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ग्राम पंचायत ऐसी उपविधियाँ बना सकती है, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उसे सुपुर्द किये गये कार्यो एवं दायित्वों के निष्पादन के लिए अपेक्षित हो।

3. उपधारा (1) और (2) के अधीन किसी उप विधि के क्रम में, ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था करेगी कि उस उप विधि के उल्लंघन किये जाने पर यथानिर्धारित जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।

4. किसी ऐसी उप विधि के अधीन यह उपबंध भी रहेगा कि इसका उल्लंधन करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह जहां तक उसकी शक्ति में है, ऐसे उल्लंघन के कारण हुई हानि को दूर करने का प्रयास करेगा।

5. इस धारा के अधीन बनाई गई, सभी उपविधियाँ पूर्व प्रकाशन को शर्त के अध्यधीन होगी और यथानिर्धारित रीति से ऐसा प्रकाशन किया जायेगा।

धारा–133

**पंचायत समिति को विनियम बनाने की शक्ति –**

1. कोई पंचायत समिति, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अध्यधीन तथा सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि स, जहां तक की इसकी शक्तियों और कर्त्तव्यों से संबंधित है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगी।

2. उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन के शर्त के अध्यधीन होंगे और यथानिर्धारित रीति से ऐसा प्रकाशन किया जायेगा।

धारा–134

**जिला परिषद को विनियम बनाने की शक्ति –**

1. कोई जिला परिषद, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अध्यधीन तथा सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, जहां तक यह इसकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगी।

2. उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन के शर्त के अध्यधीन होंगे और यथानिर्धारित रीति से प्रकाशन किया जायेगा।

धारा–135

**आदर्श उपविधियां बनाने की शक्ति –**

1. सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनी नियमावली के अध्यधीन तथा कम से कम एक माह के लिए, प्रारूप के पूर्व प्रकाशन के बाद, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मानक विनियम और उप–विधि बना सकेगी।

2. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् उप–धारा (1) के अधीन बनी, यथास्थिति मानक उप–विधि या विनियम को प्रस्ताव पारित करक अंगीकृत करेगी तथा ऐसी उप–विधि और विनियम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की अधिकारिता में उस तिथि से प्रवृत होंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद यथास्थिति विहित रीति से प्रकाशित सूचना में विनिर्दिष्ट करें।

अध्याय 15

## बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण (अंकेक्षण)

**धारा–136**

**पंचायतों का बजट एवं लेखा –**

1. प्रत्येक पंचायत, प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में एवं ऐसी तारीख तक, जैसा विहित किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय के बजट प्राक्कलन तैयार करेगी।
2. उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये बजट प्राक्कलन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति में जैसा विहित किया जाय, अनुमोदित किये जायेंगे।
3. पंचायता द्वारा वार्षिक लेखों एवं प्रशासन का प्रतिवेदन विहित प्राधिकारी को विहित रीति में प्रस्तुत किया जायेगा।

**धारा–137**

**पंचायतों का लेखा परीक्षण –**

1. पंचायतों के लेखाओं के परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्था का चयन किया जायेगा या गठन किया जायेगा।
2. पंचायातों के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली अंकेक्षण शुल्क, यदि कोई हो और अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की रीति, ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

अध्याय 16

## प्रकीर्ण (विविध)

**धारा–138**

**जनगणना के पश्चात् निर्वाचित सदस्यों का अवधारण :–**

प्रत्येक जनगणना के आंकड़े के प्रकाशन के पश्चात् पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अवधारण राज्य सरकार द्वारा जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु यह कि पूर्वोक्त संख्या निर्धारण से पंचायतों के संरचना पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि तत्समय कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त नहीं हो जाए।

**धारा–139**

**पंचायत या उसकी किसी समितियों या उसके पदधारी, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई वाद चलान पर प्रतिषेध –**

किसी पंचायत या उसकी किसी समितियों या किसी पदधारी, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध या किसी ऐसे पंचायत, उसकी समिति, उसके पदधारी, अधिकारी या सेवक के, निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए, किन्ही नियमों या उप–विधि के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई है या जिसका सद्भावनापूर्वक किया जाना अपेक्षित रहा है, वाद नहीं चलाया जायेगा।

धारा–140

**सूचना के अभाव में वाद का छोड़ना –**

1. किसी पंचायत या उसके किसी पदधारी, अधिकारी या सेवक के या इस अधिनियम में वर्णित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे वाद के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन की गई हो या की जाने के लिए अपेक्षित है; कोई वाद तब तक नहीं चलाया जा सकेगा, जब तक कि सम्यक रूप से विधिसम्मत सूचना तामील न कर दी गई हो।

2. एसा प्रत्येक वाद खारिज कर दिया जायेगा, जब तक कि वह अभिकथितवाद घटित घटना की तारीख से छः माह के भीतर दर्ज (लॉज) न किया गया हो।

3. उपधारा (1) एवं (2) के तहत विनिर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर दर्ज वाद को लागू नहीं समझा जायेगा।

धारा–141

**कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही से वंचित –**

1. किसी मूल्यांकन निर्धारण या उद्ग्रहण के संबंध में कोई आक्षेप इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित रीति से भिन्न किसी रीति में नहीं किए जायेंगे।

2. हानि, के लिए या विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद किसी पंचायत या उसके किसी पदधारी, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध इस आधार पर नहीं चलाया जायेगा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है।

धारा–142

**पंचायत के सदस्य या सेवक, लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) होंगे –**

पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा (21) के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

धारा–143

रिक्ति या गठन की प्रक्रिया में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे –

पंचायत का कोई कार्य इस आधार पर अवैध नहीं समझा जायेगा कि –

(क) उसमें किसी रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) किसी पदधारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन सहयोजन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के निष्पादन पर प्रभाव नहीं डालती है।

धारा–144

**भूमि का अर्जन –**

1. जहाँ इस प्रयोजन के लिए कोई भूमि अपेक्षित हो और पंचायत करार द्वारा उसे अर्जित करने में असमर्थ हो, तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत के निवेदन पर और जिला दण्डाधिकारी की सिफारिश पर, भूमि अर्जन के संगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर का तथा उन कार्यवाहियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत समस्त अन्य प्रभारों का पंचायत द्वारा भुगतान कर दिये जाने पर, वह भूमि पर, उस पंचायत में निहित हो जाएगी, जिसके लिए वह इस प्रकार अर्जित की गई है।

2. पंचायत, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी ऐसी भूमि को, जो उपधारा (1) के अधीन अर्जित की गई है, अन्तरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस प्रयोजन, जिसके लिए वह अर्जित की गई है, से भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं करेगी।

धारा–145

**केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगा –**

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए, किसी नियम या उप–विधि में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुये भी, केन्द्र या राज्य सरकार को इस बात के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी सरकार की किसी सम्पति या ऐसी सरकार के अधिभोग में के या नियंत्रणाधीन किसी स्थान के संबंध में कोई अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति विशेष रूप से प्राप्त करें।

धारा–146

**सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध :–**

(1) पंचायत के किसी भी सदस्य को पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या भत्ता इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जायेगा अन्यथा नहीं।

(2) प्रमुख, उप–प्रमुख और अन्य सदस्यों को भत्ते :–

पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख और प्रत्येक सदस्य यथाविहित बैठक–शुल्क और भत्ते पाने के हकदार होंगें।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भत्ते :–

जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य यथाविहित बैठक–शुल्क और भत्ते पाने के हकदार होंगे।

धारा–147

**पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा :–**

इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी फीस के भुगतान करने पर, जो विहित की जाय पंचायत तथा उसकी किसी समिति के अभिलेखों का ऐसे व्यक्तियों द्वारा परीक्षण किया जा सकेगा जो उसकी वांछा करे, और उनकी प्रमाणित

प्रतिलिपियाँ ऐसे व्यक्तियों को जो उनके लिए आवेदन करे, ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसा कि विहित किया जाय, दी जायेगी।

**धारा 148**

**दस्तावेज आदि तामील करने की पद्धति :–**

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, उप–विधि या आदेश के अधीन किसी सूचना या अन्य दस्तावेजों की तामील विहित रीति में की जाएगी।

**धारा 149**

**अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश आदि :–**

किसी पंचायत के पदधारियों या ऐसी पंचायत द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच, ऐसे सहायकों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे, किसी भवन या भूमि में या उस पंचायत से संबंधित किसी कार्य के संबंध में प्रवेश करें;

परन्तु ऐसे किसी भी भवन मे जो उस समय अधिभोग में है, तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि अधिभोगियों को चौबीस घंटे को लिखित सूचना न दे दी गई हो;

परन्तु यह और भी कि मानव निवास के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले भवन की दशा में अधिभोगियों की सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा।

**धारा 150**

**निर्वाचन मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन :–**

इस अधिनियम के अधीन किया गया या किया जाना तात्पर्यित निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी।

**धारा 151**

**निर्वाचन अर्जी यचिका (Election Petition)**

1. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को –
   (i) ग्राम पंचायत के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी को।
   (ii) पंचायत समिति के मामले में जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त को ; और
   (iii) जिला परिषद् के मामले में प्रमण्डलीय आयुक्त को विहित रीति में केवल याचिका पेश करके ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।
2. ऐसी कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक वह उस तारीख से जिसको प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचना किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश न की जाए।
3. ऐसी अर्जी की जाँच या उसका निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

धारा 152

**निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार –**

1. उपधारा (2) के अध्यधीन यदि विहित प्राधिकार की राय हो कि –

(क) अपने निर्वाचन की तारीख को कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता नहीं रखता था या निरर्हित था ; या

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के सम्पति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है ; या

(ग) किसी नामांकन–पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकृति कर दिया गया है; या

(घ) निर्वाचन का परिणाम, जहाँ तक किसी निर्वाचित उम्मीदवार से इसका संबंध है; यदि

(i) किसी नामांकन–पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने से; या

(ii) किसी अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण से; या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त करने या अस्वीकार करने अथवा ऐसे किसी मत को जो रदद् हो, प्राप्त करने से; या

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेश के अनुपालन से तात्विक रूप से प्रभावित हुआ हो, तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द घोषित कर देगा।

2. यदि विहित प्राधिकारी की राय में किसी निर्वाचित उम्मीदवार कोई अभिकर्ता भ्रष्ट आचरण का दोषी हो रहा हो, किन्तु विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि–

(क) उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार के आदेशों के प्रतिकूल तथा उसकी सहमति के बिना किया गया;

(ख) कि उम्मीदवार ने चुनाव में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी समुचित उपाय किया; और

(ग) कि सभी अन्य बातों में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की ओर से चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया गया।

तब विहित प्राधिकारी यह निश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अवैध नहीं है।

धारा 153

**निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किये जाने का आधार–**

1. यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के बारे में आपत्ति करने के अतिरिक्त निर्वाचन याचिका दायर की हो, इस आशय की घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है और विहित प्राधिकारी की यह राय हो –

(क) कि वस्तुतः अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार को भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त मत को छोड़कर अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों से बहुमत प्राप्त कर लिया होता;

विहित प्राधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के बाद यथास्थिति अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

2. विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

**धारा 154**

**भ्रष्टाचार –**

इस अधिनियम के प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित को भ्रष्टाचार के रूप में समझा जाएगा।

(i) तस्समय प्रवृत जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 के खंड (1) में यथास्थिति परिभाषित रिश्वतखोरी;

(ii) तत्समय प्रवृत उक्त धारा के खंड (2) में यथास्थिति अनुचित प्रभाव;

(iii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिए उसके धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मतदान करने या नहीं करने की अपील, अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की सभावनाओं को बढ़ाने के लिए अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को पतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसके लिए अपील करने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करने की अपील;

(iv) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव के लिए या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना ;

(v) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्य के किसी विवरण का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी क संबंध में मिथ्या हो और जिसे चाहे वह मिथ्या समझाता हो या चाहे सही नहीं मानता हो, जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सुविचारित ढंग से तैयार किया गया हो।

(vi) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मोदवार या उसके अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान में इंधन भरना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बने नियमों के अनुसार उपबंधित मतदान केन्द्र तक या से किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार उसके अथवा उसके अभिकर्ता के परिवार के सदस्यों से विभिन्न) के वाहन का निःशुल्क उपयोग करने के लिए;

परन्तु यह कि किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने या वहाँ से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक परिवहन, यान या जलयान या रेलगाड़ी का उपयोग करना इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायगा ;

स्पष्टीकरण – इस खंड में 'यान' शब्द से अभिप्रेत है पथ परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चलता हो और चाहे उसका उपयोग अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा किया जाता हो ;

(vii) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की पूर्ति की जाती हो ;

(viii) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र प्लेकार्ड या इश्तहार का जारी किया जाना जिस पर उसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो; या

(ix) कोइ अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण विनिर्दिष्ट करे।

**धारा 155**

**भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश –**

इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरणों के चलते किसी स्थानीय प्राधिकारी की सदस्यता से 5 वर्षो की अवधि के लिए निरर्हता (अयोग्यता) हो जाएगी। इसकी गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से ऐसे आचरणों के संबंध में विहित प्राधिकारी का निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

**धारा 156**

**आदेशों की संसूचना –**

विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेशों की घोषणा करने के पश्चात् उसकी प्रति जिला दण्डाधिकारी के पास भेज देगा।

**धारा 157**

**ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना ग्राम सभा का विभाजन, समामेलन** (Amalgamation) **तथा परिवर्तन :–**

1. राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी लिखित आदेश के द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदल सकेगा या किसी ग्राम पंचायत की सीमाओं में किसी ऐसे क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके समीप्य में हो, सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके समाविष्ट हो, अपवर्जित करके, परिवर्तित कर सकेगा या दो या अधिक ग्राम पंचायतों को समामेलित कर सकेगा और उसके स्थान पर एक ग्राम पंचायत गठित कर सकेगा या किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र को विभाजित कर सकेगा और उसके स्थान पर दो या अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र गठित कर सकेगा;

परन्तु इस धारा क अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस निमित कि कोई प्रस्ताव, सुझाव तथा आक्षेप आमंत्रित करते हुए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित न कर दिया गया हो और आक्षेपों पर विचार न कर लिया गया हो।

2. उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी हाने पर, राज्यपाल या प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसे पारिमाणिक आदेश पारित करेगा जो आवश्यक हों।

**धारा 158**

**ग्राम का विस्थापन** (Disestabilishment) :–

1. राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी लिखित आदेश के द्वारा किसी ग्राम को विस्थापित कर सकेगा ;

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव की ऐसी सूचना, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक आमंत्रित करते हुए विहित रीति से प्रकाशित न कर दी गयी हो और प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार न कर लिया गया हो।

2. उपधारा (1) के अधीन आदेश किये जाने पर, राज्यपाल या उनके द्वारा विहित प्राधिकारी ऐसे पारिमाणिक आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा आवश्यक हो।

**धारा 159**

**पंचायत समिति तथा जिला परिषद् की सीमाओं में परिवर्तन** :–

1. राज्यपाल अधिसूचना द्वारा (किसी पंचायत समिति के मुख्यालय में परिवर्तन या) की सीमाओं में किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके समीप्य में है, सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट है, अपवर्जित करके परिवर्तन कर सकेगा;

परन्तु कोइ भी ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे आशय को संज्ञाप्ति करने वाली ऐसी सूचना, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनका पंचायत समितियों की सीमाओं में किये जाने वाले परिर्वतन से प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक आमंत्रित करते हुए, विहित रीति में प्रकाशित न कर दी गयी हो तथा प्राप्त हुई आपतियों पर विचार न कर लिया गया हो;

परन्तु यह और भी कि किसी पंचायत समिति के मुख्यालयों में परिवर्तन संबंधी ऐसी अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जबकि वह पंचायत समिति की सीमाओं के बाहर स्थित उसके मुख्यालय को उस पंचायत समिति की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जारी की गई हो, अन्यथा नहीं।

2. उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, राज्यपाल, या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसे पारिमाणिक आदेश पारित कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

3. किसी जिले की सीमाओं के परिवर्तन होने पर राज्य सरकार जिला परिषद् के बारे में ऐसे पारिमाणिक आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि आवश्यक हो।

**धारा 160**

**पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप पंचायत को भंग करने और पुनर्गठित करने के लिए सरकार की शक्ति** :–

1. जब किसी कारण से पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तब सरकार, राजकीय गजट में आदेश प्रकाशित करके, ऐसी पंचायत को आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि

से भंग कर सकेगी और सम्बद्ध ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को निदेश दे सकेगी कि:–

(i) जिस ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र को, जिला पंचायत समिति के प्रखण्ड क्षेत्र को या जिस जिला परिषद् के जिला क्षेत्र को विघटित किया गया हो उसे पुनर्गठित किया जाय; या

(ii) जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र, प्रखण्ड या जिला को नवगठित किया गया हो, उन्हें स्थापित किया जाय।

2. जिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को उप–धारा (1) के अधीन भंग कर दिया गया हो तो उनके सदस्य सरकारी आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से अपना–अपना पद छोड़ देंगे।

3. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् जो उप–धारा (1) के अधीन पुनर्गठित या स्थापित की गई है, उसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे और ऐसे सदस्य यथाशक्य वे होंगे जो ग्राम/पंचायत समिति, जिला परिषद् उप–धारा (1) के अधीन विघटित हुई है, के सदस्य थे।

4. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के मुखिया/प्रमुख या अध्यक्ष का निर्वाचन इस अधिनियम में यथा उपबंधित रीति से होगा।

5. ऐसी पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् ऐसी अवधि के लिए होगी जैसा कि सरकार के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट हो जो छः महीना से अधिक की नहीं हो।

6. उप–धारा (5) के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की समाप्ति के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विहित रीति के प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् गठित की जाएगी ;

परन्तु यह कि जिस शेष अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् कार्यरत रहती, यदि वह शेष अवधि छः माह से कम हो तो ऐसी अवधि के लिए किसी ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद् के गठन के लिए इस धारा के अधीन निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

7. उप–धारा (6) के अधीन गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् उस शेष अवधि जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् कार्यरत रहती, यदि उसे विघटित नही किया गया होता, तक के लिए कार्यरत रहेगी।

8. इस धारा के अधीन जब कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् भंग होने पर पुनर्गठित या स्थापित की जाय तो ऐसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित निधि एवं अन्य सम्पति तथा ऋण के अंश एवं दायित्व के लिए सरकार के यथालिखित निदेशानुसार इस धारा के अधीन पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में अन्तरित हो जाएगी।

9. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् जो भंग कर दी गई है, के अधिकार और दायित्व जो सिविल और आपराधिक कार्यवाही, संविदा, करार और अन्य विषय–वस्तु के संबंध में है तथा जो किसी पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्राधिकार के अध्याधीन क्षेत्र के किसी भाग में संबंधित उत्पन्न है, यथास्थिति वैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित हो जायेगें।

10. ग्राम पंचायत, पंचायत या जिला परिषद् जो भंग कर दी गई है, के द्वारा यदि कोई नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, कर, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, अनुमति, नियम, विनियम या बने हुए फार्म, निर्गत अधिरोपित या प्रदत्त किये गये हों और जो किसी पुनर्गठित या स्थापित ग्रम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्राधिकार के अधीन पड़ने वाले किसी भाग से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में उसे वैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा ही बनाया गया समझा जाएगा, जब तक कि वैसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् उसे किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, योजना, अनुज्ञप्ति, अनुमति, नियम, विनियम या फार्म का विनिर्मित निर्गत अधिरोपित या स्वीकृत कर उसे रोक ना दे।

11. यदि पूर्ववर्ती उप–धाराओं के उपबधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आवे तो सरकार आवश्यकतानुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस कठिनाई को दूर करने का कोई भी उपाय समयानुसार कर सकेगी।

**धारा 161**

**सरकारी भूमियों का प्रबंध**

पंचायतों को अन्तरित की गई किसी सरकारी भूमि का प्रबंध, ऐसी पंचायत द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो राज्य सरकार इस निमित बनाए।

**धारा 162**

**परियोजना, योजना आदि पर पंचायतों का प्रशासनिक नियंत्रण :–**

1. राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश जो राजकीय गजट में अधिसूचित किए गए हों के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार की संस्थाओं, परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यालय जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हो, का कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित रहेंगे।

2. वैसी संस्थाएं परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यालय जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों में हो, उनके कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण पंचायत समिति में निहित रहेंगें।

3. वैसी संस्थाऐं, परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यालय जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक पंचायत समिति में हो, उनके कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद् में निहित रहेंगें।

**उदाहरण :–**

(क) प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय स्वास्थ्य उप–केन्द्र, चापाकल, सिंचाई नलकूप इत्यादि जिनकी सेवा क्षेत्र एक ग्राम पंचायत में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित होंगे;

(ख) स्वास्थ्य उप–केन्द्र इत्यादि जिनकी सेवा क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण पंचायत समिति में निहित होंगे ;

(ग) रेफरल अस्पताल इत्यादि जिनकी सेवा क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समिति में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद में निहित होंगे;

(घ) राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो इन संस्थाओं, परियोजनाओं एवं योजनाओं एवं कार्यालयों में कार्यरत है, उनके संबंध में पदच्युति, सेवा से हटाने या पदावनती से भिन्न का कृत्य एवं पशासनिक नियंत्रण शक्तियाँ संबंधित पंचायत में निहित होगा। राज्य सरकार ऐसे प्रशासनिक नियंत्रण से संबंध में स्पष्ट रूपरेखा (स्वरूप) विनिर्दिष्ट करेगी।

**धारा 163**

**कठिनाईयाँ दूर करना :–**

यदि इस अधिनियिम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो ता राज्य सरकार अवसर के अपेक्षा अनुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी, जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो।

## अध्याय 17
## निरसन और व्यावृति :–

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1947 (बिहार अधिनियम 7, 1948) बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 (बिहार अधिनियम 6, 1962) तथा बिहार पंचायत राज **अधिनियम 1993 इसके द्वारा झारखण्ड राज्य क्षेत्र के लिए निरसित किए जाते है;**

परन्तु यह कि ऐसे निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा –

1. उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से किये गये या हुए किसी कार्य पर; या

2. उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर; या

3. उक्त अधिनियम के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में दी गई कोई [1][शास्ति], समपहरण या दण्ड पर या

4. यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, समपहरण या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्रवाई या उपचार पर और अन्वेषण विधि कार्रवाई या उपचार [1][शास्ति] किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा

1 झारखण्ड अधिनियम 07, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

और ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड आरोपित किया जा सकेगा, मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो।

5. ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों द्वारा या, के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा, या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

## अनुसूची – 1

1. कृषि, कृषि विस्तार सहित।
2. भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई जल प्रबंध और जल फैलाव विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक वाणिज्य और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित।
9. खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतोकरण, जिनके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी है।
18. तकनीकि प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सहित।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल–विकास।

26. समाज कल्याण, विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण सहित।

27. दुर्बल वर्गो का और विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशांत कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

KEAMS

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 336 राँची, बुधवार

30 वैशाख, 1937 (श०)

20 मई, 2015 (ई०)

## विधि (न्याय) विभाग

अधिसूचना

18 मई, 2015

संख्या-एल0जी0-09/ 2015-28/ लेज0– झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम पर राज्यपाल दिनांक-12/ 05/ 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है ।

# झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम संख्या-08, 2015)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) में संशोधन के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2015 कहा जा सकेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा

2. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 39 एवं 54 का संशोधन –

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 39 एवं 54 में शब्द एवं मनोनीत विलोपित किए जाएंगे

3. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 64 का संशोधन –

अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 64 'क' अंतःस्थापित किया जाता है -

64 'क' सदस्यता की निरर्हता -

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 19, 38 एवं 53 के अंतर्गत अयोग्यताओं (निरर्हताओं) के अध्यधीन है

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 की उप धारा

(ii), धारा 37 की उप धारा (2) एवं धारा 52 की उप धारा (2) के अध्यधीन आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता है;

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा के अंतर्गत ऐसे स्थान/ पद के लिए निर्वाचित हो गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है, और ऐसे मामलों को किसी निर्वाचन याचिका के तहत प्रश्नगत नहीं किया गया है तो उप धारा (2) के अन्तर्गत मामले को विनिश्चय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सुपुर्द किया जाएगा ऐसे मामले राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों का स्वयं भी संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का यथाशीघ्र विनिश्चय कर सकेगा

(3) यदि किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रश्न उठे कि ग्राम पंचायत का सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य अपने निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचन के पश्चात जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243(च) में प्रावधान किया गया है एवं धारा 19,38 एवं 53 में उल्लिखित निरर्हरताओं के अध्यधीन है तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयोग को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जाएगा निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का यथाशीघ्र विनिश्चय कर सकेगा ;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे किसी परिवाद या आवेदन जो विशुद्ध रूप से अधिनियम की धारा 152 के तहत् निर्वाचन याचिका से संबंधित हो, विचारित करने में सक्षम नहीं होगा

**4.** झारखण्ड अधिनियम, **06, 2001** की धारा **65** का संशोधन –

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 65 के पश्चात निम्न धारा 65 'क' एवं 65 'क' 'क' अन्त:स्थापित की जाएगी –

**65** 'क' निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि –

(i) पंचायत निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी जिस तिथि को उसका नाम निर्देशन हुआ हो, उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तिथि तक, उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत और प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवायेगा

(ii) लेखा में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाय

(iii) उक्त व्यय का कुल योग ऐसी अधिकतम सीमा से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाय,अधिक नहीं होगा

(iv) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से व्यय विवरणी समर्पित करेगा, जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रखी गई लेखा की सच्ची प्रतिलिपि होगा

**65** 'क' 'क' निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता –

(i) यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति,-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया है, और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है तो सम्यक जांचोपरान्त तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् उसे निरर्हित घोषित करने का विनिश्चय करेगा तथा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) ऐसे लेखाओं की जाँच कर सकेगा तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात उसे निरर्हित करने हेतु अपना विनिश्चय करेगा तथा ऐसा व्यक्ति जिला गजट में अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित हो जाएगा

(ii) निरर्हता को हटाना या उसकी कालावधि कम करना –

राज्य निर्वाचन आयोग पर्याप्त कारणों के लिए, जो अभिलिखित किये जाएंगे, ऐसी निरर्हता को हटा सकेगा या उसकी कालावधि को कम कर सकेगा

5. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 66 का संशोधन -

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 की उपधारा 5 में शब्द राज्य निर्वाचन आयोग को के पश्चात शब्द स्वत: संज्ञान पर या अन्त:स्थापित किया जाता हैं

6. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 80 का संशोधन

धारा 80 में निम्न प्रावधान सन्निहित किया जाता है :-

(क) भवन निर्माण पर नियंत्रण हेतु संदर्भित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत, भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकेगी

(ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर सभी प्राकर के आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन के संबंध में निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाएगी संदर्भित नियमावली के अनुरूप भवनों के आकार-प्रकार के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद को भवन निर्माण के सबंध में अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।